यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

Uranium Corporation of India Limited
(A Government of India Enterprise)

51वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18
51st Annual Report 2017-18

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल	03
2.	कार्यकारी अधिकारीगण	04
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से	05
4.	निदेशकों का प्रतिवेदन	07
5.	निदेशकों का प्रतिवेदन का अनुलगनक – I (ऊर्जा संरक्षण इत्यादि)	15
6.	निदेशकों का प्रतिवेदन का अनुलगनक – II (निगमित अभिशासन)	17
7.	लेखा विश्लेषण:	
	(I) प्रमुख विशिष्टताएँ	22
	(ii) कम्पनी की वित्तीय स्थिति	23
	(iii) कम्पनी की आय एवं व्यय का विवरण	24
8.	पाई एवं बार चार्ट	
	(I) आय का वर्गीकरण	25
	(ii) व्यय का वितरण	25
	(iii) आय में वृद्धि	26
	(iv) निवल मालियत (नेटवर्थ) में वृद्धि	26
	(v) सकल तथा शुद्ध परिसम्पति	27
	(vi) नियोजित पूँजी	27
9.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	29
10.	निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	37
11.	31 मार्च 2017 की स्थिति का तुलन–पत्र	38
12.	वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए लाभ एवं हानि का लेखा	39
13.	लेखे की 1 से 26	40
14	नकद प्रवाह	77
15.	पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार संग्रह	78

निदेशक मंडल

श्री सी़ के़ असनानी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री देबाशीष घोष
निदेशक (वित्त)

श्री सुधीर त्रिपाठी, आई ए एस
(08.05.2018 से प्रभावी)
मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार

श्री एम़ ए, इनबरासु (22.06.2017 से प्रभावी)
संयुक्त सचिव, (आई एंड एम)
परमाणु ऊर्जा विभाग

श्री जी़ कल्याणाकृष्णन (31.01.2018 तक)
मुख्य कार्यकारी, एन एफ सी

डा़ दिनेश श्रीवास्तव (30.04.2018 से प्रभावी)
मुख्य कार्यकारी, एन एफ सी

श्री एल़ के नन्दा (31.01.2018 तक)
निदेशक (ए.एम.डी)

श्री एम़ बी वर्मा (08.05.2018 से प्रभावी)
निदेशक, एएमडी

श्री आर बी चक्रवर्ती
पूर्व उपमहानिदेशक, खान सुरक्षा (पूर्व–डी.डी.जी.एम.एस.)

डा़ के़ उमामहेश्वर राव
निदेशक, एनआईटीके सूरथकाल

श्री बी सी गुप्ता
कंपनी सचिव

ऑडिटर्स

अग्रवाल रमेश के़ ऐण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
14, आर.जे.एस. बिल्डिंग, पहली मंजिल, डायग्नल रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर–831001

कार्यकारी

श्री सी़ के़ असनानी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री देबाशीष घोष
निदेशक (वित्त)

श्री पी एन सरकार
कार्यकारी निदेशक (ऑपरेशन, झारखण्ड)

श्री अजय घड़े
कार्यकारी निदेशक (ऑपरेशन एवं प्रोजेक्ट–दक्षिण)

डा़ ए के़ षड़ंगी
कार्यकारी निदेशक (परियोजना,उत्तर)

श्री एस सी भौमिक
महाप्रबधंक (खान)

श्री पी़ के़ पाढ़ी
महाप्रबधंक (खान,आंध्र प्रदेश)

श्री प्राणेश एस़ आऱ
महाप्रबधंक (खान,आंध्र प्रदेश)

श्री राजेश कुमार
महाप्रबधंक (परियोजना)

श्री एम़ एस राव
महाप्रबधंक (अभियांत्रिकी सेवाएँ,आंध्र प्रदेश)

श्री बी़ सी़ गुप्ता
कम्पनी सचिव

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
सीआईएन : U 1000 JH 1967 GOI 000806
रजिस्टर्ड ऑफिस : पी.ओ. जादुगोडा माइंस, जिला : सिंहभूम (पूर्वी)
झारखंड – 83102, फोन : 0657 730122/353
फैक्स : 0657–730322, ई–मेल : cs@uraniumcorp.in
हमसे संपर्क करें : www.uraniumcorp.in

चेयरमैन की डेस्क से ......

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कंपनी की 51वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निदेशकों की रिपोर्ट (डायरेक्टर्स रिपोर्ट) के साथ ही वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी के लेखा का अंकेक्षित विवरण आपके पास भेज दिया गया और आपकी सहमति के साथ, मैं उसे पढ़ लिया गया मानता हूं।

आपकी कंपनी ने 2017–18 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उच्चतम यूरेनियम उत्पादन दर्ज किया है। इस अवधि के दौरान कंपनी के प्रदर्शन पर प्रस्तुति देते हुए मैं अपनी खुशी और उत्साह की भावना को साझा करना चाहता हूं। आपकी कंपनी ने, वाणिज्यिक पैमाने पर खनन और भारत में यूरेनियम अयस्क के प्रसंस्करण में संलग्न एकमात्र इकाई होने के नाते, परमाणु ईंधन आवश्यकता को पूरा करने और देश के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को समर्थन देने का प्रयास जारी रखा है। वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर जोर देते हुए मुझे अपार संतुष्टि हो रही है।

मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जादूगोडा खान में वन भूमि विचलन नवीकरण मुद्दे के कारण,जादूगोडा संयंत्र में अयस्क की उपलब्धता में लगातार बड़े व्यवधानों के बावजूद भी सभी प्रमुख इकाइयों का प्रदर्शन वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है। पुनः ग्राम सभा 17 मार्च 2018 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी और चरण –2 के लिए एमओईएफसीसी से मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार से अंतिम मंजूरी मिलने के तुरंत बाद खनन गतिविधियां शुरु हो जाएंगी, जो प्रक्रियाधीन है। सभी खानों और संयंत्रों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। बेहतर दक्षता और रिकवरी के लिए तुम्मलापल्ले खान और संयंत्र में कई अनुकूलन गतिविधियों और प्रक्रिया मापदंडों को सुव्यवस्थित करने का काम शुरू किया गया। तुम्मलापल्ले संयंत्र के प्रदर्शन में सुधार हुआ है और वर्ष 2017–18 में यूरेनियम उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक हासिल हुआ है।

तुरामडीह स्थित मैग्नेटाइट पुनःप्राप्ति संयंत्र परियोजना और यूरेनियम पैरॉक्साइड फैसिलिटी परियोजना में प्रमुख गतिविधियां पूरी हो चुकी है। तुरामडीह में मैग्नेटाइट संयंत्र और यूरेनियम पैरॉक्साइड फैसिलिटी का संचालन, तुरामडीह विस्तारीकरण परियोजना के लिए लंबित एमओईएफसीसी मंजूरी प्राप्त करने के बाद शुरू होगा। सिंहभूम तथा तुम्मलापल्ले में डिबॉटलनेकिंग परियोजना के साथ तुम्मलापल्ले में हैंगवाल लोड प्रोजेक्ट में ट्रायल स्टॉपिंग कार्य प्रगति पर है। झारखंड के मोसाबनी में कॉपर टेलिंग्स से

यूरेनियम पुनःप्राप्ति संयंत्र की स्थापना के लिए सार्वजनिक जनसुनवाई अप्रैल 2018 में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी और परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी देने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (एमओईएफसीसी) में अपलोड कर दी गई है।

'यूरेनियम उत्पादन में स्व–दक्षता हेतु विजन 2031–32' हासिल करने और देश की संपोशणीय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए गतिविधियां प्रगति पर हैं। कई परियोजनाओं के लिए कार्य शुरू किया गया जिसमें विभिन्न चिन्हित परियोजनाओं के लिए वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने की दिशा में अन्वेषणकारी खनन और परियोजना पूर्व गतिविधियां शामिल हैं।

आपकी कंपनी राजस्थान के रोहिल, कर्नाटक के गोगी, मेघालय में केपीएम तथा तुम्मलापल्ले के आस–पास के क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों को जारी रखे हुए है। जहां आवश्यक हो, वहां नयी पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया के लिए गतिविधियां भी शुरू की गयी है तथा आम लोगों के बीच साख बढ़ाने हेतु जन कल्याण गतिविधियों को तेज किया गया है। राज्य के पदाधिकारीगण और परियोजना के प्रमुख हितधारकों के साथ बैठकों के द्वारा नियमित फॉलोअप को सुनिश्चित किया गया है।

पूरे वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के औद्योगिक संबंधों का स्वरूप कर्मचारियों के बीच बेहतर संबंधों के साथ संतोषजनक रहा है।वेतन पुनरीक्षण के लिए यूसीआईएल प्रबंधन और श्रमिक संघों के बीच वार्ता प्रगति पर है और सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है।

आपकी कंपनी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आईएसओ 9001ः 2008 प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001ः 2004 प्रमाणन और पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएस –18001ः 2007 प्रमाणन को लगातार बरकरार रख रही है। जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन भी आईएस–18001ः 2007 प्रमाणीकरण के अंतर्गत आते हैं।

मैं आपकी कंपनी के निरंतर विकास में अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग और सचिव,परमाणु ऊर्जा विभाग के अमूल्य और निरंतर समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को समर्थन देने के हमारे अधिदेश में नई ऊंचाइयां और उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में उनके नेतृत्व, मार्गदर्शन और उत्साहजनक विशिष्टता के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं।

मैं कंपनी के प्रत्येक कर्मचारियों के प्रयासों और उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग और इसके विभिन्न घटकों के सहयोग, विशेष रूप से बीएआरसी, एएमडी, एनएफसी और एनपीसीआईएल को उनकी निःस्वार्थ सहायता, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान संगठनों, विशेष रूप से आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, सीआईएमएफआर धनबाद और एनआईआरएम कोलार, से प्राप्त तकनीकी सहयोग की भी सराहना करता हूं। मैं कंपनी के बोर्ड में शामिल सभी सहकर्मियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

2017–18 का तुलन पत्र उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन दिखाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी कंपनी में इसे दिए गए जनादेश को आगे बढ़ाने के साथ और भी अधिक ऊंचाइयों को हासिल करने की क्षमता है। आपकी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हुए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष 2017–18 में आपकी कंपनी के प्रदर्शन को ''उत्कृष्ट'' रेटिंग मिलने की आशा है।

अब, मैं 31 मार्च 2018 को निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र और 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ, हानि का विवरण आपके विचारार्थ, अनुमोदनार्थ एवं अंगीकरण हेतु प्रस्तुत करता हूं।

धन्यवाद!

मुंबई

19 सितंबर, 2018

सी के असनानी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में

सभी सदस्यगण

देवियों एवं सज्जनों,

निदेशक मंडल की ओर से, आपकी कंपनी की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा अंकेक्षित लेखा, और भारत के कॉम्प्ट्रोलर तथा महालेखा परीक्षक द्वारा उस पर प्रतिवेदन को पेश करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

1-0 प्रदर्शन के प्रमुख बिंदु:

1-1 वित्तीय प्रदर्शनः

(लाख ₹ में)

	चालू वर्ष 2017-18	पिछले वर्ष 2016-17
आय	179195.10	127270.50
मूल्यह्रास पूर्व लाभ	34372.52	34600.58
घटाएं :(अ) मूल्यह्रास	21962.66	13679.46
कर पूर्व लाभ	12409.86	20921.12
घटाएंः (अ) टैक्स का प्रावधान	2548.20	4412.10
(ब) पिछले वर्ष के लिए	396.91	463.76
(स) आस्थगित कर का प्रावधान	(1208.10)	3312.48
कर पश्चात लाभ	10672.85	12732.79
अन्य व्यापक आय	(425.30)	(175.54)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	10247.55	12557.25

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट आयकर, लाभांष कर, केंद्रीय बिक्री कर, वैट, प्रवेश कर, एक्साइज ड्यूटी, जी एस टी, सीमा शुल्क (आयात) और रॉयल्टी आदि के मद में सरकारी खजाने को 12044.83 लाख (पिछले साल 10486.54 लाख रुपये) का योगदान दिया है।

वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष के लिए प्रस्तुत वित्तीय विवरण की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उस पर रिपोर्ट को इस बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक III के साथ पढ़ा जा सकता है।

1.2 ऑपरेटिंग इकाईयों का प्रदर्शन :

वर्ष 2017–18 के दौरान आपकी कंपनी के सभी ऑपरेटिंग इकाइयों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। वर्तमान में, झारखंड में सात खान और दो प्रसंस्करण संयंत्र काम कर रहे हैं वहीं आंध्र प्रदेश में एक खान और एक प्रसंस्करण संयंत्र चालू स्थिति में है। सभी खानों का प्रदर्शन संतोशजनक है, और खान से कुल अयस्क उत्पादन लक्ष्य का 88 प्रतिशत प्राप्त हुआ है। प्रसंस्करण संयंत्रों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, जिसने मिल ओर प्रोसेसिंग लक्ष्य से 18 प्रतिशत ज्यादा हासिल किया है, इसके परिणामस्वरूपवर्श 2017–18 के लिए कुल U_3O_8 उत्पादन लक्ष्य से 5 प्रतिशत ज्यादा हासिल हुआ है।

1.3 चालू और नई परियोजनाए:

- **तुरामडीह में मैगनेटाइट प्रति-प्राप्ति (रिकवरी) संयंत्र::**

तुरामडीह का नया मैग्नेटाइट प्रति–प्राप्ति संयंत्र, अवशेश से उपयोगी उत्पाद की प्रतिप्राप्ति में सहायता करेगा। परियोजना पूरी हो चुकी है और एईआरबी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। तुरामडीह मिल विस्तारीकरण परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के बाद मैग्नेटाइट प्रतिप्राप्ति संयंत्र का संचालन शुरू होगा।

- **तुरामडीह में यूरेनियम पेरॉक्साइट फैसिलिटी :**

मौजूदा तुरामडीह यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र के यूरेनियम पेरॉक्साइड सुविधा में रिएजेंट के इश्टतम उपयोग और उत्पाद की बेहतरीन प्रति प्राप्ति के लिए उन्नत तकनीक को अपनाया गया है। निर्माण कार्य और ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और एईआरबी की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है।तुरामडीह मिल विस्तारीकरण परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के बाद इस सुविधा का संचालन शुरू हो जाएगा।

- **जादूगोडा में चतुर्थ चरण टेलिंग पॉण्ड :**

  आपकी कंपनी ने जादूगोडा संयंत्र के टेलिंग्स के प्रबंधन के लिए सामर्थ्य निमार्ण की दिशा में अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए प्रथम चरण टेलिंग पॉण्ड (चतुर्थ चरण टेलिंग्स पॉण्ड) के द्वितीय फेज का निर्माण किया है। निर्माण गतिविधियां जो पूजन स्थल (जाहिरा) के संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों द्वारा बाधित कर दी गयी थी, अब फिर से शुरु हो चुकी है। शेष कार्य एकल समेकित अनुबंध के माध्यम से पूरा कर लिया जाएगा।

- **तुरामडीह में द्वितीय चरण टेलिंग पॉण्ड :**

  परियोजना पूरी हो चुकी है और तुरामडीह में द्वितीय चरण टेलिंग पॉण्ड के लिए फंड का पूरी तरह से उपयोग किया गया है।

- **कॉपर टेलिंग्स से यूरेनियम प्रति प्राप्ति संयंत्र:**

  आपकी कंपनी ने मुसाबनी माइंस में मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के संचालन के अधीन कॉपर टेलिंग्स से यूरेनियम प्रति प्राप्ति हेतु दो यूरेनियम प्रति प्राप्ति संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। डीपीआर तैयार हो चुका है, टीओआर प्राप्त हो चुका है और मेसर्स एचसीएल द्वारा टेलिंग्स की आपूर्ति हेतु सहमति दी जा चुकी है। अप्रैल 2018 में सार्वजनिक जनसुनवाई का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और पर्यावरण मंजूरी देने के लिए विशेशज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की आधिकारिक वेबसाइट में अपलोड की गई है।

- **सिंहभूम और तुम्मलापल्ले संचालन की डिबॉटलनेकिंग:**

  सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में माइंस और संयंत्र की डिबॉटलनेकिंग गतिविधियां प्रगति पर है। तुम्मलापल्ले में हैंग वॉल लोड में ट्रायल स्टॉपिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अन्य शेष परियोजनाओं के डिजाइन और सेवाओं के लिए अनुबंध किया गया है। निविदा दस्तावेजों की जांच तथा अंतिम रूप देने का काम प्रगति पर है, और साइट पर कुछ परियोजनाओं के लिए सिविल कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है।

- **रोहिल यूरेनियम भंडार, राजस्थान :**

  आपकी कंपनी ने इस क्षेत्र में अन्वेषण खनन कार्य की शुरुआत करने के लिए एएमडी के साथ करार किया है। साइट पर डिक्लाइन पोर्टल की खुदाई का काम शुरु किया जा चुका है और यह कार्य प्रगति पर है। खनन परियोजना के लिए टीओआर आवेदन किया गया है और यह एमओईएफसीसी में प्रक्रियाधीन है।

- **सिंगरीडुंगरी-बनाडुंगरी यूरेनियम भंडार, झारखंड:**

  आपकी कंपनी ने इस क्षेत्र में अन्वेषण खनन कार्य की शुरुआत के लिए एएमडी के साथ करार किया है। सिंगरीडुंगरी–बनाडुंगरी यूरेनियम भंडार में अन्वेशण खनन कार्य के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट एएमडी के पास जमा कर दिया गया है। खनन परियोजना के लिए टीओआर आवेदन किया गया है और यह एमओईएफसीसी में प्रक्रियाधीन है।

- **पेद्दागुट्टू यूरेनियम भंडार, तेलंगाना :**

  आपकी कंपनी ने इस क्षेत्र में अन्वेषण खनन कार्य की शुरुआत के लिए एएमडी के साथ करार किया है। पेद्दागाडू यूरेनियम भंडार में अन्वेशण खनन कार्य के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट एएमडी के पास जमा कर दिया गया है।

- **गोगी यूरेनियम परियोजना, कर्नाटक :**

  जुलाई 2012 से ही खोजपूर्ण खनन स्थगित कर दिया गया था। ईआईए/ईएमपी अध्ययन के लिए नई शुरुआत की गई है और परियोजना पूर्व गतिविधियां प्रगति पर है। नये टीओआर के लिए आवेदन, डीजीपीएस सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और भूमि विवरण को अंतिम रूप दिया गया है। पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट का अंतिम मसौदा तैयार किया जा चुका है और पुनरीक्षण के लिए परामर्शदाता को भेजा गया है।

- **केलेंग-पेंडेंगसोहियोंग मावथाबाह परियोजना, मेघालय :**

  आपकी कंपनी मेघालय में केलेंग–पेंडेंगसोहियोंग मावथाबाह परियोजना के लिए भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के प्रयास को जारी रखे हुए है। राज्य सरकार के अधिकारियों, भूमि स्वामियों, गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक और वार्ताएं आयोजित की गयीं। केपीएम परियोजना के आसपास के गांवों के भूमि स्वामियों तथा ग्राम प्रमुखों ने मेघालय में केपीएम यूरेनियम खनन परियोजना शुरू करने के लिए अपने समर्थन की पुश्टि की है। यूरेनियम खनन के प्रति स्थानीय लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने की दिशा में आपकी कंपनी द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों तथा स्वच्छ भारत पहल को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

- **सिंहभूम में नई परियोजनाए :**

  यूरेनियम उत्पादन की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सिंहभूम में निम्नलिखित सूचीबद्ध परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी गई है।

  - नरवापहाड़ खान के उत्पादन में 1500 टीपीडी से 2000 टीपीडी तक विस्तार।
  - तुरामडीह खान के उत्पादन में 1000 टीपीडी से 2500 टीपीडी तक विस्तार।

- बंदुहुरांग खान के उत्पादन में 3500 टीपीडी से 5000 टीपीडी तक विस्तार।
- बनाडुंगरी में 3000 टीपीडी क्षमता की नई खान और प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना।
- बंदुहुरांग में 4500 टीपीडी क्षमता के नये प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना।
- गाराडीह में 1000 टीपीडी क्षमता की नई खदान की स्थापना।

उपरोक्त परियोजनाओं के लिए टीओआर आवेदन किया जा चुका है और यह एमओईएफसीसी के प्रक्रियाधीन है।

1.4 समझौता ज्ञापन प्रदर्शन :

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हुए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष 2017–18 में आपकी कंपनी के प्रदर्शन को "उत्कृष्ट" रेटिंग मिलने की आशा है।

2.0 लाभांश तथा लाभांश पर कर

आपके निदेशकगण 1,81,561.78 लाख रुपये के प्रदत्त पूंजी के ऊपर 3202 लाख रुपए लाभांश देने की शिफारिश करते हुए प्रसन्नता व्यक्त कर रहे है (विगत वर्ष यह राशि 3839 लाख रुपये थी)। वहीं वर्ष 2017–18 के लिए लाभांश पर कर 651.83 लाख रुपये होगा (विगत वर्ष यह राशि 781.52 लाख रुपये थी)।

3.0 शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 3,500 करोड़ रुपये थी तथा 31 मार्च 2018 को सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी 1815.62 करोड़ रुपये हुई।

4.0 संरक्षण/प्रौद्योगिकी का समावेश, अनुकूलन, नवोन्वेषण तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग :

कंपनियों (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) के नियम, 1988,के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1)(ई) के प्रावधान के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश, तथा विदेशी मुद्रा के उपयोग एवं अर्जन संबंधी विवरण को इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–1 में दिया गया है।

5.0 औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी का औद्योगिक संबंध संतोषजनक रहा तथा कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध के साथ औद्योगिक शांति को बरकरार रखा गया। समय–समय पर यूसीआईएल प्रबंधन और कर्मचारियों, जिनका प्रतिनिधित्व यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा किया गया, के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में कर्मचारी कल्याण, पदोन्नति, प्रशासनिक उपायों, आवास आवंटन आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।

6.0 कार्यबल :

31 मार्च 2018 को आपकी कंपनी में कार्यबल की कुल संख्या 4781 थी। आपकी कंपनी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कुल कार्यबल का करीब 53.2% है। 31 मार्च 2018 को कंपनी में कार्यरत दिव्यांग लोगों की संख्या 13 है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर विभिन्न आरक्षित कोटा भरने के लिए कंपनी द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

7.0 प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी :

आपकी कंपनी ने सभी स्तरों पर एक बेहद ही स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखा है। विभिन्न संचालन इकाइयों में शॉप कॉउन्सिल की कुल 33 बैठकें आयोजित की गई जिसमें कर्मचारियों की शिकायत से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कर्मचारियों को भविष्य निधि के न्यास बोर्ड, ग्रैच्युटी फंड ट्रस्ट, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजना तथा कर्मचारी को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आदि योजनाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया। कर्मचारी सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति और खेल परिषद् इत्यादि जैसे मंच के भी सदस्य हैं।

8.0 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण :

आपकी कंपनी विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से क्षमता को निखारने की दिशा में मानव संसाधन के उन्मुखीकरण हेतु लगातार प्रयासरत है औरयह कर्मचारियों को आकर्षित करने, रोके रखने और प्रेरित करने के साथ ही एक ऐसा माहौल तैयार करने के लिए लगातार संघर्षरत है जो उन्हें कंपनी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने हेतु पोषित करता है।

देश में प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित संगोष्ठी, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए आपकी कंपनी के 49 अधिकारियों को प्रायोजित किया गया। कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषयों में आवश्यक कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और विकासकी आवश्यकता को निरंतर आधार पर पहचाना जाता है और कंपनी के मानव संसाधन के समस्त दक्षता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2017–18के दौरान, 255 अधिकारियों और सुपरवाइजरों ने नरवापहाड़ में स्थित प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में 549 कार्यदिवस के लिए आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण में भाग लिया।

9.0 सुरक्षा :

आपकी कंपनी एक संरचित आंतरिक सुरक्षा संगठन के साथ अपनी सभी गतिविधियों में सुरक्षा पर बहुत जोर देती है। खानों और प्रसंस्करण संयंत्रों,दोनों में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। शून्य दुर्घटना लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा प्रचलित सुरक्षा मानकों की समय–समय पर समीक्षा की गई।

खान नियम, 1955 और धातुकर्म खान विनियम, 1961, एईआरबी दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षा निरीक्षण और लेखा परीक्षा आयोजित की गई और त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान सुरक्षा मुद्दों को उठाया गया जिसमें डीजीएमएस, ट्रेड यूनियनों और यूसीआईएल प्रबंधन के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। "प्रथम अखिल भारतीय खान सुरक्षा, स्वच्छता और सिलिकोसिस जागरूकता सप्ताह–2018" के अनुसरण में "ट्रेड टेस्ट/ खान सुरक्षा शिक्षा दिवस – 2018" प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी खानों की यूसीआईएल खान सुरक्षा समिति ने नियमित रूप से मासिक बैठकें आयोजित कीं जिसमें यूनियन के प्रतिनिधियों, कामगारों के निरीक्षकों, और स्वास्थ्य भौतिकविदों समेत विभिन्न स्तरों के कर्मचारी शामिल थे। बैठक में मिस इंसिडेंट्स, असुरक्षित गतिविधियों तथा कार्य अभ्यासों और समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं पर चर्चा हुई। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अत्याधुनिक खनन प्रौद्योगिकी के माध्यम सेउच्च स्तरीय मशीनीकरण को अपनाया गया है। स्ट्राटा कंट्रोल सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए बोरहोल स्ट्रेस मीटर, अभिसरण मीटर, स्वचालित चेतावनी टेल, मल्टी पॉइंट एक्स्टेंसोमीटर इत्यादि जैसे उपकरणों का उपयोग शुरू किया गया है। चिकित्सा जांच केंद्रों (पीएमई) पर सभी कर्मचारियों की रोजगार पूर्व और सामयिक चिकित्सा जांच विशेशज्ञ पेशेवर स्वास्थ्य चिकित्सकों द्वारा की गईं।

2017–18 के दौरान, ग्रुप वीटी केंद्रों में 1385 कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें विभागीय एवं अनुबंधीय कर्मचारी शामिल थे। प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अधिकारियों और सुपरवाइजरों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। चिकित्सा जांच केंद्रों पर सभी कर्मचारियों की रोजगार पूर्व और सामयिक चिकित्सा जांच विशेशज्ञ पेशेवर स्वास्थ्य चिकित्सकों द्वारा की गईं।

10.0 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

विगत वर्षों की तरह, आपकी कंपनी अपने कारोबार को सामाजिक रूप से जिम्मेदार, नैतिक और पर्यावरण स्नेही तरीके से संचालित करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपने परिचालन क्षेत्रों के आस–पास रहने वाले समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम करती है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियों को बुनियादी मूल्यों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है जैसे कि हितधारकों के हितों की रक्षा करना, स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय सहभागिता और समावेशी विकास की दिशा में प्रयास करना। सीएसआर गतिविधियां, कंपनी के परिचालन क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक संकेतकों को सुधारने के लक्ष्य के साथ निम्नलिखित व्यापक विषयों पर केंद्रित हैं।

शिक्षा - आपकी कंपनी द्वारा शुरू की गई सामाजिक संवर्धन शिक्षा कार्यक्रम (एसईईपी), जिसे पूर्व में प्रतिभा संवर्धन कार्यक्रम (टीएनपी) के नाम से जाना जाता था, ने आसपास के गांवों के वंचित छात्रों को अपने परमाणु ऊर्जा केंद्रों में नामांकित करके उन्हें शिक्षा प्रदान करने का प्रयास जारी रखा है। इन छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में छात्रवृत्ति के साथ पोशाक, जूते, स्टेशनरी, पाठ्य पुस्तकें, बैग आदि प्रदान किए गए। इसके अलावा, आसपास के स्कूलों के छात्रों के बीच भी नोटबुक, हैंडल वाली कुर्सियां और स्कूल बैग का वितरण किया गया।

पेयजल का प्रावधान- आपकी कंपनी ने आस–पास के गांवों में निवास करने वाले स्थानीय समुदाय को स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए, खासतौर पर गर्मी के मौसम में,पानी के टैंकर किराये पर लेने के लिए अनुबंध किया है। बागजाता और तुरामडीह खान के परिधीय गांवों में जलमिनार के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, तथा पिछले वर्षों की तरह झारखंड में मौजूदा नलकूपों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य में तुम्मलापल्ले के आस–पास स्थित चार गांवों में मौजूदा आरओ संयंत्र के संचालन और रख रखाव तथा पाइप से पेयजल की आपूर्ति के लिए नंदी फाउंडेशन को संलग्न किया गया और यह कार्य प्रगति पर है।

कौशल विकास- निगमित सामाजिक दायित्व के दायरे में आपकी कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल कोचिंग से आसपास के गांवों के वंचित और आकांक्षी युवा लाभान्वित हो रहे हैं। तुरामडीह में इसके औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) के माध्यम से इलेक्ट्रिकल, फिटर और वेल्डिंग के ट्रेड में तकनीकी कौशल भी नियमित रूप से प्रदान किये जाते है।

कृषि और सिंचाई–मेचुआ में पंप हाउस का पुनर्स्थापन और रखरखाव का काम वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया गया जिससे किसानों को उच्च कृषि उत्पादन के लिए अपने खेतों में पानी की नियमित आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।

बुनियादी संरचना का विकास- आपकी कंपनी द्वारा कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरूआत की गई है जैसे बांदुहुरांग और मोहुलडीह खान के समीप पीसीसी सड़क का विकास, कदमा और मुर्गाघुटु गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण, डोमजुरी गांव में फुटबॉल गैलरी का निर्माण और तुम्मलापल्ले में पशुचिकित्सा अस्पताल का निर्माण आदि।

स्वास्थ्य देखभाल– आपकी कंपनी के आसपास के सभी गांवों में साप्ताहिक चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए, जहां रोगियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करायी गईं।

खेल एवं संस्कृति– प्रत्येक वर्ष की तरह, आपकी कंपनी ने जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन (जेएसए) द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आसपास के गांवों के युवाओं को निःशुल्क फुटबॉल कोचिंग प्रदान किया।

स्थानीय स्तर पर अन्य फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए भी आपकी कंपनी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के अपने प्रयास में, आपकी कंपनी ने मेचुआ में जाहेरस्थान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य शुरु किया है। इसके अलावा, यूसीआईएल द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

स्वच्छ भारत : स्वच्छ भारत पहल के तहत, आपकी कंपनी ने नरवापहाड़ और तुरामडीह के आस–पास स्थित विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कराया है और सरकार के खुले में शौच मुक्त(ओडीएफ) अभियान को समर्थन के रूप में मोसाबनी प्रोजेक्ट और जादूगोडा खान में शौचालयों का निर्माण कराया है। जादूगोडा मोड में निर्मित सार्वजनिक शौचालय की सफाई और स्वच्छता का काम भी शुरू किया जा रहा है। स्वच्छता पहल को आगे बढ़ावा देने की दिशा में, यूसीआईएल के आवासीय कॉलोनी और कॉलोनी के बाहर के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया और यूसीआईएल के सभी इकाइयों में आवासीय क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च होने वाली राशि 250.47 लाख थी। हालांकि, वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर गतिविधियों के तहत वास्तव में खर्च की गई राशि 1,91.53 लाख रुपये है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में सीएसआर व्यय में 58.94 लाख रुपये की कमी, निविदा में बोली लगाने वालों की गैर भागीदारी के कारण थी। यह राशि आगे जमा की जा रही है और इसे वित्तीय वर्ष 2018–19 में किए जाने वाले सीएसआर व्यय में शामिल किया जाएगा।

सीएसआर कमिटी का गठन इस प्रकार है:

- I) डॉ के उमामहेश्वर राव, निदेशक, एनआईटीके सुरथकल–अध्यक्ष
- ii) डॉ दिनेश श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी – सदस्य
- iii) श्री डी घोष, निदेशक (वित्त), यूसीआईएल–सदस्य
- iv) निदेशक (तकनीकी)

11.0 निगमित अभिशासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) :

निगमित अभिशासन से संबंधित एक रिपोर्ट अनुलग्नक 2 में दिया गया है।

12.0 सार्वजनिक जमा :

आपकी कंपनी ने जनता से समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जमा राशि स्वीकार नहीं किया है।

13.0 पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण:

आपकी कंपनी तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सतत विकास के लिए पर्यावरणीय जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं की गहरी समझ रखती है। आपकी कंपनी अपनी सभी इकाइयों में पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देती है।भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) का स्वास्थ्य भौतिकी इकाई, जादूगोडा, नरवापहाड़, तुरामडीह और तुम्मलापल्ले में सभी परिचालनों और इसके परिधीय क्षेत्र की आवधिक रेडियोलॉजिकल और पर्यावरण निगरानी करता है। बाहरी गामा विकिरण, रेडॉन कन्संट्रेशन, स्थगित शूक्ष्म कण पदार्थ, हवा में उत्पन्न लंबे समय तक रहने वाली अल्फा गतिविधि को हवा में मॉनिटर किया जाता है। सतह और भूजल, मिट्टी, खाद्य पदार्थों और क्षेत्र के कृषि उत्पादन में रेडियो न्यूक्लाइड की सांद्रता इत्यादि की समय–समय पर निगरानी की जाती है। आपकी कंपनी ने सभी इकाइयों के लिए पर्यावरण प्रबंधन और वैधानिक अनुपालन हेतु महाप्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक पर्यावरण अभियंत्रण प्रकोष्ठ (ईईसी) की स्थापना की है।सतत विकास और संसाधन के संरक्षण की दिशा में, औद्योगिक प्रयोग के लिए सभी खानों के अपशिश्टों के पुनः उपयोग और पुनरावृत्ति के लिए प्रयास किए गए हैं। अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और रिसाइकिलिंग द्वारा ताजे पानी की खपत में काफी कमी लाई गई है। संबंधित खानों से माइन डिस्चार्ज एकत्रित करने और उन्हें निकटतम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए कई किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाए गए हैं। माइन डिस्चार्ज को सतह पर संग्रहीत किया जाता है तथा औद्योगिक उद्देश्य से इसका पूरी तरह से पुनः उपयोग किया जाता है। टाउनशिप से एकत्रित मलजल का निपटान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) में किया जाता है। अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों से प्राप्त अपशिष्ट का उपचार इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) में किया जाता है। उपचार किए गए सीवेज को आंशिक रूप से रिसाइकिल कर इसका उपयोग हरियाली वाले क्षेत्रों में सिंचाई और बागवानी के लिए किया जाता है। अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र से प्राप्त उपचार किए गए अपशिष्ट जल को औद्योगिक उद्देश्य के लिए आंशिक रूप से रिसाइकिल किया जाता है। ईटीपी और एसटीपी से अत्यधिक उपचार किए गए अपशिष्टों की नियत अनुपालन मानकों के अनुसार सार्वजनिक डोमेन में प्रवाहित करने से पहले नियामक अनुपालन के लिए निगरानी की जाती है। जैव चिकित्सा कचरे के निपटान के लिए आपकी कंपनी ने जादूगोड़ा में एक सामान्य कचरा भट्ठी स्थापित किया है। झारखंड में कंपनी के सभी अस्पतालों से निकलने वाले जैव चिकित्सा कचरे का निपटान सामान्य निपटान सुविधा में किया जाता है। आपकी कंपनी ने अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों के रिजेक्ट्स (अवशेष) की सुरक्षित रोकथाम के लिए अपशिष्ट निपटान प्रणाली, टेलिंग पॉड का निर्माण किया है। आपकी कंपनी ने अपने खदानों और टेलिंग पॉण्ड के आसपास अपशिष्ट डंप के विकासशील सुधार कार्य शुरु किया है। क्षेत्र के पारिस्थितिकी और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए, कंपनी विकासशील वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाती है। आपकी कंपनी

एक आईएसओ –14001: 2004 प्रमाणित संगठन है। तुरामडीह में भूजल संसाधनों के संवर्धन के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण किया गया है। उपरोक्त के अलावा, आपकी कंपनी आईएसओ –14001: 2004 के अनुसार नरवापहाड़ टाउनशिप की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव करती है जो कि टीयूवी–नॉर्ड द्वारा प्रमाणित है। आपकी कंपनी कर्मचारियों, निवासियों, छात्रों और अन्य इच्छुक समुदायों के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में पर्यावरण संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है। कर्मचारियों और आम जनता के बीच पर्यावरण के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा कार्यशालाओं के माध्यम से आम जनता और छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

14.0 आईएसओ प्रमाणीकरण

आपकी कंपनी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ 9001: 2008 प्रमाण पत्र, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001: 2004 और पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएस –18001: 2007 प्रमाणन को निरंतर बरकारार रखा है। मेसर्स टीयूवी और मेसर्स बीआईएस द्वारा किए गए पुनः प्रमाणन अंकेक्षण में कंपनी को आगामी तीन वर्शों के लिए सफलतापूर्वक आईएसओ 14001–2004 और आईएस 18001–2007 से पुनः प्रमाणित किया गया है। जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन को भी आईएस –18001: 2007 प्रमाणीकरण के तहत शामिल किया गया है। आपकी कंपनी की नरवापहाड़ टाउनशिप देश की एकमात्र ऐसी टाउनशिप है जो टीयूवी/नॉर्ड द्वारा आईएसओ 14001:2004 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) से प्रमाणित है।

15.0 लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योग (एसएमई)

आपकी कंपनी समाज के समेकित विकास की दिशा में अपने आसपास के क्षेत्रों के लघु और मध्यम उद्योगों की भूमिका को सम्मानित करती है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न उपकरणों के पुर्जों के स्वदेशीकरण में सफलता हासिल करने के लिए विभिन्न लघु और मध्यम स्तरीय उद्योगों को समर्थन देना जारी रखा है और इस प्रकार बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत की है। 2016–17 के दौरान 34.71 करोड़ रुपए (पिछले वर्श 28.96 करोड़) मूल्य का ऑर्डर एसएमई को दिया गया था।

16.0 विदेश भ्रमण

वर्ष के दौरान विदेश यात्रा पर 2.03 लाख रुपये खर्च हुआ जबकि पिछले वर्श 2.86 लाख रुपये खर्च हुआ था।

17.0 विज्ञापन और प्रचार–प्रसार

वर्ष के दौरान, विज्ञापन और प्रचार–प्रसार पर 1122.88 लाख रुपये व्यय हुआ, जबकि विगत वर्श यह 465.28 लाख रुपये था। यह खर्च अधिकतर नई नियुक्तियों, निविदा संबंधी सूचनाओं आदि के प्रसारण हेतु विज्ञापनों पर किया गया था। आपकी कंपनी विज्ञापन और प्रचार–प्रसारपर किए जाने वाले खर्च के प्रबंधन के लिए अपनी वेबसाइट के उपयोग में वृद्धि के प्रति प्रगतिशील है।

18.0 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

आधिकारिक भाषा अधिनियम और नियमों को लागू करने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसरण में, वर्ष 2017–18 के दौरान औपचारिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार हर तरह के प्रयास किए गए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति उपरोक्त अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करती रहती है। दिनांक 12 से 18 सितंबर, 2017 के दौरान "हिंदी सप्ताह" का भी आयोजन किया गया।वर्ष के दौरान, कर्मचारियों और अधिकारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें नकद प्रोत्साहन के साथ पुरस्कृत किया गया साथ ही विजेताओं को गणतंत्र दिवस 2018 के अवसर पर सम्मानित किया गया। हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए कंपनी की सभी इकाइयों में नियमित रूप से तथा समय समय पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। कार्यशाला को आकर्षक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कंपनी के बाहर से हिंदी के अच्छे अच्छे वक्ताओं को हिन्दी कार्यशाला में आमंत्रित किया जाता है। वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी द्वारा आयोजित उत्कृष्ट हिंदी कार्यशाला को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूसीआईएल ने यह पुरस्कार लगातार पांचवी बार प्राप्त किया है।

19.0 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स अग्रवाल रमेश कुमार ऐंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 14 आरजेएस बिल्डिंग, प्रथम तल्ला, डायग्नल रोड, बिस्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड–831001 को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

20.0 लागत लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 बी के तहत मेसर्स एस कर्मकार ऐंड कंपनी कॉस्ट अकाउंटेंट्स को लागत अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। जैसा कि लागत लेखांकन रिकॉर्ड्स नियम 2011 के तहत बताया गया है, कंपनी द्वारा लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट बरकरार रखा जा रहा है साथ ही वर्ष 2016–17 के लिए लागत अंकेक्षण रिपोर्ट भी भरा गया है।

21.0 सतर्कता

संगठन के निर्धारित नियमों और विनियमों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करके आपकी कंपनी निवारक सतर्कता के एक उच्च मानक को बरकरार रखती है। सीवीसी के दिशानिर्देश जब भी प्राप्त होते हैं, उन्हें सख्ती से कार्यान्वित

किया जाता है।सभी प्रकार के निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और साथ ही सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) पर भी दिया जाता है।

वर्ष के दौरान, आवधिक रिपोर्ट/रिटर्न केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। पारदर्शिता में सुधार के लिए, "इंटीग्रिटी पैक्ट" के साथ ही आपकी कंपनी के लिए धोखाधड़ी निरोधक नीति/व्हीसल ब्लोअर नीति जिसे कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और इसे कार्यान्वित किया गया है।

श्री संजय बांगा, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड (आईआरईएल) को यूसीआईएल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं।

यूसीआईएल में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

22.0 निदशकों की नियुक्ति :

निदेशकों के नाम	दिनांक.....से प्रभावी
डा. दिनेश श्रीवास्तव चीफ एक्जीक्यूटिव न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स	27.02.2018
श्री एम बी वर्मा निदेशक, एएमडी	08.05.2018
श्री सुधीर त्रिपाठी आईएएस, प्रधान सचिव झारख्गड सरकार	08.05.2018

निदेशकों का समापन:

श्री जी. कल्याणाकृष्णन चीफ एक्जीक्यूटिव, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स	31.01.2018
श्री एल के नन्दा निदेशक, एएमडी	30.04.2018

निदेशकगण श्री जी कल्याणकृश्णन, चीफ एक्जीक्यूटिव, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स और एल के नंदा, निदेशक, एएमडी द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य सेवाओं के लिए उनकी सराहना करते हैं।

23.0 दृष्टिकोण

आपकी कंपनी ने देश के विकासशील परमाणु कार्यक्रम के लिए परमाणु ईंधन की निरंतर आपूर्ति को समर्थन और रखरखाव के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी ने डिबट्लनेकिंग गतिविधियों, मौजूदा इकाईयों की क्षमता में वृद्धि करने और नये उत्पादन इकाइयों की स्थापना के माध्यम से ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विस्तृत योजना की रूपरेखा तैयार की है। तुम्मलापल्ले संयंत्र की कमीशनिंग देश के यूरेनियम उत्पादन में बहुआयामी वृद्धि के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तुम्मलापल्ले के आसपास क्षमता विस्तारण और नई खानों एवं संयंत्रों के निर्माण की योजना भी बनाई गई है। आपकी कंपनी ने अगले पंद्रह वर्षों में देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बहुमूल्य वृद्धि के लिए डीएई की महत्वाकांक्षी योजना के अनुरूप यूरेनियम उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई खानों और संयंत्रों की स्थापना के लिए कई नए क्षेत्रों की पहचान की है।

स्थानीय आबादी की सेवा और उनके जीवन में परिवर्तन लाना हमेशा से आपकी कंपनी का मार्गदर्शी दर्शन रहा है। राजस्थान में रोहिल, कर्नाटक में गोगी–कंचनकाई, मेघालय में केपीएम और तेलंगाना में पेडागटटू और चित्रियाल में कंपनी के संभावित उत्पादन केंद्रों के आसपास रहनेवाले स्थानीय निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं तथा यूरेनियम खनन के दुष्प्रभावों के मिथकों को दूर करने की दिशा में प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है।

24.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशकों का कहना है कि

(i) वार्षिक लेखा की तैयारी में, माल को भेजने के संबंध में उचित स्पश्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ii) आपके निदेशकों ने उन्हीं लेखा नीतियों का चयन किया है और इसे संगतरूप से अपनाया है तथा इसके साथ न्याय एवं मूल्यांकन किया है जो कि विवेकसंगत तथा न्यायपूर्ण हैं जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में तथा उसी अवधि में कंपनी के लाभ या हानि के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।

(iii) आपके निदेशकों ने आपकी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अभिलेखा रखने में मुख्य रूप से सावधानी बरता है।

(iv) आपके निदेशकों ने "चालू समुत्थान" के आधार पर

वार्षिक लेखा तैयार किया है।

आपके निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार किए हैं और यह प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी तरीके से काम कर रही थी।

25.0 आभार प्रदर्शन

आपकी कंपनी परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नाभिकीय ईंधन समिश्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, झारखंड सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार, राजस्थान सरकार, मेघालय सरकार, कर्नाटक सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अन्य मंत्रालयों और भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संवैधानिक लेखापरीक्षकों और मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड –4, नई दिल्ली, बैंकर्स एवं सभी अन्य एजेंसियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी कंपनी से संबंधित हैं, द्वारा प्राप्त निरंतर मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करती है। आपकी कंपनी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर माइनिंग ऐंड फ्यूल रिसर्च, धनबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स ऐंड ग्राउंड कंट्रोल, कोलार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर और इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से प्राप्त प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता की दिशा में वैज्ञानिक और अभियंत्रण सहयोग की भी बेहद प्रशंसा करती है। आपकी कंपनी, कर्मचारियों की ईमानदारी और कड़ी मेहनत, कर्मचारी संघों और कंपनी के अधिकारियों के एसोसिएशन और यूसीआईएल की इकाईयों के आसपास निवास करने वाले समुदायों, स्थानीय मीडिया, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय के विशिश्ट नागरिकों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी आभार प्रकट करती है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सी के आसनानी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुंबई

दिनांकः 19.09.2018

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के अंतर्गत आवश्यक विवरण

अ) ऊर्जा का संरक्षण

क) ऊर्जा के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू / कार्यान्वित किया गया

i) एलईडी लाइटिंग फिक्सचर्स का उपयोग।

ii) भूमिगत खानों में एलईडी बल्ब का संस्थापन।

iii) ऊर्जा कुशल एलईडी ट्यूब लाइट का उपयोग।

iv) सोलर स्ट्रीट लाइट का संस्थापन। (34 वाट के 4 संख्या)

ख) ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए अतिरिक्त निवेश के साथ निम्नलिखित प्रस्तावों को लागू किया जा रहा हैं :

i) ऊर्जा कुशल मोटर्स का उपयोग।

ii) एलईडी लाइटिंग फिक्सचर्स का उपयोग।

iii) सोलर स्ट्रीट लाइट्स का संस्थापन।

iv) कंप्रेसर मोटर के कूलिंग टॉवर में वीवीवीएफ ड्राइव का संस्थापन।

ग) (क) और (ख) उपायों को अपनाएं जाने के बाद प्रभाव

(क) और (ख) में उठाए गए उपायों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि संबंधित क्षेत्रों में बिजली की खपत में धीरे–धीरे कमी आएगी।

विदेशी मुद्रा अर्जित एवं इस्तेमाल किया गया

आपकी कंपनी किसी भी निर्यात व्यापार में संल्गन नहीं है । हालांकि, सी.आई.एफ आधार पर वर्ष के दौरान स्पेयर, पूंजीगत वस्तु की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया विदेशी मुद्रा रुपया 79.34 लाख (गतवर्ष रुपया 950 लाख) था ।

विदेशी मुद्रा का अर्जन और उपयोग :

आपकी कंपनी किसी भी निर्यात कारोबार में संलग्न नहीं है। तथापि, सीआईएफ आधार पर वर्ष के दौरान कलपुर्जों, पूंजीगत वस्तुओं आदि की खरीद के लिए 79.34 लाख रुपये (पिछले वर्ष 950 लाख रुपये) विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया।

प्रपत्र– बी

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी को अपनानेके संबंध में विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र:

अनुसंधान एवं विकास (आर ऍंड डी) :

विशेष क्षेत्र जहां अनुसंधान एवं विकास कार्य किया गया :

क) तुरामडीह में आयन विनिमय के अपशिष्ट पुनर्नवीनीकरण प्रवाहसे 50 प्रतिशत यूरेनियम की पुनः प्राप्ति के लिए पायलट अध्ययन पूरा करना।

उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ :

(I) परियोजना के कार्यान्वयन से प्रसंस्करण संयंत्र में यूरेनियम पुनःप्राप्ति प्रक्रिया के दौरान होनेवाले यूरेनियम के नुकसान को और कम करने में मदद मिली।

भावी योजना की रूपरेखा

अ) जादूगोडा प्रसंस्करण संयंत्र में आयन विनिमय के अपशिश्ट पुनर्नवीनीकरण प्रवाहसे यूरेनियम पुनः प्राप्ति के लिए इसी प्रकार की आर ऍंड डी गतिविधि का कार्यान्वयन।

आर ऍंड डी पर व्यय

(अ) पूंजी शून्य	Nil
(ब) राजस्व	180.88 लाख रु.
कुल	**180-88 लाख रु**

प्रौद्योगिकी समावेश, अनुकूलन तथा नवोन्वेशण

आपकी कंपनी अवशेष निपटान की एक नई विधि पर काम कर रही है जैसे यूरेनियम टेलिंग्स के सर्फेस ट्रेंच डिस्पोजल के पास, जिसमें खनन पट्टा सीमा क्षेत्र के भीतर रिक्त अधिकृत क्षेत्रों का उपयोग शामिल है। अवशेश निपटान के इस तरीके से सफल कार्यान्वयन से भूमि के प्रभावी उपयोग, रखरखाव में आसानी और अवसंरचना की निगरानी, कम परिवहन लागत, बिजली की खपत में कमी और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदूषण फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। एईआरबी की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद, तुम्मलापल्ले में पायलट स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है।

आपकी कंपनी राजस्थान में रोहिल यूरेनियम डिपोजिट के लिए अधिकतम यूरेनियम रिकवरी और बाय–प्रोडक्ट की पुनःप्राप्ति के उद्देश्य से अध्ययन करने में भी शामिल है।

शेयरधारकों के लिए निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–II

निगमित अभिशासन

आपकी कंपनी उच्च स्तरीय पारदर्शिता, जवाबदेही तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्य निष्ठा को प्राप्त करते हुए पेशेवर तथा बेहतरीन कॉर्पोरेट अभिशासन में विश्वास करती है तथा अपने प्रयासों को इस दिशा में जारी रखी है ।

निदेशक मंडल:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के संदर्भ में, यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है। इसकी समस्त अभिदत्त पूंजी भारत के राष्ट्रपति के पास है, तथा इसके 3 शेयर उनके द्वारा नामजद व्यक्तियों के पास है :

निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का उचित सम्मिश्रण है। बोर्ड में दस निदेशक हैं जिनमें शामिल हैं (i) तीन पूर्णकालिक कार्यरत निदेशक अर्थात, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) और (ii) सात अंशकालिक गैर–कार्यकारी निदेशक। बोर्ड की बैठक नियमित अंतराल पर होती है और यह कंपनी के उचित निर्देशन एवं प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी है।

मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकें 19.07.2017, 23.09.2017, 03.11.2017 और 12.01.2018 को आयोजित की गई। निदेशक मंडल की संरचना, बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक / अतिरिक्त साधारण आम बैठक में उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है –

31-03-2018 को नाम और पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक		23-09-2017 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		
कार्यकारी निदेशक					
श्री सी.के.असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	क्रियाशील	04	04	हाँ	-
श्री देबाशीश घोष निदेशक (वित्त)	क्रियाशील	04	04		-
गैर - कार्यकारी निदेशक					
श्री एम.ए. इंबारसु, संयुक्त सचिव (आईऐंडएम),डीएइ	अंशकालीन पूर्व–पदेन	04	04	हाँ	
श्री जी कल्याणकृष्णन मुख्य कार्यकारी, एनएफसी (31-0 1-2018 तक)	अंशकालीन	04	03	–	-
श्री एल.के. नंदा निदेशक, एएमडी (30-04-2018 तक)	अंशकालीन	04	03	–	-
डॉ के. उमामहेश्वर राव, निदेशक, एनआईटी, सुरतकल	अंशकालीन	04	03	–	-
श्री आर. बी चक्रवर्ती, पूर्व–उप महानिदेशक खान सुरक्षा, (पूर्व डीडीजीएमएस)	अंशकालीन	04	04	–	-

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है । अंशकालिक निदेशकों के संबंध में, जो या तो सरकारी अधिकारी हैं या अन्य पीएसयू के अधिकारी होते हैं, उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाता हैं । स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठक तथा कमिटी बैठकों में भाग लेने के लिए सिटिंग फीस के रुप में 10,000रुपये का भुगतान किया जा रहा है और आकस्मिक घटना के लिए 1000रुपये प्रति दिन के रुप में अधिकतम 2 दिन का प्रतिपूर्ति की जाती है ।

लेखा परीक्षा समिति :

आपकी कंपनी के बोर्ड ने लागू कानूनों के अनुसार, एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया हैं। वित्तीय वर्ष मार्च 2018 के समाप्ति में चार बैठकें कमिटी द्वारा 19.07.2017,22.09.2017,22.01.2017 और 14.03.2018 को की गयी है ।

31.03.2018 को अंकेक्षण समिति की संरचना निम्नानुसार थी ।

1. श्री आर. बी. चक्रवर्ती, पूर्व डीडीजीएमएस : अध्यक्ष
2. डा. के यू एम राव, निदेशक एनआईटीके, सूरथकल : सदस्य
3. श्री एम बी वर्मा, निदेशक एएमडी : सदस्य
4. डा. दिनेश श्रीवास्तव, सीई,एनएफसी : सदस्य

यूसीआईएल के कंपनी सचिव, उपरोक्त समिति के सचिव के रुप में कार्य करेंगे ।

समिति ने वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा की समीक्षा की, साथ ही आंतरिक लेखा परीक्षक और संवैधानिक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की भी समीक्षा की ।

पारिश्रमिक समिति :

31.03.2018 को पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नानुसार थी :

1. श्री आर. बी. चक्रवर्ती, पूर्व डीडीजीएमएस : अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यकारी, एनएफसी
3. श्री देवाशीष घोष, निदेशक (वित्त), यूसीआईएल
4. निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल

यूसीआईएल के कंपनी सचिव, उपरोक्त समिति के सचिव के रुप में कार्य करेंगे ।

आचरण नियमावली

कंपनी के पास अपनी आचरण नियमावली है जो बोर्ड के सदस्यों के साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है ।

इंटीग्रिटी पैक्ट सहित जालसाजी निरोधक नीति / व्हीसल ब्लोअर नीति बोर्ड के द्वारा अनुमोदित है और यह कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

सामान्य निकाय बैठकें :

पिछले तीन वर्षो के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकों / असाधारण आम बैठकों की संख्या इस प्रकार है ।

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2016-17 (एजीएम)	23.09.2017	13.00 बजे	शिलांग
2015-16 (एजीएम)	23.09.2016	12.30 बजे	कोलकाता
2014-15 (एजीएम)	30.09.2015	12.30 बजे	कोलकाता

फार्म संख्या एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी (एनवल रिटर्न) का सार

31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार
कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी नियम 12 (1) की धारा 92 (3) के अनुसरण में
(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014

I निबंधन एवं अन्य विवरण

i)	सी. आई. एन	(सी. आई. एन. :यू 12000 जे एच 1967 जीओआई 000806)
ii)	निबंधन तिथि	04/10/1967
iii)	कम्पनी का नाम	यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv)	कम्पनी का वर्ग/उप–वर्ग	सरकारी कंपनी
v)	निबंधित कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	पो. ओ. जादुगोड़ा माईन्स जिला पूर्वी सिंहभूम झारखण्ड – 832102, फोन : 0657–2730122/222/353 फेक्स : 0657–2730322
vi)	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii)	निबंधक एवं ट्रांसफर एजेंट अगर कोई हो, का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	अप्रयोज्य

II कंपनी की मुख्य व्यवसाय गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक योगदान का वर्णन किया जाएगा ।

क्रम. सं.	मुख्य उत्पादो/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एन.आई. सी. कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	U_3O_8 यूरेनियम अयस्क का खनन एवं संसाधन	अप्रयोज्य	100

कंपनी पूर्णरुप से भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में है

शेयरधारिता विवरण

भारत के राष्ट्रपति के पास शेयर	18156175
सरकारी प्रत्याशियों के पास शेयर	03
शेयरों की कुल संख्या (अंकित मूल्य 1000 रुपये प्रत्येक)	**18156178**

ऋण

	31.03.2018	31.03.2017
		लाख रुपए में
सुरक्षित ऋण (सावधि जमापर ओवरड्राफ्ट)	–	–
असुरक्षित ऋणः		
एस.बी.आईजादूगोडा से अल्पकालीनसीसी	–	54022.18
एन.पी.सी.आई.एल से ऋण	10000.00	10000.00
कुल ₹	**10,000**	**64022.18**

धारा 149 (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति 01.09.2016 के प्रभाव से हुई थी और धारा 149 (6) के अंतर्गत परिकल्पित स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा का अनुपालन किया गया है।

धारा 134 (1) के तहत बोर्ड और निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन

यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है जहां निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती हैं। पारिश्रमिक आदि का निर्णय डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार लिया जाता है। निदेशकों का कार्य काल भी सरकार के द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा, यूसीआईएल एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत बोर्ड एवं निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ–साथ निदेशकों की नियुक्ति की नीति एवं शर्तों के निर्धारण जिसमें शामिल है योग्यता, सकारात्मक विशेषताएं इत्यादि के लिए मानदंड के साथ पारिश्रमिक नहीं दिया गया, क्योंकि सरकारी कंपनी कोइ न प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) के तहत प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

i) श्री सी के असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ii) श्री देबाशीश घोष, निदेशक (वित्त)

iii) श्री बीसी गुप्ता, कंपनी सचिव

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निशेध (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत खुलासे के लिए वांछित जानकारी वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए शून्य है।इसलिए, कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 134 (3) (एच) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 (2) के तहत वाछिंत बोर्ड के प्रतिवेदन के साथ फॉर्म एओसी–2 संलग्न नहीं है।सेवाएं प्राप्त करने के संबंध मे ंसंबंधित पार्टी के खुलासे का उल्लेख वार्षिक लेखा के नोट्स 34 के अंतर्गत किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

यूसीआईएल मानती है कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में जोखिम निहित है और कंपनी के तात्कालिक एवं भावी सफलता के लिए जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन महत्व पूर्ण है। कंपनी के पास एक ऐसी प्रणाली है जो जोखिमों की देख–रेख, वस्तु गत कारोबार जोखिमो ंका प्रबंधन और कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में भी मदद करती है।

अनुलग्नक-III

मामलों पर जोर के अनुच्छेद ''एफ'' और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक II के अनुच्छेद 1 (बी) पर टिप्पणियां।

अनुच्छेद ''एफ'' में लेखा परीक्षक द्वारा बताया गया है कि:

अनुच्छेद–एफः ''कंपनी के अंकेक्षण के दौरान, यह पाया गया है कि कंपनी की नीति में परिभाषित कार्य–क्षेत्रके दायरे के अनुरूपआंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन नहीं किया गया। कार्य–क्षेत्र के दायरे के अनुसार, सभी इकाइयों के लिए त्रैमासिक आंतरिक लेखा परीक्षा का आयोजन किया जाना था, लेकिन पहली तिमाही में यह केवल जादूगोडा के लिए, दूसरी तिमाही में तुरामडीह, तीसरी तिमाही में तुम्मलापल्ले के लिए किया गया और इन अंकेक्षणों में लेखांकन और वित्तीय मामलों से संबंधित किसी भी क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, लेखांकन और वित्तीय मामलों से संबंधित प्रमुख क्षेत्र बिना जांच/बिना अंकेक्षण के रह गया।

अनुलग्नक II का अनुच्छेद 1 (बी) में लेखापरीक्षक द्वारा बताया गया है कि:

अनुलग्नक–II का अनुच्छेद बीः ''अचल संपत्तियों को स्वतंत्र पेशेवरों द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम में भौतिक रूप से सत्यापित किया जाता है, जिसकी रूपरेखा तीन साल की अवधि में सभी वस्तुओं को कवर करने के लिए तैयार की गयी हैं, जो, हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुसार उचित है। हालांकि, कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान स्वतंत्र पेशेवरों द्वारा अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।''

यह प्रस्तुत किया गया था कि लेखापरीक्षा समिति द्वारा आमंत्रित आंतरिक लेखा परीक्षक, जिन्होंने अपनी स्पष्टीकरण पेश करते हुए कहा था कि संबद्धता पत्र में निर्धारित कार्य–क्षेत्र दायरे के अनुसारआंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी और समय–समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट उनके द्वारा जमा की गई थी। वर्ष 2017–18 के लिए उनके द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी किया गया था। आंतरिक लेखा परीक्षक ने वर्ष 2017–18 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अचल संपत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

लेखापरीक्षा समिति के साथ–साथ बोर्ड इन निष्कर्षों से सहमत नहीं थी, जैसा कि लेखा परीक्षक द्वारा 10 अगस्त, 2018 को मुंबई में आयोजित बैठक में बताया गया था।

प्रमुख विशिष्टताएँ

अनुलग्नक-I

(लाख ₹ में)

विवरण	2017-18	2016-17	2016-17 की तुलना में वृद्धि/(ह्रास)	2016-17 की तुलना में वृद्धि/(ह्रास) % में
(क) परिचालन परिणाम				
टर्नओवर	178273.98	126598.72	51,675.26	40.82
सकल आय	179195.10	127270.50	51,924.60	40.80
सकल व्यय	166785.24	1,06,349.38	60,435.86	56.83
सकल लाभ	12409.86	20921.12	(8,511.26)	(40.68)
कर पश्चात शुद्ध लाभ	10672.85	12732.79	(2,059.94)	(16.18)
(ख) वर्ष के अंत की वित्तीय स्थिति				
शेयर पूंजी	181561.78	161561.78	20,000.00	12.38
अन्य इक्विटी	84558.58	55031.54	29,527.04	53.65
नियोजित पूँजी	2,82,015.99	2,33,162.09	48,853.90	20.95
निवल मालियत	2,66,120.36	2,16,593.32	49,527.04	22.87
सकल निरुद्ध परिसम्पति	242289.03	238699.06	3,589.97	1.50
मूल्य ह्रास	41366.81	21647.87	19,718.94	91.09
नेट ब्लाक	200922.24	217051.19	(16,128.95)	(7.43)
सम्पति सूची	33823.80	51622.41	(17,798.61)	(34.48)
(ग) लाभप्रदत्ता एवं अन्य अनुपात				
(I) प्रतिशतता :				
बिक्री में सकल लाभ/हानि	6.96%	16.53%		
बिक्री में शुद्ध लाभ/हानि	5.99%	10.06%		
निवल मालियत में सकल लाभ/हानि	4.66%	9.66%		
निवल मालियत में शुद्ध लाभ/हानि	4.01%	5.88%		
नियोजित पूँजी में सकल लाभ/हानि	4.40%	8.97%		
नियोजित पूँजी में शुद्ध लाभ/हानि	3.78%	5.46%		
इकाई पूँजी में सकल लाभ/हानि	6.84%	12.95%		
बिक्री में माल सूची	18.97%	40.78%		
नियोजित पूँजी में बिक्री	63.21%	54.30%		
(ii) लाभप्रदत्ता एवं अन्य अनुपात:				
मौजूदा देनदारियों के लिए वर्त्तमान सम्पति	1.64 : 1	0.82 : 1		
मौजूदा देनदारियों के लिए त्वरित सम्पति	1.12 : 1	0.43 : 1		

कम्पनी की वित्तीय स्थिति

31 मार्च 2018 तथा 2017 का संक्षिप्त तुलन पत्र

अनुलग्नक-II

(लाख ₹ में)

	विवरण	2017-18	2016-17	2016-17 की तुलना में वृद्धि/(ह्रास)
1.	**कम्पनी का स्वामित्व**			
(क)	**अचल परिसंपति**			
	सकल ब्लॉक	242289.03	238699.06	3,589.97
	घटाया: संचित मूल्यह्रास	41366.81	21647.87	19,718.94
	नेट ब्लॉक	200922.24	217051.19	(16,128.95)
	अमूर्त परिसम्पतियाँ	9674.49	14160.24	(4,485.75)
	अन्य दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (वित्तीय एवं गैर वित्तीय) गैर मौजूदा संपत्तियों सहित	1947.72	1,894.39	53.33
	प्रगतिशील पूँजीगत कार्य/स्टॉक	28111.44	24,223.10	3,888.34
	उप-योग (क)	**2,40,655.89**	**2,57,328.93**	**16,673.04**
	चालू परिसंपति			
	(I) सम्पति सूची	33823.80	51,622.41	(17,798.61)
	(II) प्राप्ति योग्य व्यापार	63295.06	49,097.88	14,197.18
	(III) ऋण एवं अन्य वित्तीय सम्पतियाँ	3451.61	3268.18	183.43
	IV) नकद और बैंक अधिशेष	2861.57	2,476.01	385.56
	(V) अन्य चालू सम्पतियाँ	2988.11	2,998.07	(9.96)
	उप-योग (ख)	**1,06,420.15**	**1,09,462.55**	**(3,042.40)**
	कुल {1(क+ख)}	**3,47,076.04**	**3,66,791.47**	**(19,715.43)**
	कम्पनी का स्वामित्व			
(क)	गैर वित्तीय देनदारियाँ, सेवाओं, चालू देनदारियाँ तथा अन्य प्रावधानों के लिए	73191.68	1,41,224.15	(68,032.47)
(ख)	कम्पनी की शुद्ध मालियत			
	इक्विटी शेयर पूर्जी	181561.78	1,61,561.78	20,000.00
	अन्य ईक्विटी	84558.570	55,031.54	29,527.03
	उप-योग (ख)	**2,66,120.35**	**2,16,593.32**	**49,527.03**
(ग)	**आस्थागित कर दायित्व (ग)**	**7764.01**	**8,974.00**	**(1,209.99)**
	कुल {2 (1(क+ख+ग)}	**3,47,076.04**	**3,66,791.47**	**(19,715.43)**

कम्पनी की आय तथा व्यय का लेखा

31 मार्च 2018 तथा 2017 का संक्षिप्त लाभ एवं हानि

अनुलग्नक-III

(लाख ₹ में)

क्र. स.	विवरण	2017-18	2016-17	2016-17 की तुलना में वृद्धि/(ह्रास)
1.	**कम्पनी की आय**			
	(क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रा को अधिग्रहण से	177991.64	1,25,374.29	52,617.35
	(ख) गौण उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	282.34	1,224.43	(942.09)
	(ग) अन्य प्राप्तियाँ	921.12	671.78	249.34
	उप-योग	**1,79,195.10**	**1,27,270.50**	**51,924.60**
	(घ) अंतिम स्टॉक में वृद्धि/ह्रास	(19,419.98)	1,975.34	(21,395.32)
	कुल (1)	**1,59,775.12**	**1,29,245.84**	**30,529.28**
2.	**कम्पनी द्वारा भुगतान तथा व्यवस्था**			
	(क) उपभुक्त सामग्री का मूल्य	17335.53	8,874.09	8,461.44
	(ख) कर्मचारी हित में खर्च	40739.45	30,166.57	10,572.88
	(ग) वित्तीय लागत (ब्याज पर ब्यय)	3871.49	6,421.10	(2,549.61)
	(घ) मूल्यह्रास और ऋण शोधन पर व्यय	21962.66	13,679.46	8,283.20
	(ड़) अन्य व्यय	63456.13	49,183.50	14,272.63
	कुल (2)	**1,47,365.26**	**1,08,324.72**	**39,040.54**
3.	**समायोजन पूर्व कम्पनी का सकल लाभ (1-2)**	12,409.86	20,921.12	(8,511.26)
	घटायाः आयकर के लिए प्रावधान (आस्थागित कर सहित)	1737.01	8,188.33	(6,451.32)
4	शुद्ध लाभ	10,672.85	12,732.79	(2,059.94)
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	(425.30)	(175.54)	(249.76)
5	वर्ष के लिए व्यापक आय	10,247.55	12,557.25	(2,309.70)

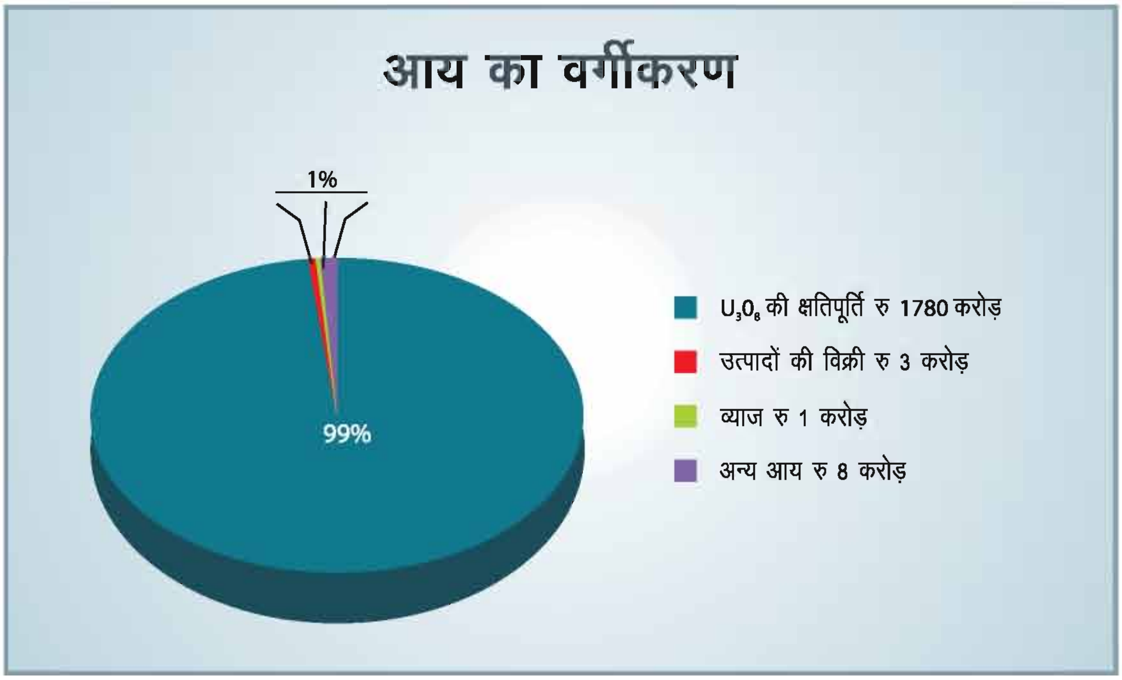
आय का वर्गीकरण
1%
99%
U_3O_8 की क्षतिपूर्ति रु 1780 करोड़
उत्पादों की विक्री रु 3 करोड़
व्याज रु 1 करोड़
अन्य आय रु 8 करोड़

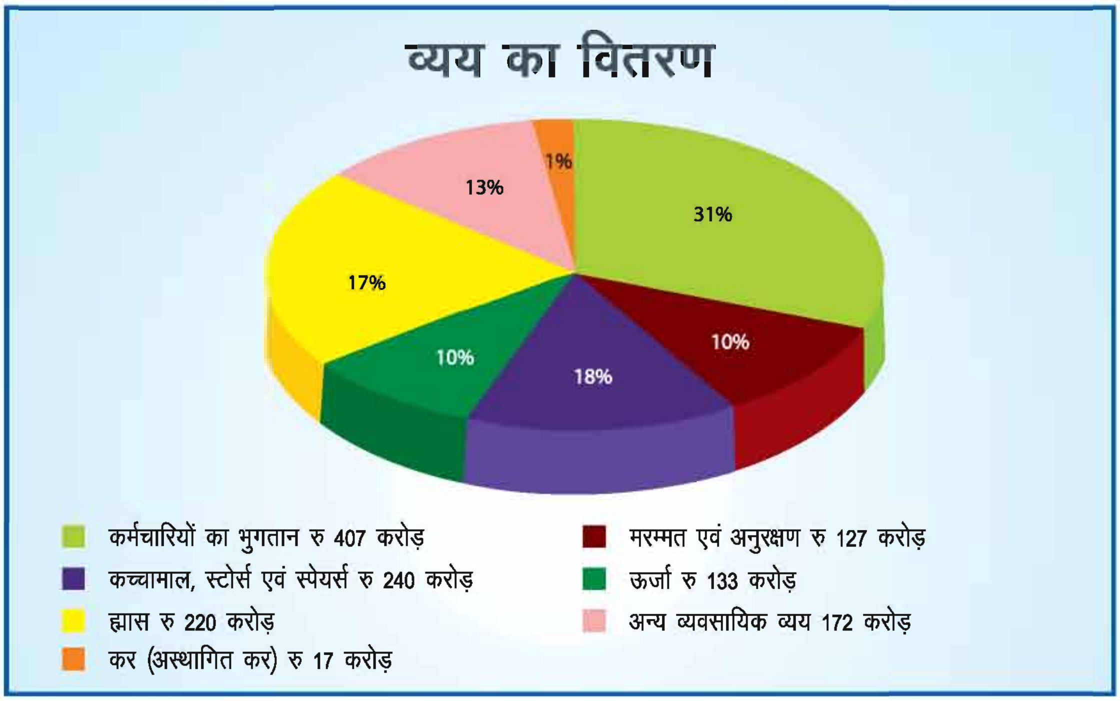
व्यय का वितरण
1%
13%
31%
17%
10%
18%
10%
कर्मचारियों का भुगतान रु 407 करोड़
मरम्मत एवं अनुरक्षण रु 127 करोड़
कच्चामाल, स्टोर्स एवं स्पेयर्स रु 240 करोड़
ऊर्जा रु 133 करोड़
ह्रास रु 220 करोड़
अन्य व्यवसायिक व्यय 172 करोड़
कर (अस्थागित कर) रु 17 करोड़

आय में वृद्धि
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
₹ करोड़ में
415
543
760
707
855
814
890
1,025
1,273
1,792
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
वर्ष

निवल मालियत नेटवर्थ
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
₹ करोड़ में
137
1078
170
1348
241
1440
287
1440
357
1440
365
1470
361
1540
426
1565
550
1616
846
1816
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
इक्विटी
आरक्षित एवं अधिशेष

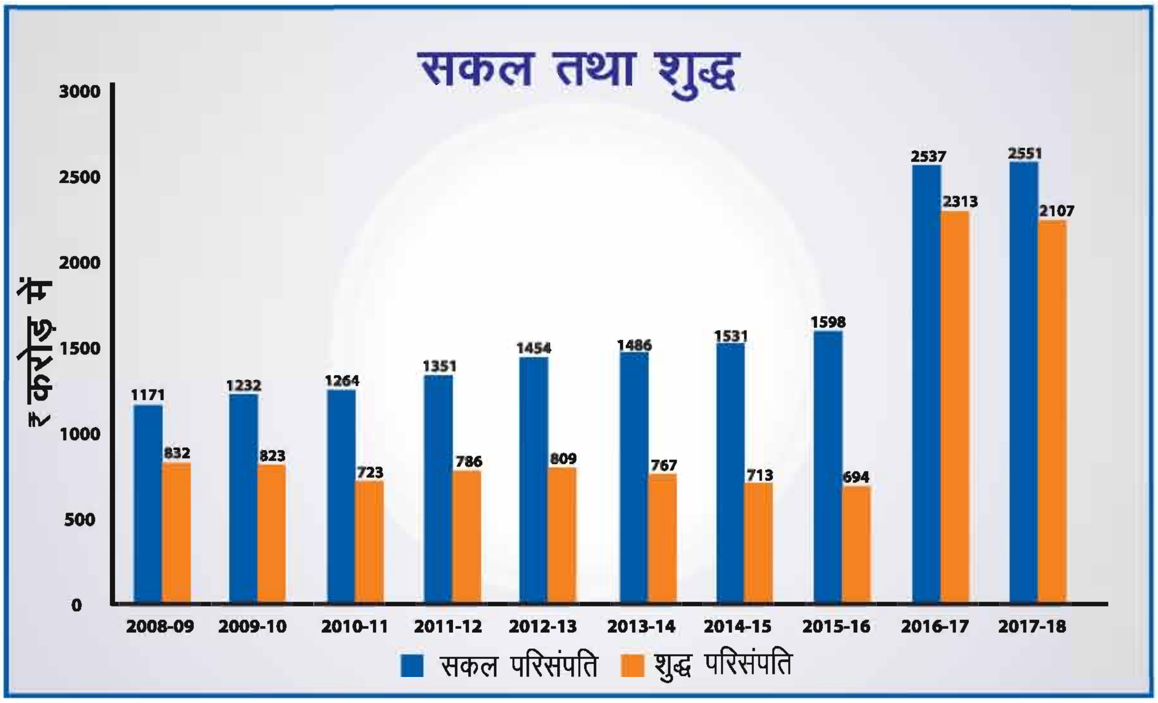
सकल तथा शुद्ध
₹ करोड़ में
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1171
832
1232
823
1264
723
1351
786
1454
809
1486
767
1531
713
1598
694
2537
2313
2551
2107
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
सकल परिसंपति
शुद्ध परिसंपति

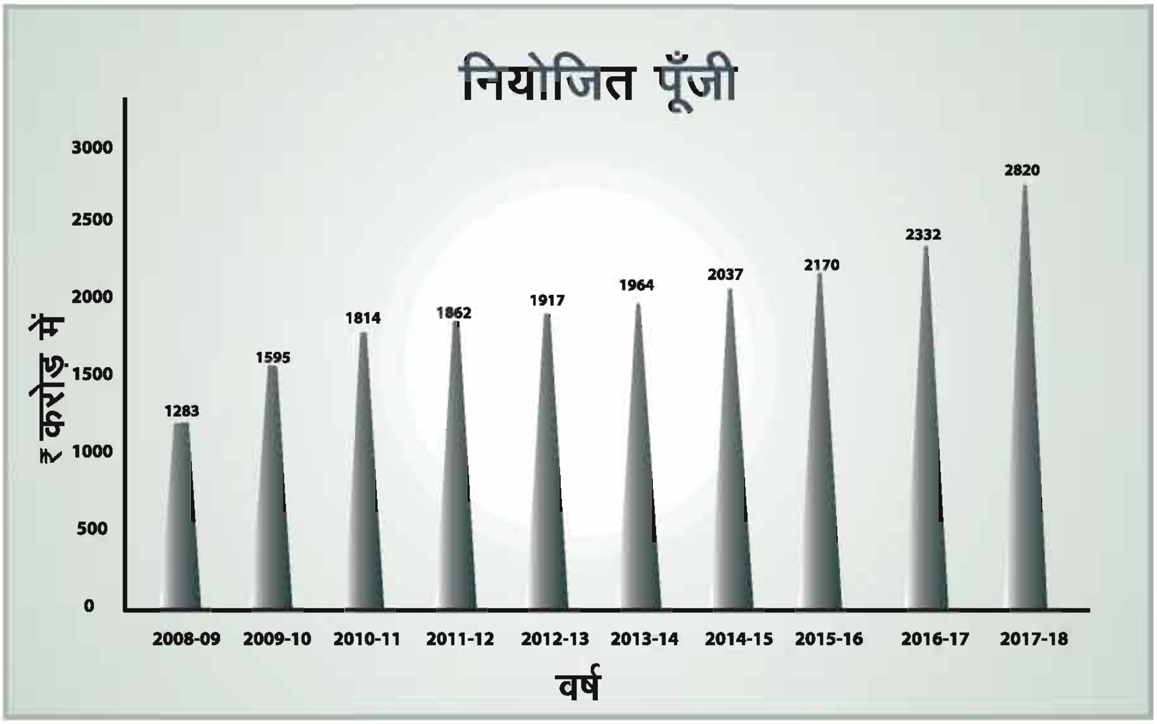
नियोजित पूँजी
₹ करोड़ में
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1283
1595
1814
1862
1917
1964
2037
2170
2332
2820
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
वर्ष

किसान पत्रिकायों का वितरण

चिकित्सा शिविर

अग्रवाल रमेश के. एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

जादुगोड़ा

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के संलग्न वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया जिसमें 31 मार्च 2018 का तुलनपत्र, लाभ हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), कैश फ्लो और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव से संबंधित विवरण तथा अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांस ग्रह एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल है। (कृपया स्वतंत्र भारतीय लेखामान के वित्तीय विवरण पढ़ें)।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में बताए गए मामालें के लिए जिम्मेदार है। इन स्वतंत्र भारतीय लेखामान के वित्तीय की तैयारी के संदर्भ में जिनके द्वारा वस्तु स्थिति, अन्य व्यापक आमदनी सहित हानि और लाभ, नकदी, प्रवाह तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्त न भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा नियम के अनुसार हो, जिसे 2014 के कंपनीज रूल्स के नियम 7 के साथ कानून की धारा 133 के तहत वर्णित किया गया है, लेखामान क एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस उत्तरदायित्व के तहत उचित लेखा रिकॉर्ड्स के रखरखाव तथा नियम के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम तथा पता लगाने, उचित लेखा नीतियों के चुनाव तथा इस्तेमाल, निर्णय आकलन करना जो विवेकपूर्ण तथा उचित हो तथा उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रूपरेखा कार्यान्वयन तथा रख–रखाव, जो लेखा विवरणों की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु सक्षमता से इस्तेमाल हो रहे थे, जो स्वतंत्र भारतीय लेखामान के वित्तीय विवरण के अनुरूप हो, जो धोखे से अथवा जान बूझ कर किसी भी प्रकार के वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त हो और स्वतंत्र भारतीय लेखामानकों के वित्तीय विवरण के अनुरूप तैयार तथा प्रदर्शित किए गए हो।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व है कि हम अपने अंकेक्षण के आधार पर इन स्वतंत्र भारतीय लेखा मानकों पर राय व्यक्त करें। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और अंकेक्षण मानकों सहित उन मामलों को ध्यान में रखा है जो जरूरी है, जिसे अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट और इसके तहत बनाए गए नियम में शामिल किया गया है तथा अधिनियम की धारा 143 (11) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया ।

हमने स्वतंत्र भारतीय लेखामानक के अपने ऑडिट का आयोजन अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाते तथा आयोजित करते समय यह सुनिश्चित करे कि स्वतंत्र भारतीय लेखामानक

गलतबयानी से मुक्त हो एवं ऑडिट के अंतर्गत स्टैण्डआलोन भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के वित्तीय विवरण प्रकटीकरण तथा आकड़ों के बारे में ऑडिट साक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों में वस्तुओं के गलत विवरण के जोखिम का निर्धारण भी शामिल किया गया है चाहे जालसाजी या गलती से हो। इन जोखिमों का निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी के आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करता है और वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण में लेखा – परीक्षा प्रक्रिया को भी अपनाया है जो कि परिस्थितियों के अनुसार उचित है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल लेखाकंन नीतियों का उचित मूल्यांकन एवं कंपनी प्रबंधन तैयार किया गया लेखांकन आंकलन एवं साथ ही साथ (Ind AS) वित्तीय विवरण के सभी पहलुहों के प्रस्तुतीकरण का मूल्याकंन शामिल रहता है।

हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा जो लेख परीक्षण किया गया है वह हमारे विश्वासों का न्यायसंगत आधार प्रस्तुत करता है।

विचार - हमारी राय में प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम के अनुसार सच्ची एवं स्पष्ट तसवीर पेश करती है चूँकि भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन पद्धतियों के साथ मेल खाती है और यह वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक स्थिति तथा लाभ – हानि एवं नकद प्रवाह को दर्शाती है।

मामले की अवधारणा - हम बिना अपनी राय को सीमित किए मामले की ओर ध्यानाकृष्ट करते है।

क) दो जॉब से कुल लागत के बागजाता माइंस के सम्बन्ध में प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य से सम्बन्धित लेखे की टिप्पणी 4(घ) में (i) डिजाइनिंग सिकिंग लाइनिंग कार्य संयंत्र 375 m गहराई, 5 m ड्रायमीटर वर्टिकल शाफ्ट जिसका मूल्य 2059.22 लाख रूपये तथा (ii) पुराने 560 kw वाइंडर और हेड फ्रेम का रिफरबिशिंग डिजाइन, इरेक्शन और पूर्ण कमीशिनिंग सहित मूल्य 100 लाख रूपये की कुल लागत 2159.22 लाख रुपये वाले वाइंडर सिस्टम जिसे 4254.39 लाख रुपये लागत वाले प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य मे शामिल किया गया है। ठेकेदार को कार्य दिया गया और ठेकेदार कार्य को विस्तारित तारीख 31/12/2014 तक कार्य को पूरा करने में असफलता रहा। कंपनी ने EMD 247.61 लाख रूपये जो कि बैंक गारेंटी के रूप में ली थी उसकी अवधि 14/01/2015 को समाप्त हो गई। लंबित कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2159.22 लाख रूपये का है जो कि किसी विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकित कर नियमानुसार व्यवहार किया जायेगा।

ख) वर्ष 2015 – 16 एवं 2016 7 17 की दर पर यूरेनियम सांद्र की क्षतिपूर्ति के राजस्व की मान्यता से संबंधित लेखों की टिप्पणी संख्या 21 में परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गइ है जिसे हाल के वर्ष में क्षतिपूर्ति के अंतर्गत दिखलाया गया है।

ग) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी स0 33.2 से संबंधित नरवा पहाड़ में 1128.32 एकड़ खनन पट्टे का कार्य लंबित है। 31.77 एकड़ अतिरिक्त जमीन तुरामडीह के लिए 290.45 हेक्टेयर जमीन केलेंग पैडेंगसोहियांग मावथाबा में, 1337.62 एकड़ जमीन लाम्बापुर एवं गोगी में 39.13 हेक्टेयर जमीन का खनन पट्टा अभी प्राप्त किया जाना है।

घ) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 33.3 से संबंधित राज्य सरकार/ निजी पार्टी से अधिग्रहीत 1548.09 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 1517.59 लाख रूपया है का हस्तांरण विलेख लंबित है।

ड़) लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 33.4 से कंपनी मूसाबनी, झारखण्ड में 3 एकड़ जमीन का उपयोग कर रही है। झारखण्ड सरकार द्वारा उठाये गये डिमांड नोट का भुगतान कर लिया गया है और झारखण्ड सरकार के साथ पट्टा हस्तान्तरण का कार्य प्रक्रिया में है ।

च) कंपनी की लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कंपनी की नीति में परिभाषित दायरे के अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की जाती है । पयमाने के अनुसार सभी ईकाइयों के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षण त्रैमासिक होनी चाहिए परन्तु यह जादुगोड़ा के लिए तिमाही– (i) तुरामडीह के लिए तिमाह – (ii), तुम्मालापल्ली के लिए – तिमाही (iii) किए गए है और

इन लेखा परीक्षणो में लेखांकन एवं वित्तीय मामलों के क्षेत्र शामिल नहीं है। इस प्रकार लेखांकन और वित्तीय सम्बधित प्रमुख क्षेत्र बिना जाचें /बिना अंकेक्षित रह गयें है ।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट।

1) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत वांछित के अनुसार हम लेखा परीक्षा के द्वारा व्यक्त प्रणाली के अनुपालन करने, उसके बाद किये गये कार्यवाही और कंपनी के लेखे एवं वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बाद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा द्वारा जारी किये गए बयान अनुलग्नक–1 में देते है।

2) जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) की उप–धारा(4) के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत कंपनी (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश, 2016 आदेश द्वारा मांगा गया, हम परिशिष्ट II में आदेश के पैरा 3 तथा 4 में वर्णित मामले पर बयान देते है।

3) जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रतिवेदन देते है कि :

क) हमें वे सारी सूचनाएँ एवं व्याख्याएं उपलब्ध कराई गई हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे परीक्षण के लिए जरूरी थे।

ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानुन के अनुसार उचित खाते रखे गये हैं जैसा कि हमें इन खातों की जांच के दौरान देखने को मिला।

ग) तुलन–पत्र, लाभ–हानी तथा कैश फ्लो विवरण जिसका इस टिप्पणी में समावेश है लेखा–खाता के अनुसार है।

घ) हमारी राय में उक्त स्टैंड अलोन वित्तीय स्टेटमेंट अधिनियम की धारा 133 के तहत कंपनी लेखा नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित निर्दिष्ट लेखा मानक के अनुरूप है।

ड़) 31 मार्च 2016 का निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर निदेशक मण्डल द्वारा ध्यान में लिया गया कि अधिनियम की धारा 164(2) के आधार पर नियुक्त किये जा रहे निदेशक में कोई भी अयोग्य नहीं है।

च) कंपनी के वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और इस तरह के नियंत्रण के संचालन के प्रभाव के संबंध में "अनुलग्नक III" में हमारे पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

छ) अन्य विषय जो कि लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में नियम 11 के अनुसार कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षण) नियम 2014 के संदर्भ में है, हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण की टिप्णी संख्या – 29 के अंतर्गत सम्पत्ति के लम्बित मामल के असर को प्रकट किया है।

(ii) कंपनी ने डेरीवेटिव अनुबंध के साथ ऐसे किसी लंबी अवधि का अनुबंध नहीं किया है जिससे कि आने वाले समय में किसी बड़े नुकसारल का आकलन किया जा सके।

(iii) निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में हस्तांतरित किये जाने लायक कोई भी राशि नहीं है।

कृते
अग्रवाल रमेश के. एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. एन. : 00461 सी

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 10/08/2018

रमेश कुमार अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या : 072918

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - ।

1) क्या कंपनी के पास अने फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड सम्पत्ति वैध कागजात है? यदि नहीं तो कृपया यह बताएं कि किस सम्पत्ति का और किस क्षेत्र का फ्रीहोल्ड एवं लीजहोल्ड सम्पत्ति का वैध कागजात उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी संख्या 33.2, 38.3 एवं 38.4 के संदर्भ में :

33.2 कंपनी नरवा पहाड़ मे 1128.32 एकड़ भूमि का स्वीकारात्मक स्वामित्व रखती है । तुरामडीह में 31.77 एकड़, किलेंग पेंडगसोहियाँग माउथावा में 290.45 हेक्टेयर, लामापुर में 1337.62 एकड़ तथा गोगी में 39.13 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का लीज लिया जाना अभी बाकी है ।

38.3 कंपनी राय सरकार/निजी पार्टिया से 1548.09 एकड़ भूमि (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि का स्वीकारात्मक स्वामित्व रखती हैं जिससे संबंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण/ पंजीकरण आदि पूरा करना बाकी है, जिसकी लागत 1517.59 लाख रूपये (गत वर्ष 1517.59 लाख रूपये), जिसे कंपनी की अचल परिसम्पत्ति में लीज की भूमि छः शीर्ष में सम्मिलिति किया गया है।

38.4 मुसाबनी में पूर्ववर्ती बिहार सरकार द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को पट्टे पर दी गई 3 (तीन) एकड़ भूमि का उपयोग कंपनी द्वारा 1986 से किया जा रहा है। इसके प्रयोग से संबंधित कोई औपचारिक अनुबंध नहीं हो पाने के कारण इसके लिए भुगतान/प्रावधान पर कोई विचार नहीं किया गया है।

2) कृपया बताएं कि छूट/कर्ज को बट्टे खाते में डालने/ऋण/ब्याज आदि की गई है........... यदि हाँ तो कितनी राशि शामिल है और उसका कारण।

3) क्या तीसरे पक्ष के पास पड़े हुए सामानों तथा सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त सम्पत्तियों के समुचित रिकॉड रखे जाते हैं?

प्रबंधन से प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तीसरे पक्ष के पास कोई सामग्री नहीं है। हमें दिये गए विश्लेषण के अनुसार वर्ष के दौरान सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं है।

कृते
अग्रवाल रमेश के. एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. एन. : 00461 सी

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 10/08/2018

रमेश कुमार अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या : 072918

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - II

(31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट की धारा ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के तहत पैरा 1 में उल्लिखित)

1) कम्पनी अचल सम्पति के संदर्भ में

(क) कंपनी अचल सम्पत्ति के विवरण और परिस्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड को बनाये रख रही है।

(ख) प्रबंधन के द्वारा तीन वर्षों के लिए सभी वस्तुओं को कवर करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम डिजाइन के अनुसार अचल सम्पत्तियों की भौतिक जाँच की जा रही है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी सम्पत्ति की प्रकृति के संदर्भ में जिम्मेवार है। कार्यक्रम के अनुसरण में वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल सम्पत्तियों के एक हिस्से की भौतिक जाँच की जा रही है और कथित जाँच में कोई सामग्री विसंगति ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ग) अचल सम्पत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज कंपनी के नाम में है।

2) कम्पनी की सूची के संदर्भ में

(क) जैसा कि हमें बताया गया, तुम्मलापल्ली के सिवा सभी सम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच वर्ष के दौरान स्वतंत्र अनुभवियों से उचित अंतराल पर की गई।

(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुओं की भौतिक जाँच की विधि कंपनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत है।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कंपनी द्वारा अपनी सम्पत्तियों का अभिलेख उचित ढंग से रखा जा रहा है। बही रिकार्ड की तुलना में सामग्रियों के भौतिक सत्यापन में पाये गए विसंगति सामग्री नहीं थे और उन्हें लेखे की बहियों में ठीक कर लिया गया है।

3) जैसा कि सूचित किया गया, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत देखे जा रहे रजिस्टर में वर्णित कंपनी, फर्म या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित मंजूर नहीं किया है। तदनुसार कथित आदेश के खण्ड 3(iii) (क) से (ग) तक कंपनी के लिए अप्रयोज्य है इसीलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

4) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश की गारंटी तथा सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 185 तथा 186 के प्रावधानों के साथ अनुपालन किया है।

5) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक से जारी निर्देशों तथा अनुच्छेद 73 से 76 तक के प्रावधानों या अन्य किसी संबंधित अधिनियम और जनता से स्वीकार्य जमा के संबंध में कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 प्रयोज्य नहीं है।

6) हमने मोटे तौर पर उत्पादों के संबंध में कंपनी के द्वारा रखे जाने वाले लेखों की पुस्तकों का पुनः अवलोकन किया, भारत सरकार द्वारा बनाये गए नियमों का अनुसरण किया और पाया कि कंपनी कानून की धारा 148 की उप–धारा के अंतर्गत लागत रिकार्ड के रख–रखाव की समीक्षा की गई है और मंतव्यों के अनुसार प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते और रिकार्ड बना लिये गए है और रख–रखाव किये जा रहे हैं। तथापि हमने इस दृष्टिकोण से कि क्या वे वास्तविक या पूर्ण है, कि कोई विस्तृत रिपोट नहीं तैयार की है। वित्तीय वर्ष 2014–15 से संबंधित लागत लेखा परीक्षा पूर्ण कर ली गई है।

7) वैधानिक बकाये के संबंध में हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार :

(क) कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, सम्पत्तिकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपयुक्त प्राधिकारियों के लिये प्रयोग उप कर एवं अन्य सामग्री वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित हैं। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राजय बीमा, कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(ख) भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, सम्पत्तिकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उप कर एवं अन्य सामग्री वैधानिक बकाया जमा 31 मार्च, 2017 को देय तिथि से छः माह के लिए बकाया के संबंध में किसी प्रकार की अविवादित राशि देय नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमार, कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(ग) विवादित लेखे मे नहीं जमा किये गए आय कर एवं बिक्रीकर की देय राशि का विवरण निम्नवत् है :

संविधि की प्रकृति	बकाये की प्रकृति	राशि (लाख ₹ में)	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	राशि से संबंधित अवधि
आयकर अधिनियम	आयकर	731.74	अपीलीय ट्रिबूनल एवं सीआईटी (अपील)	2005–06 2007–08 2008–09 2012–13

(8) हमारी राय में, प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंक की बकाया राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं किया है। कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 9.56 प्रतिशत प्रति वर्ष दर से 100 करोड़ रूपये लिया है। ब्याज की राशि को लेखे में प्रावधान किया गया है किंतु जबसे उधार लिया गया है, इसका भुगतान नहीं किया गया है।

9) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा किये गए ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर कंपनी ने ऋण इंस्ट्रूमेंट तथा टर्म लोन के साथ्ज्ञ कोई भी प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या आगे पब्लिक ऑफर के द्वारा पैसे की उगाही नहीं किया है। तदनुसार आदेश की धारा 3(ix) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है।

10) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर हम रिपोर्ट करते है कि कंपनी के द्वारा या कंपनी के अधिकारी के द्वारा या किसी कर्मचारी के द्वारा किसी प्रकार के गबन की सूचना वर्ष के दौरान नहीं मिली है।

11) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण एवं ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर, कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV के द्वारा पठित धारा 197 के प्रावधानों के अपेक्षित मंजूरी द्वारा अनिवार्यता के अनुसारण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है।

12) हमारी राय में, कंपनी एक निधी कंपनी नहीं है। इसलिए आदेश की धारा 4(xii) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

13) हमारी राय में संबंधित पार्टी के लेने – देने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 तथा 178 के अनुसार है तथा विवरण को लागू लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है।

14) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयर्स का बेहतर आवंटन एवं प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी नहीं किया है। तदनुसार आदेश की धारा 3(xiv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है।

15) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर कंपनी ने निदेशकों या संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई नन–कैश ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तदनुसार आदेश की धारा 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है।

16) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 IA के अंतर्गत निबंधन कराने की जरूरत नहीं है और तदनुसार आदेश की धारा 3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है।

कृते
अग्रवाल रमेश के. एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. एन. : 00461 सी

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 10/08/2018

रमेश कुमार अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या : 072918

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - III

यहाँ तक की तारीख तक कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 (3) (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रकगण का प्रतिवेदन

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 (3) (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रकगण का प्रतिवेदन

हमारे द्वारा यूसिल कंपनी का 31/03/2018 को समाप्त हुए वर्ष को लेखा परीक्षण के साथ हमने वित्तीय विवरण के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का भी परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन का यह दायित्व है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउन्टेन्ट के दिशा निर्देशानुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करें जिससे कि कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है, पर नियंत्रण रहे। इस दायित्व के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 के तहत समय पर आंतरिक वित्तीय सूचना की तैयारी, लेखांकन रिकॉर्ड, पूर्णता, शुद्धता, गबन तथा गलतियों का उजागर एवं अवरूद्धता, कंपनी की नीति, संपत्तियों का बचाव, व्यापार का संचालन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का इंम्प्लीमेटेशन तथा रख रखाव आदि शामिल है।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

हमारा दायित्व कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार कंपनी के द्वारा स्थापित आंतरित वित्तीय नियंत्रण पट अपनी राय देना है। यह दिशा निर्देश तथा मानक यह बताता है कि हमने जो लेखा परीक्षण किया है उससे यह सुनिश्चित की जा सके कि क्या कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो स्थापित है वह हर तरफ से प्रभावी और ठीक है। हमारा लेखा परीक्षण में लेखा सक्षम तथा उसकी पर्याप्त तथा उसका वित्तीय प्रतिवेदन के लिए प्रभावी होना भी शामिल है।

हमारा वित्तीय आंतरिक नियंत्रण का ऑडिट वित्तीय विवरण पर यह भी शामिल करता है कि महत्वपूर्ण कमजोरी का जोखिम है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी है। प्रक्रिया का चुनाव किया जाना लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है जिस में कि लेखा विवरणों में महत्वपूर्ण गलतियाँ जो की गबन और अशुद्धि भी हो सकता है उस पर भी निर्भर करता है। हम यकीन करते है कि जो ऑडिट साक्ष्य हमें मिला है वह पूर्ण तथा ठीक है और जिसके आधार पर हम अपनी राय कंपनी के वित्त विवरण तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट करते है।

वित्तीय प्रतिवेदन के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, प्रतिवेदन का एक प्रक्रिया है जो कि सामन्यतः मान्य सिद्धांतों के आधार पर विश्वसनीय है जिस के आधार पर विभिन्न विवरण तैयार किया गया है। किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन के साथ उन नीति एवं प्रक्रिया को शामिल करता है कि

(1) संपत्ति के विवरण, स्वच्छ लेन–देन का रिकार्ड, शुद्धता, सही विवरण तथा रिकॉर्ड के रख रखाव से संबंधित है।

(2) यह सुनिश्चित प्रदान करने के लिए वित्तीय विवरण की तैयारी सामान्यता मान्य सिद्धांतों के आधार पर तथा आय एवं व्यय जो कंपनी के द्वारा किये गये है सभी प्रबंधन तथा निदेशकों द्वारा अधिकृत है।

(3) यह सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए की वित्तीय विवरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी करने वाले कंपनी की संपत्ति का विवरण, उपयोग अनधिकृत प्राप्ति तथा समय पर उजागर किया गया है।

वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर आंतरिक सीमाओं के कारण यह हो सकता है कि गबन तथा अशुद्धियाँ, महत्वपूर्ण गलतियाँ, प्रबंधन की मिलीभगत, अकुशल प्रबंधन की वजह से उजागर न हो। साथ ही, भावी आकलन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में आने वाले अवधि के लिए परिवर्तन के कारण या फिर उनके अनुपालन के कारण या नीति तथा प्रक्रिया में कमी के कारण की स्थिति में अपर्याप्त हो सकता है।

राय – हमारी राय में कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय विवरण पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस प्रकार की वित्तीय रिपोटिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जहाँ 31 मार्च, 2017 को प्रभावी तरीके से परिचालित हो रही थी, जो इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोटिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण की आवश्यक अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट की कसौटियों पर आधारित है।

कृते
अग्रवाल रमेश के. एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. एन. : 00461 सी

रमेश कुमार अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या : 072918

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 10/08/2018

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉपपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखे पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाये गए वित्तीय रिपोटिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरण के बारे में भारतीय सनदी लेखापाल संरक्षण के व्यवसायिक संस्थान के निर्धारित मानक के तहत अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निष्पक्ष रूप से लेखा परीक्षा करने का हमारी दायित्व है। यह उनके लेखा प्रतिवेदन दिनांक 10 अगस्त 2018 के द्वारा किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** का अनुपूरक लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत किया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा कार्यरत कागजातों को देख बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के प्रतिवेदनों द्वारा प्रारंभिक पूछ–ताछ एवं कुछ चुने गये कागजातों एवं लेखा रिकार्डों के आधार पर किया गया है।

मेरे द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में किसी प्रकार की ऐसी विशेष बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सकें।

कृते
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक
ह/–

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/09/2018

(मनीष कुमार)
मुख्य निदेशक
मुख्य वाणियिक लेखा परीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड –IV

तुलन पत्र

(लाख ₹ में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	01 अप्रैल 2016 तक
परिसम्पत्तियाँ				
गैर मौजूदा परिसम्पत्तिया				
सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण	3	2,00,922.24	2,17,051.19	68,591.98
प्रगतिधीन पूँजी	4	28,111.44	24,223.10	2,22,556.58
अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	5	9,674.49	14,160.24	924.83
वित्तीय सम्पत्तियाँ				
-ऋण	6	1,078.24	1,302.00	1,680.07
- अन्य वित्तीय निधि	13	696.50	584.99	586.85
अन्य गैर मौजूदा सम्पत्ति	7	172.98	7.40	7.40
कुल गैर मौजूदा सम्पत्ति		**2,40,655.89**	**2,57,328.92**	**2,94,347.70**
चालू परिसम्पत्तियाँ				
वस्तु सूची	8	33,823.80	51,622.41	10,456.68
वित्तीय निधि				
-प्राप्ति योग्य व्यापार	9	63,295.06	49,097.88	23,081.50
-नगद एवं नकद समतुल्य	10	2,744.25	2,347.30	3,198.21
-नकद एवं नकद समतुल्यों के अलावा बैंक अधिशेष	11	117.32	128.71	119.50
-ऋण	6	2,691.67	2,530.85	1,423.11
-अन्य वित्तीय निधि	13	759.94	737.33	671.68
चालू कर निधि (शुद्ध)	12	-	-	39.41
अन्य मौजूदा सम्पत्ति	14	2,988.11	2,998.07	2,606.81
कुल मौजूदा सम्पत्ति		**1,06,420.15**	**1,09,462.54**	**41,596.90**
कुल परिसम्पत्तियाँ		**3,47,076.04**	**3,66,791.47**	**3,35,944.60**
इक्विटी एवं देनदारियाँ				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूँजी	3(a)	1,81,561.78	1,61,561.78	1,56,461.78
अन्य इक्विटी	3(b)	84,558.57	55,031.54	48,762.06
कुल इक्विटी		**2,66,120.35**	**2,16,593.32**	**2,05,223.84**
देनदारियाँ				
गैर मौजूदा देनदारियाँ				
वित्तीय देनदारियाँ				
-अन्य वित्तीय देनदारियाँ	15 (c)	1,035.56	948.21	1,031.71
प्रावधान	16	7,096.07	6,646.56	4,997.12
आस्थागित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	17	7,764.01	8,974.00	5,695.24
कुल गैर मौजूदा देनदारियाँ		15,895.64	16,568.77	11,724.07
चालू देनदारियाँ				
वित्तीय देनदारियाँ				
-उधार	15(a)	10,000.00	64,022.18	69,090.74
-व्यापार देयताएँ	15(b)	6,402.77	5,421.78	4,957.50
- अन्य वित्तीय देनदारियाँ	15©	39,424.62	56,752.24	40,330.21
प्रावधान	16	4,806.52	927.03	490.67
मौजूदा कर देनदारियाँ (शुद्ध)	12	424.96	2,150.28	-
अन्य मौजूदा देनदारियाँ	18	4,001.18	4,355.87	4,127.57
कुल मौजूदा देनदारियाँ		65,060.05	1,33,629.38	1,18,996.69
कुल देनदारियाँ		**80,955.69**	**1,50,198.15**	**1,30,720.76**
कुल इक्विटी एवं देनदारियाँ		**3,47,076.04**	**3,66,791.47**	**3,35,944.60**
महत्वपूर्ण लेखांकन नितियाँ	**1, 2**			

साथ के ये नोट इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न हिस्सा है :

हमारी संलग्न समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार

अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंटस फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या – 004614C

रमेश कुमार अग्रवाल

पार्टनर, सदस्यता संख्या – 072918, स्थान – मुम्बई, तिथि : 10.08.2018

कृते एवं बोर्ड की ओर से

बी सी गुप्ता,
कंपनी सचिव

देबाशीष घोष
निदेशक (वित्त)

सी के असनानी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लाभ और हानि का विवरण

(लाख ₹ में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
आय			
परिचालन से राजस्व	19	1,78,273.98	1,26,598.72
अन्य आय	20	921.12	671.78
कुल आय		1,79,195.10	1,27,270.50
व्यय			
खपत माल की लागत	21 (a)	17,335.53	8,874.09
तैयार माल की सूची में परिवर्तन तथा कार्य प्रगति पर	21 (b)	19,419.98	(1,975.34)
माल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क		3.07	122.97
कर्मचारी लाभ व्यय	22	40,739.45	30,166.57
वित्त लागत	23	3,871.49	6,421.10
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	24	21,962.66	13,679.46
अन्य व्यय	25	63,453.06	49,060.54
कुल व्यय		1,66,785.24	1,06,349.38
कर पूर्व लाभ / (हानि)		12,409.86	20,921.12
कर व्यय			
(1) मौजूद कर	26	2,548.20	4,412.10
(2) आस्थागित कर	26	(1,208.10)	3,312.48
(3) पिछले वर्षों के लिए कर	26	396.91	463.76
कुल कर व्यय		1,737.01	8,188.33
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		10,672.85	12,732.79
अन्य व्यापक आय			
वस्तुएँ जिन्हें लाभ एवं हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः माप		(427.19)	(268.44)
उपरोक्त सामग्रीयों से संबंधित आय कर		1.89	92.90
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)		(425.30)	(175.54)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय		10,247.55	12,557.25
प्रति शेयर आय			
बेसिक एवं डायल्यूटेड	27	62.89	80.06

साथ के ये नोट इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न हिस्सा है :

हमारी संलग्न समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंटस फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या – 004614C
रमेश कुमार अग्रवाल
पार्टनर, सदस्यता संख्या – 072918,
स्थान – मुम्बई, तिथि : 10.08.2018

कृत एवं बोर्ड की ओर से

बी सी गुप्ता,	**देबाशीष घोष**	**सी के असनानी**
कंपनी सचिव	*निदेशक (वित्त)*	*अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष की लेखा से संबंधित टिप्पणी

1. निगमित सूचना

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसिल) एक लोक कंपनी है, जो शेयरों द्वारा सीमित है जिसे 4 अक्तूबर 1967 को निगमित किया गया और जो भारत में अधिवासित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र का एक लोक उपक्रम है। जिसका परमाणु ऊर्जा चक्र की अग्रिम पंक्ति में विशेष महत्व है। प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर के लिए यूरेनियम की आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाला यूसिल देश में नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूसीआईएल एक आईएसओ 9001 : 2008 : 14001 : 2004 और आईएस 18001 : 2007 कंपनी है और इसने अपनी खदानों एवं प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियाँ अपनायी हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

2.1 तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और अन्य प्रयोज्य सांविधिक अधिनियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2.2 माप का आधार

इन वित्तीय विवरणों को चालू व्यवसाय की अवधारणा और संचय के आधार पर तथा ऐतिहासिक लागत की परंपरा के तहत तैयार किया गया है, केवल निम्नलिखित मामलों को छोड़कर:

क) मेडिकल स्टोर, खेल सामग्रियाँ तथा कैंटीन और गेस्ट हाउस के लिए प्रावधान नकद आधार पर किया जाता है अर्थात उन्हें खरीद के समय व्यय में शामिल किया जाता है,

ख) परिभाषित लाभ योजना – उचित मूल्य पर मापी गयी योजना परिसंपत्ति और

ग) उचित मूल्य पर मापे गये खान बंदी दायित्व ।

2.3 अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान इस्तेमाल किये गये अनुमानों और निर्णयों (estimates and judgments) का कंपनी द्वारा निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और यह ऐतिहासिक अनुभव और विभिन्न अन्य मान्यताओं और कारकों (भविष्य की घटनाओं की संभावनाओं सहित) पर आधारित हैं, जिन्हें कंपनी मौजूदा परिस्थितियों के तहत उचित समझती है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम ज्ञात / प्रकट होते हैं।

उक्त अनुमान वैसे तथ्यों और घटनाओं पर आधारित हैं, जो रिपोर्टिंग की तिथि को विद्यमान थीं, या उस तिथि के बाद घटित हुई लेकिन रिपोर्टिंग की तिथि को विद्यमान स्थितियों के बारे में अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध कराती हैं

2.4 कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा अंतरण

क़ कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और उसके अधिकांश संचालनों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपयों (₹) में है, जो उस आर्थिक परिवेश की मुख्य मुद्रा है, जिसमें कंपनी काम करती है, और इसे 'लाख रुपये' में दो दशमलव बिंदु तक राउंड-ऑफ किया गया है, यदि इससे इतर कुछ और न घोषित किया गया हो तो।

ख़. लेनदेन और शेष

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को ऐन लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में वर्णित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का अनुवाद रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू विनिमय दरों पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर–मौद्रिक सामग्रियों का मूल्यांकन लेन–देन की तिथि पर लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।

मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटारे या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों को, शुरुआती मान्यता के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में अनुवादित करने की दर से भिन्न दर पर, अनुवादित करने की वजह से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती ह, और पूंजीगत परसंपत्ति के मामले में उत्पन्न होने वाली अंतर को अचल संपत्तियों / पूंजी में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

2.5 वर्तमान और गैऱ वर्तमान वर्गीकरण

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को, जब वे कंपनी के सामान्य संचालन चक्र, अर्थात बारह माह, के भीतर देय होती हैं, वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.6 संपति, संयंत्र और उपकरण

फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड ज़मीन को ऐतिहासिक लागत पर

आगे ले जाया जाता है। ऐतिहासिक लागत में शामिल होते हैं वैसे व्यय जिनका संबंध भूमि अधिग्रहण से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों पर खर्च की गयी मुआवजा राशि इत्यादि।

नई खदान की स्थापना पर होनेवाले व्यय को नयी खदान के ऐसे निर्माण के दौरान उत्पादित अयस्क से हुई आमदनी को घटाने के बाद पूँजीकृत किया जाता है।

सिस्टम सॉफ्टवेयर को संबंधित संपत्तियों के साथ पूँजीकृत किया जाता है।

अन्य सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों को ऐतिहासिक लागत घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। लागत में शामिल हैं परियोजनाओं से संबंधित पूर्व-परिचालनात्मक व्यय, वैसे खर्च जो सीधे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण या स्वतःनिर्माण से संबंधित हैं, एवं एरेक्शन / इंस्टॉलेशन पर किया गया व्यय तथा परिसंपत्तियों को उनके असली उद्देश्य के अनुसार काम करने की स्थिति में लाने पर हुआ अन्य संबंधित खर्च।

कंपनी द्वारा, उत्पादन, वस्तुओं की आपूर्ति या कंपनी के किसी भी वर्तमान परिसंपत्तियों तक पहुँचने के लिए आवश्यक कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण / विकास पर किये गये पूंजीगत व्यय को, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षमकारी परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी सामग्री (आइटम) के महत्वपूर्ण हिस्सों की उपयोगी आयु अलग–अलग होती है, तब उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पृथक सामग्रियों के रूप में लेखांकित किया जाता है।

दैनिक सर्विसिंग पर आनेवाली लागत, जिसे मरम्मत और रखरखाव के रूप में वर्णित किया जाता है, को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें उसे खर्च किया गया हो।

संपत्ति, प्लांट और उपकरण के पहले से ही पूँजीकृत मद पर होनेवाले परवर्ती व्यय को तब पूँजीकृत किया जाता है जब यह किसी मौजूदा मद के संभावित आर्थिक लाभों को बढ़ाता है, और इसे भविष्यद अपेक्षी रूप से अवमूल्यित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के निपटान या उसे सेवा से हटाये जाने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

इन्श्योरेंस स्पेयर्स, जिनका इस्तेमाल केवल संपत्ति, संयंत्र या उपकरण एवं उनके उपयोग के किसी मद के सिलसिले में ही किया जा सकता है और जिनका उपयोग अनियमित रहने की संभावना होती है, को पूँजीकृत किया जाता है। आपातोपयोगी उपकरणों को संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि वे उत्पादन या माल या सेवाओं की आपूर्ति में इस्तेमाल के लिए रखे गये हों और यदि उन्हें एक से ज्यादा अवधि के दौरान इस्तेमाल किये जाने की उम्मीद हो; अन्यथा ऐसी संपत्तियां इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

2.7 पट्टे

ऐसे पट्टे को, जो कंपनी के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को, काफी हद तक, स्थानांतरित कर देता है, वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वैसे पट्टों को, जिनमें स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टादाता द्वारा अपने पास रख लिया जाता है, संचालित पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टे को प्रारंभ की तिथि को ही वित्त पट्टा या संचालित पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वित्त पट्टों को, प्रारंभ तिथि पर पट्टे की शुरुआत में, पट्टे पर दी गयी संपत्ति के उचित मूल्य के आधार पर पूँजीकृत किया जाता है। संचालित पट्टा भुगतानों को, पट्टा अवधि के दौरान, लाभ व हानि के विवरण में सीधी रेखा पर आधारित एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.8 अवमूल्यन

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण से संबंधित अवमूल्यन, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर, सीधी रेखा विधि से, या कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों के तकनीकी अनुमानों के आधार पर प्रदान किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के लिए तकनीकी अनुमान पर अवमूल्यन प्रदान किया गया है वे नीचे उल्लिखित हैं:

- ❖ सड़क, पुल और कल्वर्ट्स : 30 साल
- ❖ शाफ्ट और डिक्लाइन : 21 साल
- ❖ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन्स : पन्द्रह साल
- ❖ संयंत्र और मशीनरी (मिल) (ट्रिपल शिफ्ट के आधार पर) : 8.5 - 9.5 साल
- ❖ आवासीय भवन तुरामडीह : 45 साल
- ❖ कंसर्टीना वायर फेन्सिंग : 15 साल
- ❖ चेन लिंक फेन्सिंग : 10 साल
- ❖ बार्ब्ड वायर फेन्सिंग : 05 साल

ओपनकास्ट माइन के विकास, ओवरबर्डन को हटाने और कमीशनिंग की तारीख तक माइनिंग बेंच को तैयार करने के लिए किये गये व्यय को खदान की पूरी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है।

एक वित्तीय वर्ष में टेलिंग डेम (स्लाइम डैम) को ऊँचा करने के काम के पूरा किये गये हिस्से को पूंजीकृत किया जाता है और तकनीकी आकलन के अनुसार इस ऊँचाई की उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

ऐसे जोड़ने के काम या विस्तार को, जो मौजूदा परिसंपत्तियों का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं, उस परिसंपत्ति के शेष उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

सरकारी भूमि, निजी भूमि, और टेलिंग पोंडस के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जानेवाली वन भूमि को टेलिंग पोंडस की उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

पट्टे पर अधिग्रहित, किंतु अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जा रही, सरकारी भूमि को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि में जो सबसे कम हो उतने अवधि के दौरान अवमूल्यित किया जाता है, यदि इस बात की पर्याप्त निश्चितता न हो कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत में स्वामित्व प्राप्त कर लेगी।

इंश्योरेन्स स्पेयर्स को संबंधित परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है, उस दर पर जो वर्तमान परिसंपत्तियों पर लागू होती है, और मौजूदा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से लेकर इंश्योरेंस स्पेयर्स के अधिग्रहण की तारीख तक के अवमूल्यन परिमाण को अधिग्रहण के वर्ष घटा दिया जाता है।

परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों और परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, और यदि उपयुक्त हो, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजित कर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी/हटायी गयी परिसंपत्तियों को प्रो–रेटा (यथानुपाती) आधार पर, अधिग्रहण/कमीशन के लिए महीने का पहला दिन और निपटान के लिए महीने का आखिरी दिन लेते हुए, अवमूल्यित किया जाता है।

2.9 अमूर्त संपति और परिशोधन

शुरुआती मान्यता में, अमूर्त संपत्तियों को लागत के आधार पर मान्यता दी जाती है। शुरुआती मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत घटाव किसी भी प्रकार का संचित परिशोधन एवं संचित क्षति हानि के साथ आगे ले जाया जाता है।

पहले से ही ही पूँजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर होनेवाले परवर्ती व्यय को तब पूँजीकृत किया जाता है जब यह किसी मौजूदा परिसंपत्ति में निहित संभावित आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और इसे भविष्य दअपेक्षी रूप से परिशोधित किया जाता है।

आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं है, जो भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ दे सकता है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है, जब वह इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है।

पहचानने योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों, जैसे कि भूमि के उपयोग के अधिकार, के लिए भुगतान की गयी राशि को चुकायी गयी राशि के उपयुक्त मूल्य पर पूँजीकृत किया जाता है और इसे लागत घटाव संचित अवमूल्यन व क्षति मूल्य के रूप में दर्ज किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों को (परिमित आयु वाली) लागत मॉडल के अनुसार एक सीधी रेखा के आधार पर उनके अपेक्षित उपयोगी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है।

व्यावसायिक गतिविधियों का मतलब है क्रियान्वयन के निष्कर्ष या व्यावसायिक उत्पादन या इस्तेमाल शुरू होने से पूर्व नयी या काफी हद तक सुधारी गयी सामग्रियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों की किसी योजना या डिजाइन का ज्ञान। लागत को पांच वर्षों के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा।

2.10 पूँजीगत कार्य आगति पर

प्रगति में पूँजीगत कार्य में शामिल हैं परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और निर्माण के लिए व्यय, और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो अबतक अपने निर्धारित उपयोग के लिए तैयार नहीं है।

2.11 खदान बंदी स्थल पुनरुद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

डि–कमीशनिंग लागतों को देयता का निपटारा अनुमानित कैश फ्लो के जरिए करने के लिए अपेक्षित लागत के वर्तमान मूल्य पर प्रदान किया जाता है और इन्हें प्रासंगिक परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पहचाना जाता है। कैश फ्लो को मौजूदा कर पूर्व दर से डिस्काउंट किया जाता है, जो पैसे के समय–मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। डिस्काउंट के अनवाइंडिंग को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में दर्शाया जाता है। अनुमानित भविष्य की लागतों या लागू किये गये डिस्काउंड रेट में हुए परिवर्तन को परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाता है। खदान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के अनुसार खदान की बंदी और पर्यावरण के पुनरुद्धार के दायित्व को पूरा करने के दायित्व को मैसर्स मेकॉन लिमिटेड द्वारा तकनीकी तौर पर अनुमानित किया गया है।

2.12 गैरवित्तीय परिसंपतियों की क्षति

परिसंपत्तियों की आगे ले जाने वाली राशि की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि को की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी प्रकार की क्षति के संकेत हैं या नहीं। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो उस परिसंपत्ति से प्राप्त की जानेवाली राशि का अनुमान लगाया जाता है। जहाँ कहीं भी किसी परिसंपत्ति की आगे ले जानेवाली राशि वसूली

जानेवाली राशि से ज्यादा होती है इसे क्षति हानि माना जाता है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के बिक्री मूल्य और उपयोग किये जा रहे मूल्य में से जो ज्यादा हो वही होती है। उपयोग किये जा रहे मूल्य का आकलन करने के लिए अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य तक डिस्काउंट किया जाता है।

आगे ले जाने वाली राशि को वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है और इस कमी को लाभ और हानि के विवरण में क्षतिकारी हानि के रूप में मान्यता दी जाती है। पहले से मान्यता प्राप्त क्षति–हानि को परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है। हालांकि, क्षति हानि को घटाकर आगे ले जायी जानेवाली उस राशि से ज्यादा तक नहीं लाया जाता है, जिसे निर्धारित किया जाता (परिशोधन या अवमूल्यन की शुद्ध राशि) यदि उसके पूर्व वर्ष में कोई भी क्षति–हानि को मान्यता नहीं दी जाती। क्षति के बाद, अवमूल्यन क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के संशोधित आगे ले जाये जानेवाले मूल्य पर उसकी शेष बची उपयोगी आयु के दौरान प्रदान किया जाता है।

2.13 वित्तीय प्रपत्र

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है, जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य संस्था की वित्तीय देनदारी या इक्विटी उपकरण को जन्म देता है।

क. वित्तीय परिसंपत्ति

कंपनी की वित्तीय संपत्ति में नकद और बैंक बैलेंस, ऋण और कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम, व्यापार प्राप्तियां और सुरक्षा जमा शामिल हैं।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

निर्धारित परिपक्वता रहित सुरक्षा जमा को उस मूल्य पर आगे ले जाया जाता है जिसपर इसे अनुबंध समाप्त होने पर प्राप्त किया जाएगा और यही वह राशि है जो वास्तव में भुगतान की जाती है। वह समयावधि, जिस पर रकम प्राप्त की जाएगी, अनिर्णीत है क्योंकि वह रकम तब प्राप्त होगी जब अनुबंध समाप्त किया जा रहा होगा। डिस्काउंटिंग को हटा दिया जाता है, क्योंकि समयावधि निर्धारण योग्य नहीं होती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता-समाप्ति

एक वित्तीय संपत्ति की मान्यता को केवल तभी समाप्त समझा जाता है जब

- ❖ कंपनी ने वित्तीय संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो, या
- ❖ उसने वित्तीय संपत्ति का नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए आनुबंधिक अधिकारोंको बरकरार रखा हो, लेकिन एक या उससे अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए अनुबंध संबंधी दायित्व स्वीकार करती हो।

ख. वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी की वित्तीय देनदारियां ऐसी परिस्थिति में जो कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं, किसी अन्य इकाई को नकद या कोई और वित्तीय परिसंपत्ति देने या वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का उन इकाइयों के साथ विनिमय करने का संविदात्मक दायित्व है।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं इन्हें अपने लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियों की मान्यता-समाप्ति

एक वित्तीय देनदारी की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है या उसकी समयसीमा खत्म हो जाए। किसी वित्तीय दायित्व की आगे ले जानेवाली राशि, जिसे किसी अन्य पक्ष को शमित या स्थानांतरित किया गया हो, एवं भुगतान किये गये मूल्य, जिसमें स्थानांतरित गैर–नकदी परिसंपत्तियाँ एवं स्वीकार की गयी देनदारियाँ शामिल हैं, को लाभ व हानि के विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियाँ समायोजित की जाती हैं और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में सूचित किया जाता है, यदि वर्तमान में मान्यताप्राप्त राशियों को समायोजित करने का साध्य कानूनी अधिकार हो और यदि शुद्ध आधार पर निपटारा करने का इरादा हो, ताकि परिसंपत्तियों की वसूली और देनदारियों का निपटान एक साथ किया जा सके।

2.14 माल सूचियाँ

क. माल सूचियों की माप

माल–सूचियों के मूल्य को लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में जो सबसे कम हो उसपर निर्धारित किया जाता है। शुद्ध वसूली मूल्यका मतलब है माल सूचियों की अनुमानित बिक्री घटाव पूरा करने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत।

ख. लागत फॉर्मूला

1	अयस्क या चालू कार्य के अनुसार	अवशोषण लागत विधि
2	डाइरेक्ट मेटेरियलए स्टोर और पुर्जे	भारित औसत लागत पर
3	माल जो रास्ते में और निरीक्षण के अंतर्गत हैं	अधिग्रहित लागत पर
4	सह.उत्पाद	परिवर्तन लागत पर
5	रद्दी माल	अनुमानित मूल्य पर

ग. स्टोर एवं स्पेयर्स

स्पेयर्स पार्ट्स एवं स्टैन्ड.बाई उपकरणों को माल सूची के रूप में वर्गीकत किया जाता हैए यदि वे उत्पादन या माल की आपूर्ति में इस्तेमाल किया जाते हों तो। लूज़ टूल्स को जारी करने के वर्ष में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

पाँच साल तक अचलायमान स्टोर्स स्पेयर्स के लिए अचलायमान का प्रावधान वित सृजित किया जाता है, केवल कैपिटल स्टोर्स एवं इंश्योरेंस स्पेयर्स को छोड़कर। अप्रचलित घोषित सामग्री को आवश्यक निपटान के लिए अलग किया जाता है और उसके बही मूल्य को लिखा जाता है। निपटान के बाद वसूले गये मूल्य को आय में क्रेडिट कर दिया जाता है।

2.15 नकद प्रवाह विवरण

अप्रध्यक्ष विधि का उपयोग करके नकद प्रवाह की सूचना दी जाती है जिससे विगत या भावी नकद प्राप्ति संचालन या भुगतान की भिन्नता या संग्रहण और विनियोजन का वित्तपोषित नकद प्रवाह सहित आय या व्यय की वस्तु की लिए कर पूर्व लाभ गैर नकद प्रकृति की लेनदेन के प्रवाह के लिए समायोजित किया जाता है नकदी प्रवाह संचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों में अलग हो जाते है।

2.16 नकद एवं नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह के बयान में प्रस्तुति के उद्देश्य के लिए नकद एवं नदक समतुल्य में नकदी, हाथ में नकदी, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्प कालिक अत्यधिक तरल शामिल है जो अधिग्रहण की तारिख से आसानी से परिवर्तनीय हैं । नकदी की मात्रा और जो मूल्य में एक महत्वपूर्ण जोखिम परिवर्तन और बैंक ओवरड्राफ्ट के अधीन है । तुलन पत्र में मौजुदा देनदारियां में उधार के भीतर बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाये जातें हैं।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान और आस्थगित कर के योग को निरूपित करता है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती हैए सिवाय उस स्थिति में जिसमें वह सीधे इक्विटी या अन्य विस्तृत आय से संबंधित हो।

क. वर्तमान आयकर

वर्तमान कर आयकर अधिनियमए 1961 के तहत वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है।

ख. आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की आगे ले जानेवाली राशियों एवं कर. योग्य लाभ की गणना में इस्तेमाल किये गये संबंधित कर आधारों जंग के बीच के अस्थायी अंतर के आधार पर मान्य किया जाता है और इसका लेखांकन बैलेंस शीट देनदारी विधि से किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों जंग को आम तौर पर पर सभी घटाने.योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानि जंग एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट जंग के लिए मान्य किया जाता है, उस हद तक कि यह संभावना रहे कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध हो गए जिसके विरुद्ध ऐसे घटाने योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानि एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तिथि को की जाती है और यह इस हद तक घटायी जाती है कि यह संभावना ही न रहे कि पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध हो और उसके विरुद्ध अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

बकाया कर संपत्ति और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता हैए जिनकी उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती हैए जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की वसूली होती हैए और यह उन कर दरों (और कर कानून) के आधार पर किया जाता है जो बैलेंश शीट तिथि तक लागू लागू की गयी हों।

न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को आस्थगित कर संपत्ति जंग के रूप में मान्य किया जाता है, केवल तभी और उसी हद तकए जब इस बात का स्पष्ट प्रमाण हो कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। इस तरह की परिसंपत्ति की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख़ को की जाती है और परिसंपत्ति की आगे ले जानेवाली राशि घटा दी जाती है, उस हद तक जिसमें इस बात का ठोस सबूत न हो कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

2.18 आय को मान्य करना

कंपनी आय को मान्य तब करती है जब आय की राशि को भरोसेमंद रूप से मापा जा सकता हो, यह संभव है कि इकाई को भावी आर्थिक लाभ मिलेगा,यानी, जब यूरेनियम सांद्र भारत सरकार को सौंपा जाएगा।

बाई.प्रोडक्ट्स की बिक्री से प्राप्त आय को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल (एक्साइज ड्यूटी समेत) रिटर्न और भत्तेए ट्रेड छूट और वॉल्यूम रिबेट्स के शुद्ध जोड़ पर मान्य किया जाता है।

2.19 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागतए जिसे सीधे तौर पर योग्य

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से जोड़ा जा सकता हैए को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जा सकता है (कोष को अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने से हुई शुद्ध आय), तबतक जबतक वे परिसंपत्तियाँ अपने इच्छित उद्देश्य से इस्तेमाल को तैयार न हों। योग्य परिसंपत्तियाँ वैसी परिसंपत्तियाँ ह, जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से अच्छा–खासा समय लेती हैं।

अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है, जिसमें उन्हें वहन किया गया है।

2.20 कर्मचारी लाभ

क. अल्पावधि लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस वर्ष के लाभ व हानि विवरण में मान्य किये जाते हैंए जिसमें उनसे संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

ख. यात्रा अवकाश छूट लाभ

यात्रा अवकाश छूट को वर्ष के लाभ व हानि विवरण में एक्चुएरियल वैल्यूएशन के आधार पर शामिल किया जाता है।

ग. अवकाश नकदीकरण लाभ

अर्जित अवकाशएवं बीमारी के अवकाश की देनदारी का निपटान कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा दिये जाने की अवधि की समाप्ति के 12 महीनों के अंदर किये जाने की आशा नहीं की जाती। इसलिए उन्हें भविष्य में होने वाले वैसे भावी भुगतानों के वर्तमान मान के रूप में मापा जाता है, जो कर्मचारी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए किये जाएँगे। लाभों को, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, सरकारी प्रतिभूतियो, जो संबंधित दायित्व की शर्तों के निकट होती ह, पर प्राप्त मार्केट ईल्ड का इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट किया जाता है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मूल्यांकन में परिवर्तन की वजह से की जानेवाली पुनर्माप को अन्य विस्तृत आय में मान्य किया जाता है।

दायित्वों को बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यदि इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 महीने बाद तक निपटान को आस्थगित करने का बेशर्त अधिकार न हो, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वास्तविक निपटान कब होने की उम्मीद है।

घ. नियोजन पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

कंपनी निम्नलिखित सेवा–अवधि के बाद की योजनाओं को संचालित करती हैः–

I) परिभाषित लाभ योजनाएं जैसे कि ग्रेच्युटी, नियोजन पश्चात चिकित्सा लाभ

क) ग्रैच्युटी दायित्व

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि से किया जाता है और एक्चुएरियल वैल्यूएशन प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किये जाते हैं।

परिभाषित लाभ ग्रैच्युइटी योजनाओं के संबंध में बैलेंस शीट में मान्य की गयी देनदारी या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य घटाव योजना की संपत्तियों के उचित मूल्य के बराबर होती है।

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित भावी कैश आउटफ्लो को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, सरकारी बौंड, जो संबंधित दायित्व की शर्तों के निकट होती हैं, पर प्राप्त मार्केट ईल्ड के संदर्भ में डिस्काउंट किया जाता है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व एवं योजना संपत्तियों के उचित मूल्य के शुद्ध शेष पर डिस्काउंट रेट को लागू करते हुए की जाती है। यह लागत लाभ व हानि विवरण के कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है।

एक्चुएरियल मान्यताओं में बदलाव से उत्पन्न पुनर्माप संबंधी लाभ और हानि को उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होती है, वह भी सीधे अन्य विस्तृत आय में। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है। योजना समायोजन या कटौती से उत्पन्न परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में हुए परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत ही पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

ख) सेवा अवधि के बाद के चिकित्सा लाभ

इन लाभों की अपेक्षित लागत कर्मचारी की सेवा.अवधि के दौरान संचित होती है और इसके लिए उसी लेखांकन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है जिसका परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए किया जाता है। एक्चुएरियल मान्यताओं में बदलाव से उत्पन्न पुनर्माप संबंधी लाभ और हानि को अन्य विस्तृत आय में चार्ज या क्रेडिट किया जाता है, उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

II) परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड

प्रोविडेंट फंड में कंपनी का योगदान बढ़ोतरी आधार पर लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

सुपरएन्यूएशन फंड में योगदान कंपनी की नीतियों के मुताबिक किया जाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित होता है और उस वर्ष में लाभ व हानि

विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें योगदान (प्रीमियम) देय होता है।

2.21 अनुसंधान और विकास व्यय

पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित व्यय विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल किये जाते हैं और इन्हें लागू दरों पर अवमूल्यित किया जाता है। रेवेन्यू व्ययको उस वर्ष के लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें वह खर्च किया जाता है।

2.22 पूर्व प्रदत्त व्यय

पूर्व प्रदत्त व्यय को केवल वहीं लेखांकित किया जाता है, जहाँ अव्यतीत अवधि से संबंधित राशियाँ प्रत्येक मामले में 50,000 से ज्यादा हों।

2.23 स्ट्रिपिंग एक्टिविटी व्यय/समायोजन

खदान के विकास चरण के दौरान अयस्क निकायके विकास पर हुए स्ट्रिपिंग व्ययका पूँजीकरण किया जाता है, जबकि उत्पादन चरण के दौरान इसे लाभ व हानि विवरणमें शामिल किया जाता है।

2.24 दावाहीन दायित्व

जॉब/अनुबंध पूरा करने के बाद, पाँच वर्षों से ज्यादा अवधि से बकाया अनक्लेम्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, अग्रिम राशिः सुरक्षा जमाः कॉशन मनी को समीक्षा के बाद विविध आयमें स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि दावा न किया गया क्रेडिट बैलेंस संविदा मूल्य की वजह से प्रोजेक्ट से संबंधित है, या अब कंपनी की देनदारियों के रूप में नहीं माना जाता, तो उसे पहचानी गयी प्रासंगिक संपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है। ऐसी मदका विवरण रखा जाएगा। बाद में, रिफंड के मामले में, समीक्षा के बाद रिफंड के वर्ष में, उसे विविध खर्च में डेबिट किया जाएगा।

2.25 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्वों से संभवतः कंपनी के आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह हो सकता है और राशि का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सकता है। समय या बहिर्वाह की राशि अब भी अनिश्चित हो सकती है। प्रावधानों को वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए जरूरी अनुमानित व्यय पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय सबूतों पर आधारित होता है, और जिसमें मौजूदा दायित्वों को व्यवस्थित करने के लिए जोखिम और अनिश्चितताएँ भी शामिल होती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) आकस्मिक दायित्व

पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों को जाहिर किया जाता है, लेकिन उनका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की ऐसी घटनाओं के घटित या न घटित होने से पुष्ट होगा, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं या जहां किसी भी मौजूदा दायित्व को संसाधनों के भविष्य के बहिर्वाह की शर्तों के अनुसार नहीं मापा जा सकता या जहां दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं तैयार किया जा सकता है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक संपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है, जो पिछली घटनाओं की वजह से उत्पन्न होती है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक ऐसी अनिश्चित घटना के घटने या न घटने से होती है, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती है।

आकस्मिक संपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है बल्कि जब आर्थिक लाभों का अंतर्प्रवाह संभावित होता है, तब उन्हें नोट्स टु द अकाउंट्स में जाहिर किया जाता है। जब एक अंतर्प्रवाह लगभग निश्चित होता ह, तब एक परिसंपत्ति को मान्य किया जाता है।

2.26 सहायता अनुदान

केन्द्रीय सरकार से पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त सहायता अनुदान, जहां अधिग्रहित संपत्ति का स्वामित्व सरकार में निहित होता है, अनुदान को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

2.27 शेयर पूंजी

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.28 प्रति शेयर आय

बेसिक अर्निंग्स प्रति शेयर की गणना, वर्ष के दौरान, शेयरधारकों से संबंधित शुद्ध लाभ एवं वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या का इस्तेमाल करते हुए की जाती है।

डाइल्यूटेड अर्निंग्स प्रति शेयर की गणना, वर्ष के दौरान शेयरधारकों से संबंधित शुद्ध लाभ एवं वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों एवं संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का इस्तेमाल करते हुए की जाती है, केवल वैसे मामलों को छोड़कर जो एंटी.डाइल्यूटिव हों।

2.29 पूर्व अवधि समायोजन

पिछले वर्षों से संबंधित प्रत्येक मामले में 50,000 /- से ऊपर के आय / व्यय के मद को, प्रस्तुत की गयी पूर्व की अवधियों, जिनमें त्रुटि हुई, की तुलनात्मक राशि को पुनः घोषित करक, भूतलक्षी तरीके से, या यदि त्रुटि प्रस्तुत की गयी सबसे पहले की अवधि से भी पहले हुई हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट को फिर से घोषित करक सुधारा जाता है।

2.30 अभिनव लेखांकन विकास : मानक निर्गत परंतु अभी तक प्रभावी नहीं

क) ईण्ड ए एस 115 : ग्राहक के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व

सांद्र युरेनियम परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा अनिवार्य रुप से अधिग्रहण किया जाता है तथा इसकी दर परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। अतएव कंपनी के राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता

ख) ईण्ड ए एस 21 : विदेशी मुद्रा अनुवाद एवं अग्रिम विचार

कंपनी ने ईण्ड एस 21 में दिए गए परिशिष्ट को विस्तृत प्रभाव का आकंलन किया है कंपनी के वित्तीय विवरण में इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगी ।

2.31 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान पूर्व धारणा और निर्णय

कंपनी भविष्य के बारे में अनुमान और धारणाएँ तय करती है। परिणामस्वरूप लेखा अनुमान, परिभाषा के अनुसार, शायद ही कभी संबंधित वास्तविक परिणामों के बराबर होंगे। अनुमानों और पूर्व धारणाओं, जिनकी वजह से, अगले एक वित्तीय वर्ष के अंदर, संपत्ति और देनदारियों की आगे ले जाने वाली राशियों में ठोस समायोजन होने का खासा जोखिम हो, के बारे में निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

अनुमान और अंतर्निहित पूर्वधारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखा अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें वे अनुमान संशोधित किए गए हों और प्रभावित होनेवाली किसी भावी अवधि में।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को नुकसान

जब भी घटनाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि संभव है कि संपत्ति का वहन मूल्य वसूली योग्य न हो, तो कंपनी संभावित हानि के आकलन के लिए अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यांकन करती है। एक नुकसान हानि को मान्य किया जाता है, यदि अगर किसी संपत्ति का वहन मूल्य उसके उचित मूल्य के उच्चतम मान में बिक्री लागत व उपयोग किये जा रहे मूल्य को घटाने पर मिलनेवाली राशि से ज्यादा हो।

परिसंपत्ति को कितना नुकसान हुआ है इसका निर्धारण अनिश्चित मामलों पर प्रबंधन के अनुमान से जुड़ा होता है। हालांकि, नुकसान की समीक्षा और गणना उन पूर्व धारणाओं पर आधारित होती हैं, जो कंपनी की व्यावसायिक योजनाओं और दीर्घकालिक निवेश निर्णयों के अनुरूप होती हैं।

ख) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त सम्पत्तियों की उपयोगी आयु

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी आयु कई कारकों पर आधारित होती है, जिसमें अप्रचलन, परिसंपत्ति का उपयोग और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव शामिल हैं।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख के अंत में और अमूर्त की उपयोगी आयु की समीक्षा करती है।

ग) खदान पुनरुद्धार दायित्व

अनुमान केवल तभी तैयार किया जाता है, जब कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व हो, और यह संभावित हो कि भविष्य की तारीख में पुनर्वास ध्‌ पुनर्स्थापना लागत का खर्च उठाना पड़ेगा। किसी दायित्व का अस्तित्व तब होता है, जब पुनर्वास/पुनर्स्थापना करने के सिवाय और कोई वास्तविक विकल्प न हो या जब इकाई पर्यावरण को पहुँचे नुकसान में सुधार करने या पर्यावरण को पुनर्बहाल करने हेतु कानूनी या रचनात्मक रूप से बाध्य हो।

द) आयकर

आयकरों के प्रावधान का निर्धारण करने के लिए एक अच्छी निर्णय प्रक्रिया जरूरी होती है। कई ऐसे लेन–देन और गणनाएं हैं, जिनके लिए सामान्य व्यवसाय के दौरान अंतिम रूप से कर का निर्धारण अनिश्चित होता है। कंपनी अनुमानित कर से संबंधित मसलों की देयताओं को अतिरिक्त कर देय होंगे या नहीं इस पर आधारित अनुमान पर मान्य करती है। जहां इन मामलों का अंतिम कर परिणाम शुरू में दर्ज की गई राशि से अलग होता है, उनमें ऐसे अंतर का आयकर और आस्थगित कर प्रावधानों पर उस अवधि में प्रभाव पड़ता है , जिसमें इसका निर्धारण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, संचित हानि पर आस्थगित कर की विश्वसनीयता की संभावना, न्यूनतम वैकल्पिक कर और अस्थायी अंतरों का मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि तक उपलब्ध विभिन्न कारकों के आधार पर किया जाता है। उन कारकों में किसी भी प्रकार का बदलाव आयकर और स्थगित कर प्रावधानों को उस अवधि में प्रभावित करेगा जिसमें ऐसा निर्धारण किया गया है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

3. सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण

(लाख ₹ में)

विवरण	स्वतंत्र भूमि	लीजवाली भूमि	फैक्ट्री भवन	प्रशासनिक एवं अन्य भवन	स्वतंत्र एवं मशीनरी (स्वामित्व)	विद्युत सस्थापन	ऑपेनकॉस्ट माइन	फर्नीचर एवं फिक्सचर	उपकरण	वाहन	कुल
01 अप्रैल 2016 को	4,641.62	246.54	16,245.37	7,195.78	29,823.69	9,807.66	8,415.19	272.62	349.65	245.67	77,243.80
जोड़ा	788.32	-	15,789.47	817.86	1,33,881.10	9,924.19	-	18.24	220.16	15.93	1,61,455.26
31 मार्च 2017 को	5,429.94	246.54	32,034.84	8,013.64	1,63,704.79	19,731.85	8,415.19	290.86	569.81	261.60	2,38,699.06
जोड़ा	-	13.90	301.31	0.19	3,077.26	178.27	-	14.38	4.65	-	3,589.97
31 मार्च 2018 को	**5,429.94**	**260.44**	**32,336.16**	**8,013.83**	**1,66,782.06**	**19,910.12**	**8,415.19**	**305.24**	**574.46**	**261.60**	**2,42,289.03**
संचित अवमूल्यन एवं हानि											
01 अप्रैल 2016 को	-	45.67	871.34	203.90	5,669.65	1,063.41	608.33	51.26	77.83	60.42	8,651.82
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	3.36	17.46	1,019.34	195.69	9,721.48	1,235.48	608.33	48.37	86.95	59.60	12,996.05
31 मार्च 2017 को	3.36	63.13	1,890.68	399.59	15,391.13	2,298.89	1,216.66	99.63	164.78	120.02	21,647.87
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	13.44	17.77	1,393.61	206.29	15,552.16	1,724.13	608.33	44.32	110.23	48.67	19,718.94
31 मार्च 2018 को	**16.80**	**80.90**	**3,284.29**	**605.88**	**30,943.29**	**4,023.02**	**1,824.98**	**143.95**	**275.01**	**168.69**	**41,366.81**
शुद्ध बुक वेल्यू											
31 मार्च 2018 को	**5,413.14**	**179.54**	**29,051.87**	**7,407.95**	**1,35,838.77**	**15,887.11**	**6,590.21**	**161.29**	**299.46**	**92.91**	**2,00,922.24**
31 मार्च 2017	**5,426.58**	**183.41**	**30,144.16**	**7,614.05**	**1,48,313.67**	**17,432.96**	**7,198.53**	**191.23**	**405.03**	**141.58**	**2,17,051.19**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

इक्विटी शेयर पूँजी

(लाख ₹ में)

	संख्या	रकम
अधिकृत शेयर पूँजी		
01 अप्रैल 2016	250.00	2,50,000.00
बढ़ोतरी/घटती शेयर पूँजी	100.00	1,00,000.00
31 मार्च 2017	350.00	3,50,000.00
बढ़ोतरी/घटती शेयर पूँजी	-	-
31 मार्च 2018	350.00	3,50,000.00
प्रत्येक ₹ **1,000** के इक्विटी शेयर जारी गए, सब्सक्राइब किए गए एवं पूर्ण रुप से भुगतान किए गए		
I.		
प्रत्येक ₹ **1,000** के दर 100,000/- से इक्विटी शेयर (देय लगभग ₹ 581/- के अन्दर या फिर नगद ₹ 491 प्रति शेयर		
01 अप्रैल 2016	1.00	1,000.00
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2017	1.00	1,000.00
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2018	**1.00**	**1,000.00**
II.		
(31.03.2017: 1,853) इक्विटी शेयर 1,000 प्रत्येक आवंटित किए जाते है नकदी के अलावा अन्य विचार के लिए पूरी तरह चुकाया गया है		
01 अप्रैल 2016	0.02	18.53
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	
31 मार्च 2017	0.02	18.53
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	
31 मार्च 2018	**0.02**	**18.53**
III.		
(31.03.2017: 16054325) इक्विटी शेयर 1,000 प्रत्येक आवंटित किए जाते है नकदी में पूरी तरह चुकाया गया है		
01 अप्रैल 2016	155.44	1,55,443.25
अवधि के दौरान परिवर्तन	5.10	5,100.00
31 मार्च 2017	160.54	1,60,543.25
अवधि के दौरान परिवर्तन	**20.00**	**20,000.00**
31 मार्च 2018	**180.54**	**1,80,543.25**
31 मार्च 2018	181.56	1,81,561.78
31 मार्च 2017	161.56	1,61,561.78

शर्तें एवं इक्वटी शेयरों से जुड़े अधिकार

कंपनी के पास इक्वटी शेयर का केवल एक वर्ग है जिसमें प्रति शेयर ₹ 1000 का बराबर मूल्य है। प्रत्येक शेयरधारक आयोजित प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताावित लांभाश वार्षिक आम बैठक सुनिश्चित करने में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है ।

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 3202.00 लाख (गत वर्ष ₹ 3839.00 लाख) के इक्विटी लाभांश की सिफारिश की है। यह इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे शामिल नहीं किया गया है इन वित्तीय वक्तव्यों में देयता। प्रस्तावित लाभांश पर कर 651.85 लाख रुपये कर

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

3 ख) अन्य इक्विटी

(लाख ₹ में)

विवरण	लंबित शेयर आवेदन रकम का आवंटन	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आरक्षित	कुल
01 अप्रैल 2016	2,600.00	14,336.03	31,826.03	48,762.06
वर्ष के लिए लाभ	-	-	12,732.79	12,732.79
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(175.54)	(175.54)
शेयर का निर्गमन	(2,600.00)	-		(2,600.00)
प्रदत्त लाभांश	-	-	(3,064.00)	(3,064.00)
लाभांश वितरण कर (डी.डी.टी.)	-	-	(623.77)	(623.77)
				-
31 मार्च 2017	**-**	**14,336.03**	**40,695.51**	**55,031.54**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	10,672.85	10,672.85
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(425.30)	(425.30)
प्राप्त रकम	43,900.00	-	-	43,900.00
शेयर का निर्गमन	(20,000.00)	-	-	(20,000.00)
प्रदत्त लाभांश	-	-	(3,839.00)	(3,839.00)
लाभांश वितरण कर (डी.डी.टी.)	-	-	(781.52)	(781.52)
31 मार्च 2018	**23,900.00**	**14,336.03**	**46,322.54**	**84,558.57**

सामान्य रिर्जव

वह रिजर्व इक्विटी के एक घटक (आम तौर पर बनाए रखा आय) से एक विनियमन द्वारा बनाया गया था, अन्य व्यापक आय का एक आइटम नहीं।

3 ग) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

8156178 संख्या (31-03-2017 :16156178), 100% शेयर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा धारित है

साथ के ये नोट इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न हिस्सा है :

हमारी संलग्न समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंटस फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या – 004614C
रमेश कुमार अग्रवाल
पार्टनर, सदस्यता संख्या – 072918,
स्थान – मुम्बई, तिथि : 10.08.2018

कृत एवं बोर्ड की ओर से

बी सी गुप्ता,	**देवाशिष घोष**	**सी के असनानी**
कंपनी संचिव	*निदेशक (वित्त)*	*अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

4. पूंजीगत प्रगतिधीन कार्य

(लाख ₹ में)

विवरण	''पूंजीगत प्रगतिधीन कार्य (परिचालन इकाई) ''	''पूंजीगत प्रगतिधीन कार्य (चालू परियोजना) ''	''पूंजीगत प्रगतिधीन कार्य (पूर्व परियोजना व्यय) ''	''पूंजीगत संपति मे स्टॉक लंबित स्थापना ''	कुल
01 अप्रैल 2016	2,10,479.17	9,161.89	1,877.16	1,038.36	2,22,556.58
अतिरिक्त	222.12	6,114.50	178.79		6,515.41
स्थानातंरण	(2,03,785.09)	(364.76)		(699.03)	(2,04,848.89)
31 मार्च 2017	**6,916.20**	**14,911.63**	**2,055.95**	**339.33**	**24,223.11**
अतिरिक्त	4,318.75	1,137.77	147.71		5,417.73
स्थानातंरण	(1,529.37)			(186.50)	(1,529.37)
31 मार्च 2018	**9,705.57**	**16,049.39**	**2,203.66**	**152.83**	**28,111.44**

परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
01 अप्रैल 2015 तक		
परिचालन इकाईयां		
अ) जादूगोड़ा माइंस एवं मिल्स	75.79	104.02
ख) नरवापहाड़ माइन	-	-
ग) तुरामडीह माइन	187.19	209.80
घ) बागजाता माइन	4,254.39	4,221.39
ड़) तुरामडीह मिल	1,404.73	69.41
च) बंदुहुरांग माइन	17.37	52.13
छ) मोहुलडीज माइन	977.69	948.92
ज) तुम्मल्लापल्ली माइन एवं मिल्स	2,788.41	1,310.53
	9,705.57	6,916.20
चालू परियोजनाएँ :		
क) तुरामडीह माइन विस्तारीकरण परियोजना	4,602.86	4,596.85
ख) तुरामडीह माइन विस्तारीकरण परियोजना	2,142.24	1,537.66
ग) तुरामडीह पैरॉक्साइट प्लांट प्रोजेक्ट	1,268.49	1,262.76
ड़) जादूगोड़ा में टेलिंग पॉण्ड प्रोजेक्ट का चौथा चरण	5,792.72	4,240.47
च) तुरामडीह में टेलिंग पॉण्ड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण	45.51	30.05
छ) संचालन के डीबॉटलिनेक्लिंग	319.20	1,682.95
ज) भाटिन माइन आधुनिकीकरण परियोजना	1,878.37	1,560.89
	16,049.39	14,911.63
परियोजना पूर्व व्यय :		
क) लांबापुर परियोजना	809.71	794.26
ख) के. पी. एम. परियोजना	965.69	918.07
ग) तुम्मालापल्ले विस्तारीकरण परियोजना	83.40	83.40
घ) गोगी परियोजना	243.25	191.82
ड़) रोहित परियोजना	5.70	5.70
च) यूरेनियम रिकवरी प्लांट (मुसाबनी)	95.90	62.71
	2,203.65	2,055.95
अधिष्ठापन हेतु लंबित स्टॉक में पूँजी परिसंपत्ति/12.72 लाख रूपये का पारगमन में इस्तेमाल भी शामिल है। (31.03.2017 : 155.11 लाख रूपये एवं 01.04.2016)	152.83	339.33
कुल	**28,111.44**	**24,223.10**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

5. अमूर्त संपत्ति

(लाख ₹ में)

विवरण	उत्पाद विकास गतिविधि	वन भूमि का उपयोग करने का अधिकार	कुल
01 अप्रैल 2016	-	988.01	988.01
अतिरिक्त	14,016.35	-	14,016.35
31 मार्च 2017 को	**14,016.35**	**988.01**	**15,004.36**
परिशोधन और हानि	(2,491.63)	270.96	(2,220.67)
31 मार्च 2018 को	11,524.72	1,258.97	12,783.69
परिशोधन और हानि			
01 अप्रैल 2016	-	63.18	63.18
परिशोधन	700.82	80.12	780.94
31 मार्च 2017 का	**700.82**	**143.30**	**844.12**
परिशोधन	2,180.36	84.72	2,265.08
31 मार्च 2018 का	**2,881.18**	**228.02**	**3,109.20**
नेट बुक मूल्य			
31 मार्च 2018 का	**8,643.54**	**1,030.95**	**9,674.49**
31 मार्च 2017 को	**13,315.53**	**844.71**	**14,160.24**

वन भूमि का उपयोग करने का अधिकार : 553.24 एकड़ (31.03.2016) : 553.24 एकड़ और 01.04.2015 : 553.24 एकड़) की वन भूमि झारखंड सरकार द्वारा विशिष्ट उपयोग के लिए प्राप्त की गई है और झारखंड सरकार के स्वामित्व में है।

6. ऋण

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
गैर चालू		
प्रतिभूत, जो वसूली योग्य समझे गये		
- कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम	767.87	800.81
- नौकरी अनुबंध के लिए अग्रिम	193.03	391.60
अप्रतिभूत, जो वसूली योग्य समझे गये		
- कर्मचारियों से अग्रिम	117.34	109.59
	1,078.24	**1,302.00**
चालू		
प्रतिभूत, जो वसूली योग्य समझे गये		
- कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम	182.23	181.33
अप्रतिभूत, जो वसूली योग्य समझे गये		
- कर्मचारियों से अग्रिम	327.47	209.55
- कर्मचारियों से अन्य प्राप्ति	59.85	80.81
- अन्य प्राप्ति	2,122.12	2,059.16
	2,691.67	**2,530.85**

7. अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्ति

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
पूँजी में वृद्धि (प्रतिभूत, जो वसूली योग्य समझे गये)	7.40	7.40
खनन पट्टा के लिए पूर्वभुगतान	165.58	-
	172.98	7.40

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

8. इंवेन्टरीज

(लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
कच्चा माल		943.81	471.15
कार्य प्रगति पर		7,503.41	7,295.37
तैयार माल			
अयस्क		19,957.12	39,599.81
उपोत्पाद	14.64		
घटाएं : प्रावधान	3.25	11.39	13.60
स्क्रैप		301.58	284.69
भंडार तथा पुर्जे	4,870.16		3,998.61
घटाएं : अप्रचलित के लिए प्रावधान	361.80	4,508.36	(347.72)
		4,508.36	3,650.89
भंडार तथा पुर्जे – पारगमन में		598.13	306.89
		33,823.80	51,622.41

9. व्यापर प्राप्तियाँ

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
व्यापार से प्राप्तियाँ (सुरक्षित, अच्छा मानना)	63,295.06	49,097.88
	63,295.06	49,097.88

10. नकद एवं नकद समकक्ष

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
उपलब्ध नकद (अग्रदाय नकद एवं स्टाम्प भी शामिल है)	9.68	13.65
बैंकों के पास जमा राशियाँ :		
– चालू खाता में	184.57	2,225.29
– तीन महीने के भीतर परिपक्वता के साथ जमा राशि (धारणाधिकार के बिना)	2,550.00	108.36
	2,744.25	2,347.30

* औवरड्राफ्ट और क्रोडिट के पत्र के विरूद्ध धारणाधिकार के रूप में आयोजित

11. नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक अधिशेष राशि

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
3 महीने के अधिक, पर 12 महीने से कम (धारणाधिकार के बिना) जमा के साथ परिपक्वता	117.32	128.71
	117.32	128.71

12. मौजूदा कर (शुद्ध)

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
कर के लिए अग्रिम	2,002.81	2,216.15घटाया : कर
के लिए प्रावधान	(2,427.77)	(4,366.43)
मौजूदा कर सम्पत्ति/दायित्व	**(424.96)**	(2,150.28)

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

13. अन्य वित्तीय सम्पत्ति

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
गैर मौजूदा		
सुरक्षा जमा राशि	696.50	584.99
	696.50	584.99
मौजूदा		
अर्जित सम्पत्ति		
- बैंकों से	8.83	13.63
- कर्मचारियों से	750.34	712.50
- अन्य से	0.77	11.20
	759.94	737.33

14. अन्य मौजूदा सम्पत्ति

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
पूर्वदत्त व्यय	28.64	36.00
अग्रिम (असुरक्षित) :		
- अपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
क) वसूली योग्य समझे गये	771.89	708.65
ख) संदिग्ध माना गया	2.33	2.33
	774.22	710.98
घटाया : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	2.33	2.33
	771.89	708.65
ठेकेदारों, सरकारी विभागों इत्यादि को अग्रिम	2,187.58	2,253.43
	2,988.11	2,998.07

नोट : 2007 – 2008 में झारखंड सरकार के जिला पदाधिकारी के पास 165.63 लाख रूपये के मैग्नेटाइट डिपॉजिट पर लेखे का राजस्व जिसमें ठेकेदार, सरकारी विभाग सहित अग्रिम है, विरोध के तहत जमा किया है, जिसके विरुद्ध विवाद न्यायालय में विचाराधीन है।

15. वित्तीय देनदारियाँ

क) मौजूदा उधारी

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
असुरक्षित		
बैंकों से ऋण	-	54022.18
अन्य संस्थाओं से ऋण	10,000.00	10000.00
	10,000.00	64,022.18

* असुरक्षित उधारियों का विवरण

(लाख ₹ में)

बैंको / संस्थाओं के नाम	ऋण की प्रकृति	ऋण की सीमा	31-03-2017 को उपभुक्त ऋण	ब्याज की दर
एस. बी. आई. जादुगोड़ा	कैश क्रेडिट	65000.00	-	8.00%
न्यूक्लियर पावर कॉपपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,	ऋण		10000.00	10000.008.00%
कुल			**10000.00**	

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

ख) व्यापार देयताएँ (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
विविध लेनदार		
- एस. एस. आए. अंडरटेकिंग	-	3.09
- अन्य	6,402.77	5,418.69
कुल	**6,402.77**	**5,421.78**

सुक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
वर्ष के अन्त में प्रमुख बकाया राशि	40.30	115.66
वर्ष के अन्त में ब्याज की राशि	1.40	3.09
वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे आपूर्तिकर्ताओं को मूल राशि का भुगतान किया गया,	212.14	213.28
वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे आपूर्तिकर्ताओं एम.एस.एम.इ.डी. अधिनियम की धारा 16 से इत्तर ब्याज की राशि प्रदान की गई,	–	–
वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे एम.एस.एम.इ.डी. अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं ब्याज की राशि प्रदान की गई	3.09	9.36
भुगतान के लिए आपूर्तिकर्ताओं को बकाया ब्याज और देय राशि पहले ही दे दी गई थी	1.40	3.09
पिछले वर्षों के लिए बाकी बकाया	–	–

ब्याज और देयता सुक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण संबंधित आपूतिकर्ताओं से उपलब्ध की गई जानकारी के अनुसार किया गया है।

ग) अन्य वित्तीय देनदारियाँ

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
गैर मौजूदा		
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओ की देनदारी	1,035.56	948.21
	1,035.56	948.21
मौजूदा		
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं की देनदारी	24,438.24	38,859.17
कर्मचारी और एसीइएस की देनदारी	4,936.97	7,961.47
सरकारी संस्थानों की देनदारी (टिप्पणी संख्या (i) एवं (ii) का संदर्भ लें)	9,797.64	9,678.80
अन्य खर्चों की देनदारी	251.77	234.26
बुक ओवरड्रॉफ्ट	-	18.54
	39,424.62	56,752.24

नोट -

(i) वर्ष 1996 में कंपनी ने बंद तुरामडीह परियोजना की परिसम्पत्ति को सेंट्रल रिजर्व पुलिस (सीआरपीएफ) को रू0 2322 लाख की राशि का हस्तांतरण किया था। तुरामडीह खान के पुनः खुलने पर परिसम्पत्तियों को वापस ले लिया। सीआरपीएफ द्वारा लिये गये रू0 3467 की राशि के कुलद दावे के विरूद्ध रू0 2500 लाख का भुगतान किया जा चुका है और शेष रू0 967 लाख अंतिम लंबित लेखा भुगतान में प्रावधित किया गया।

(ii) भारत सरकार का रू0 1110.60 लाख (31.03.2017 : रू0 1111.60 लाख एवं 31.03.2017 : रू0 1110.60 लाख) जो बन्द तुरामडह परियोजना की जमीन एवं अन्य परिसम्पत्तियाछ है, का इस्तेमाल कंपनी कर रही है। भारत सरकार द्वारा सूचित मुल्य आधारित राशि रू0 1110.60 लाख, पिछले वर्ष रू0 1110.60 लाख का प्रावधान लेखे में किया गया है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

16. प्रावधान

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक		31 मार्च 2017 तक	
	गैर मौजूदा	मौजूदा	गैर मौजूदा	मौजूदा
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
- ग्रेच्युटी	-	4,464.26	-	561.31
- छुट्टी नकदीकरण	5,695.52	236.22	5,232.98	303.93
- सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	528.34	11.28	495.22	10.22
- छुट्टी यात्रा रियायत	166.71	73.36	263.92	30.17
	6,390.57	4,785.12	5,992.12	905.63
अन्य के लिए प्रावधान				
- खान बंद करने की बाध्यता	705.50	-	654.44	-
- बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क	-	-	-	-
- सीआईएसएफ का बकाया	-	16.21	-	16.21
- अन्य	-	5.19	-	5.19
	705.50	21.40	654.44	21.40
कुल प्रावधान	7,096.07	4,806.52	6,646.56	927.03

17. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
आस्थगित कर देयता		
सम्पत्ति, संयत्रं एवं उपकरण तथा अमूर्तसम्पत्तियों से संबंधित	16,425.72	14,780.17
अन्य	-	3.60
	16,425.72	14,783.77
आस्थगित कर देयता		
अप्रचलित स्टोर	125.21	120.34
अवकाश वेतन	2,048.41	1,787.99
खदान बंद करने की बाध्यता	244.16	226.49
राजस्व पर लगाया गया पूर्वप्रदत्त व्यय	2.50	2.03
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	183.54	155.04
यात्रा रियायत के लिए	83.08	91.28
	2,686.91	2,383.17
मैट क्रेडिट उपलब्ध	5,974.80	3,426.60
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	**7,764.01**	**8,974.00**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

18. अन्य मौजूदा देनदारियाँ

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
केपीएम परियोजना के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान (टिप्पणी संख्या (i) एवं (ii) का संदर्भ लें)	754.45	754.45
गोगी और रोहिल परियोजना के लिए एएमडी से प्राप्त निधि (टिप्पणी संख्या (iii) एवं (iv) का संदर्भ लें)	1,773.49	1,962.42
सरकारी संस्थाओं की देनदारी	215.03	214.97
कर्मचारी एवं एइसीएस की देनदारी	613.25	522.87
वैधानिक बकाया	644.96	901.16
	4,001.18	4,355.87

नोट -

(I) मेघालय के केलेंग पेंडेंग सोहियोंग माउथावा खनन एवं मिलिंग परियोजना के ढाँचागत विकास हेतु भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कुल रू0 4000 लाख (31.03.2017 : रू0 4000 लाख) प्राप्त हुआ था। कुल रू0 4000 लाख में से 3322.03 लाख (31.03.2016 : रू0 3322.02 लाख एवं 01.04.2015 : रू0 3322.03 लाख) 31.03.2015 तक के.एच.ए.डी.सी को दिया गया था।

(ii) उस पर सरकारी अनुदान की बकाया राशि सहित संचयी ब्याज की राशि रू0 76.49 (31.03.2017 : रू0 76.49 लाख) अर्जित की गई।

(iii) राजस्थान के सिकर जिले में रोहिल यूरेनियम डिपोजिट एटोमिक मिनरलस डाइरेक्टोरेट फोर एक्सप्लोरेशन एण्ड रिसर्च (ए.एम.डी.) द्वारा अन्वेषण के अधीन है। ए.एम.डी. ने रोहिल में खोजी खनन कार्य के लिए यूसिल के साथ समझौता किया है। यूसिल एजेंट के रूप में काम करेगी और स्वामित्व ए. एम.डी. के पास रहेगा। ए.एम.डी. से प्राप्त फंड को किए गए कार्य के साथ समायोजित किया गया है और शेष, यदि कोई हो, तो खातों की बहियों में देयता के रूप में दर्शाया गया है।

(iv) अनुसंधान गवेशण हेतु खनन निदेशालय एवं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसिल) के बीच कर्नाटक के गुलवर्ग जिले में गोगी परियोजना हेतु खनन गवेशण द्वारा संभावित प्रचालन कार्य करने के लिए 06.03.2007 को एक समझौता हुआ था। जिसके लिए निधि ए.एम.डी. द्वारा उपलब्ध कराया गया था। यूसिल एजेंट के रूप में काम करेगी और स्वामित्व ए.एम.डी. के पास रहेगा। ए.एम.डी. से प्राप्त फंड को किए गए कार्य के साथ समायोजित किया गया है और शेष, यदि कोई हो, तो खातों की बहियों में देयता के रूप में दर्शाया गया है।

19. परिचालन से राजस्व

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सांद्र के अधिग्रहण के लिए मुआवजा		
क) मौजूदा वर्ष के लिए	1,57,796.34	1,14,356.38
ख) पिछले वर्ष के लिए	22,760.87	26,634.28
	1,80,557.21	1,40,990.66
घटाए : तुमलापल्ले परियोजन से संबंधित राशि आई.ई.डी.सी. में स्थानांतरित	2,565.57	(15,616.37)
	1,77,991.64	1,25,374.29
अन्य परिचालन राजस्व		
उपोत्पाद की बिक्री	282.34	1,224.43
	1,78,273.98	1,26,598.72

वर्ष 2016–17 के लिए यूरेनियम सांद्र का मुआवजे की दर परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए यूरेनियम सांद्र के मुआवजे दर की अंतिम रूपरेखा लंबित है, इस लिए, वर्ष 2016–17 के लिए लागू दर संचालन से राजस्व निर्धारित करने के लिए विचार की गयी है। यदि दर मे कोई अंतर हो तो उसे अंतिम रू॰ उसी वर्ष में लिया जाएगा। पिछले वर्षों के लिए मुआवजा ऊपर दिखाया गया है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

20. अन्य आय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
ब्याज बैकों के पास जमा करने पर	13.15	18.59
अन्य पर ब्याज	95.07	104.16
स्क्रैप माल की बिक्री	146.34	41.11
उपकरणों तथा वाहनों का भाड़ा शुल्क	2.69	2.07
पैकिंग में संशोधन, भाड़ा दंड आदि के सबंध में आपूर्तिकर्त्ताओं से वसूली	61.51	39.23
निविदा प्रपत्र की बिक्री	13.42	13.51
देनदारियाँ तथा प्रावधनों की अब कोई आवश्यकता नहीं है	144.44	57.51
टाउनशिप रसीदें	328.22	293.44
विविध रसीदें	116.28	102.16
कुल	**921.12**	**671.78**

21 (अ). खपत माल की लागत

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
कच्चे माल का प्रारंभिक भण्डार	138.89	80.50
जोड : क्रय	18,140.45	8,932.47
घटाया : कच्चे माल का अंतिम स्टॉक	943.81	138.89
कच्चे माल के लागत की खपत	17,335.53	8,874.09

21 (ख). तैयार माल की सूची में परिवर्तन तथा प्रगतिधीन कार्य

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
वर्ष के प्रारंभ में तैयार माल		
- अयस्क	39,599.81	5,723.20
- उपोत्पाद	16.85	16.17
- प्रगतिधीन कार्य	7,295.37	1,474.54
- स्क्रैप	284.69	227.75
	47,196.72	7,441.66
जोड़ाः परियोजना चालू होते समय भण्डार		
- तुमल्लापल्ली खान अयस्क	-	34,090.26
- तुमल्लापल्ली मिल प्रगतिधीन कार्य	-	3,689.45
	-	37,779.72
घटाया : वर्ष के अंत में तैयार माल		
- अयस्क	19,957.12	39,599.81
- उपोत्पाद	14.64	16.85
- प्रगतिधीन कार्य	7,503.41	7,295.37
- स्क्रैप	301.58	284.69
	27,776.75	47,196.72
सूची में कुल (वृद्धि/कमी	19,419.98	(1,975.34)

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

22. - कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
- वेतन मजदूरी और भत्ता	31,061.35	25,580.02
भविष्य निधि में योगदान	3,715.79	2,515.65
ग्रेच्युटी फंड में योगदान	3,699.32	363.27
वेलफेयर फंड/कल्याण कोष के लिए योगदान	1.13	1.14
सेवानिवृति निधि के लिए योगदान	95.99	94.38
सेवानिवृति पश्चात् चिकित्सा पर व्यय	91.40	48.87
छुट्टी यात्रा रियायत पर व्यय	76.53	95.80
कर्मचारी कल्याण व्यय	369.56	433.93
चिकित्सा व्यय	1,628.38	1,033.51
	40,739.45	30,166.57

वेतन तथा मजदुरी सहित अन्य लाभ 615.58 लाख (2016–17 : 507.52 लाख) में जल की लागत से सम्बधित वेतन एवं मजदूरी तथा अन्य लाभ में सम्मिलित नहीं हैं ।

23. वित्तीय लागत

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
अन्य संस्थानों को ऋण पर व्याज	800.00	956.00
बैंक ब्याज	3,020.46	5,418.00
बंद खान के दायित्व की छूट का निपटान	51.03	47.10
कुल	**3,871.49**	**6,421.10**

24. मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
सम्पति संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्य ह्रास (टिपण्णी–3)	19,718.94	12,996.05
अमूर्त सम्पतियों (टिपण्णी–5) पर परिशोधन	2,265.08	780.94
घटाया : परियोजना पर अप्रत्यक्ष व्यय	21.36	97.53
कुल	21,962.66	13,679.46

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

25. अन्य व्यय

(लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
अनुबंधीय खान विकास व्यय		3,470.74	5,187.37
तुमल्लापल्ली अनुबंधीय खनन व्यय		12,301.53	5,041.96
स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत		6,704.53	6,732.72
बिजली एवं ईंधन		13,348.98	9,847.68
जल प्रभार		1,140.87	1,470.41
रॉयल्टी		4,798.79	3,443.72
परिवहन व्यय		897.68	851.68
मरम्मती एवं अनुरक्षण : (टिप्पणी क का संदर्भ लें)			
- संयत्र एवं मशीनरी	8,768.90		9,091.85
- भवन	3,054.68		916.56
- अन्य	870.62	12,694.20	797.88
भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय		71.79	58.08
अप्रचलित भंडार का प्रावधान		14.88	47.24
दर एवं कर		80.84	95.00
बिक्री कर		-	70.18
सुरक्षा व्यय		4,498.62	3,309.20
बीमा		43.73	31.67
विज्ञापन एवं बिक्री संवर्धन		1,122.88	465.28
यात्रा एवं संवहन		212.96	154.50
वाहन किराया शुल्क		715.00	588.32
संचार लागत		87.09	85.14
प्रिटिंग एवं स्टेशनरी		58.77	67.84
कंसल्टेंसी शुल्क		234.75	143.45
लेखा परीक्षकों का परिश्रमिक (टिप्पणी ख का संदर्भ लें)		4.83	4.63
विधि एवं व्यावसायिक शुल्क		23.58	13.98
सी. एस. आर. व्यय (टिप्पणी ग का संदर्भ ले)		191.53	197.75
टाउनशिप तथा सामाजिक सुविधाओं पर व्यय		194.88	135.75
मूआवजा बटट्े खाता में डाल दिया गया		-	-
विविध व्यय		539.61	210.70
		63,453.06	**49,060.54**

नोट :

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
अ) मरम्मती एवं अनुरक्षण मिलाकर		
- भंडार की खपत	2,671.51	3,099.44
- स्पेयर्स की खपत	5,961.21	6,340.31

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
ख) लेखा परिक्षकों के वेतन का विवरण		
- लेखा परिक्षण शुल्क	3.19	3.19
- कर लेखा परिक्षण शुल्क	0.69	0.74
- अन्य सेवा के लिए	0.95	0.70
	4.83	4.63

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

25. अन्य व्यय (क्रमश:)

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
ग) निगमित सामाजिक दायित्व व्यय		
सी.एस.आर. पर व्यय की जाने वाले राशि और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वित्तीय विवरण निम्मवत है :		
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के कुल शुद्ध लाभ		
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार	37,571.02	18,571.68
शुद्ध मुनाफे का औसत	12,523.67	6,190.56
सी.एस.आर. गतिविधियों के दिशा में कंपनी अधिनियम 2013 के		
अनुच्छेद 135 के अंतर्गत निर्धारित प्रतिशत	2.00%	2.00%
वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सी.एस.आर. में खर्च की जाने वाली राशि वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :	250.47	123.81
वास्तव में 2017–18 के दौरान सी.एस.आर. गतिविधियों खर्च की गई राशि	191.53	197.75
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
(i) सम्पति के निर्माण / अधिग्रहण – नगदी	19.34	34.12
- नकद भुगतान किया जाना है	69.84	30.70
	89.18	64.82
(ii) अतिरिक्त (I) उपरोक्त – नकद	50.98	95.60
- नकद भुगतान किया जाना है	51.37	37.34
	102.35	132.94
	191.53	197.76

26. आय कर व्यय

लाभ हानि विवरण में स्वीकृत कर व्यय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
मौजूदा कर		
वर्ष के लिए कर योग्य आय पर मौजूदा कर	2,548.20	4,412.10
आस्थगित कर		
आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)	1,340.10	6,739.08
एम. ए.टी. क्रेडिट (लिया गया)/उपयोग किया गया	(2,548.20)	(3,426.60)
कुल आस्थगित आयकर व्यय	(1,208.10)	3,312.48
पूर्व के वर्षो मे कर	396.91	463.76
कुल आय पर व्यय	1,737.01	8,188.33

आय कर से पहले लाभ के लिए सांविधिक आयकर दर लागू करके गणना की गई राशि के लिए आयकर व्यय का एक समझौता नीचे संक्षेप में दिया गया है:

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

26. आय कर व्यय (क्रमश:)

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
कंपनी में प्रयोज्य निष्क्रिय आयकर दर	34.61%	34.61%
कर पूर्व लाभ	12,409.86	20,921.12
भारत में निष्क्रिय आयकर दर पर कर पूर्व लाभ पर मौजूदा कर व्यय	4,295.05	7,240.38
कर योग्य आय की गणना में राशि का कर प्रभाव जो कि कटौती योग्य/(कर योग्य नही हैं)	2,161.13	487.80
पूर्व के वर्षो के संदर्भ में कर	396.91	463.76
कुल आयकर व्यय / (क्रेडिट)	1,737.01	8,191.94

वर्ष 2017–18 के प्रयोज्य कर 34.61% (2016–2017 : 34.61%) प्रभावी कर दर 22.50% (2016–2017 : 39.61%)

आस्थागित कर (देयता) संपति मे संचार (लाख ₹ में)

आस्थागित कर	स्थिर परिसंपति	कर्मचारियों की लाभ	अप्रचलित भंडार	अन्य सामग्रियाँ	एम ए टी क्रेडिट	कुल
01 अप्रैल 2016	(7,524.20)	1,513.49	103.99	211.47	-	(5,695.25)
प्रभारित / (क्रडिट) :						
- लाभ या हानि	(7,255.97)	487.11	16.35	13.45	3,426.60	(3,312.48)
- अन्य व्यापक आय	-	33.72	-	-	-	33.72
31 मार्च 2017	(14,780.17)	2,034.32	120.34	224.92	3,426.60	(8,974.00)
प्रभारित / (क्रडिट) :						
- लाभ या हानि	(1,645.55)	278.82	4.87	21.74	2,548.20	1,208.09
- अन्य व्यापक आय	-	1.89	-	-	-	1.89
31 मार्च 2018	**(16,425.72)**	**2,315.03**	**125.21**	**246.66**	**5,974.80**	**(7,764.01)**

27. प्रति शेयर आय

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
वर्ष के लिए लाभ/हानि	10,672.85	12,732.79
शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	169.72	159.04
प्रति शेयर मूल एवं डॉयल्यूटेड अर्निग (₹) (प्रति शेयर ₹ 1000 का अंकित मूल्य)	62.89	80.06

28. कर्मचारी लाभ दायित्व

क) परिभाषित लाभ योजनाएँ

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	3,715.79	2,515.65
सेवा निवृति में अंशदान	95.99	94.38

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक		31 मार्च 2017 तक	
	मौजूदा	गैर मौजूदा	मौजूदा	गैर मौजूदा
चिकित्सा लाभ	11.28	528.34	10.22	495.22
ग्रेच्युटी	4,239.30	-	561.31	-
छुट्टी	236.22	5,695.22	303.93	5,232.98

I. सेवानिवृति पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना

कंपनी अपने सेवानिवृत्त लोगों को सेवानिवृत्ति स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करती है। इन लाभों का हकदारता आमतौर पर सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में शेष कर्मचारी और न्यूनतम सेवा अवधि के पूरा होने पर सशर्त होती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली वही लेखा पद्धति का उपयोग करके रोजगार की अवधि के दौरान इन लाभों की अपेक्षित लागत अर्जित की जाती है। अनुभव समायोजन से उत्पन्न पुनःआकलन प्राप्ति और हानि और वास्तविक धारणाओं में परिवर्तन की अवधि उस अवधि में अन्य व्यापक आय में ली जाती है या जमा की जाती है।

क) तुलन पत्र में पहचान की गई राशि

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य	539.62	505.44
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता/ संपति	539.62	505.44

ख) योजना संपति एवं योजना देयताओं में संचार

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
01 अप्रैल को	505.44	402.16
मौजूदा सेवा लागत	23.39	18.26
शुद्ध ब्याज	36.26	30.66
	59.65	48.92
योजना संपतियों पर वापसी (ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)		
परिवर्तन से उत्पन्न वास्तविक (प्राप्ति/हानि)		
- जनसंख्यिकीय धारणा		
- वित्तीय धारणा	(20.26)	30.46
- अनुभव समायोजन	25.73	66.96
	5.47	97.42
प्रदत्त लाभ	(30.94)	(43.06)
31 मार्च को	**539.62**	**505.44**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

ग) कर्मचारी लाभ व्यय की तरह राशि की पहचान लाभ हानि विवरण में की गई

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
मौजूदा सेवा लागत	23.39	18.26
शुद्ध व्याज	36.26	30.66
	59.65	48.92
घटायाः आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित राशि	-	(0.05)
कर पूर्व लाभ/हानि पर शुद्ध प्रभाव	**59.65**	**48.87**
शुद्ध परिभाषित देयता का पुनर्मापन		
मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ/हानि)	5.47	97.42
शुद्ध (लाभ/हानि की पहचान कर पूर्व अन्य व्यापक आय में की गई आय पूर्व लाभ	**5.47**	**97.42**

घ) मान्याताएँ

तुलन पत्र की तारीख में मुख्य बीमांकिक धारणा :

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
छुट की दर (%)	7.60%	7.40%
पेंशन वृद्धि की दर	6.00%	6.00%

ड़) संवेदनशीलता

असरदार मुख्य मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्मवत है :

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक			31 मार्च 2017 तक		
	मान्यताओं में परिवर्तन	दर वृद्धि की स्थिति में डी़ बी़ ओ पर प्रभाव	दर घटने की स्थिति में डी़ बी़ ओ पर प्रभाव	मान्यताओं में परिवर्तन	दर वृद्धि की स्थिति में डी़ बी़ ओ पर प्रभाव	दर घटने की स्थिति में डी़ बी़ ओ पर प्रभाव
छुट की दर (%)	1.00%	(86.60)	113.49	1.00%	(83.32)	108.15
चिकित्सा वृद्धि की दर	1.00%	111.58	(86.62)	1.00%	106.14	(83.25)

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण निर्धारित प्रद्धति के आधार पर तय किया गया है जो परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव का विस्तार करता है जिसके परिणाम स्वरुप रिर्पोटिंग अवधि के अंत में उचित परिवर्तन हो सकता है ।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

च) परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्व इस प्रकार परिपक्व होगा

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
2018		10.59
2019	11.70	12.25
2020	13.04	13.62
2021	15.75	16.35
2022	17.74	18.37
2023 उसके बाद	314.25	135.25

परिभाषित लाभ दायित्व की वेटेड एवरेज ड्यूरेशन 11 वर्ष है

II. छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण के लिए देनदारियाँ जिस अवधि में कर्मचारियों ने सेवा दी हो उसके 12 महीने की समाप्ति पर पूर्णतः निपटारा होने की संभावना नहीं है। अंतः रिर्पोटिंग पिरीयड के अंत तक प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों के द्वारा उपलब्ध सेवा के संबंध में अनुमानित भावि भुगतान के वास्तविक मूल्य की माप की जाती है । रिर्पोटिंग अवधि के अंत में बाजार मूल्य का लाभ उठाते हुए फायदा उठाया जाता है जिसके संबंध में संबंधित दायित्व की शर्तों का अनुमान लगाया गया है । अनुभव समायोजन के परिणाम स्वरुप पुनर्मापन तथा बीमाकिंक मान्यताओं की पहचान लाभ हानि विवरण में की गई है ।

क) तुलन पत्र में पहचान की गई राशि **(लाख ₹ में)**

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य	(5,931.74)	(5,536.91)
योजना सम्पति का उचित मूल्य	--	--
शुद्ध देयता/ सम्पति	**(5,931.74)**	**(5,536.91)**

ख) योजना संपत्तियों और योजना दायित्वों में संचरण

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
0 1 अप्रैल को	5,536.91	4,026.01
मौजूदा सेवा लागत	947.40	782.29
शुद्ध ब्याज	350.78	274.94
लाभ/हानि की तत्कालिक पहचान – अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ योजनाएँ	689.90	1,545.26
शुद्ध छुट्टी नकदीकरण लागत	1,988.08	2,602.49
घटाया : आइ.ई.डी.सी. को हस्तारित राशि	-	(134.95)
कर पूर्व लाभ/हानि पर शुद्ध प्रभाव	1,988.08	2,467.54
योजना संपत्तियों पर वापसी (व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)		
निम्मलिखित से उत्पन्न बीमाकिंक (प्राप्ति/हानि)		
- जनसंख्यिकीय धारणा		
- वित्तीय धारणा	(114.54)	260.60
- अनुभव समायोजन	804.44	1,284.66
लाभ/हानि की तत्कालिक पहचान – अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ योजनाएँ	(689.90)	(1,545.26)
अन्य व्यापक आय में शुद्ध प्राप्ति की पहचान की गई है	-	-
लाभ का भुगतान किया गया	(1,593.25)	(1,091.59)
31 मार्च को	**5,931.74**	**5,536.91**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

ग) मान्याताएँ

तुलन पत्र की तारीख में मुख्य बीमांकिक धारणा : **(लाख ₹ में)**

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
छुट की दर (%)	7.60%	7.40%
पेंशन वृद्धि की दर	6.00%	6.00%

घ) संवेदनशीलता

असरदार मुख्य मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्मवत है :

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक			31 मार्च 2017 तक		
	मान्यताओं में परिवर्तन	दर वृद्धि की स्थिति में डी बी ओ पर प्रभाव	दर घटने की स्थिति में डी बी ओ पर प्रभाव	मान्यताओं में परिवर्तन	दर वृद्धि की स्थिति में डी बी ओ पर प्रभाव	दर घटने की स्थिति में डी बी ओ पर प्रभाव
छुट की दर (%)	1.00%	(522.41)	611.10	1.00%	(501.45)	589.27
चिकित्सा वृद्धि की दर	1.00%	621.27	(539.22)	1.00%	597.88	(516.67)

ऊपर की संवेदशीलता, विश्लेषण निर्धारित प्रद्धति के आधार पर तय किया गया है जो परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव का विस्तार करता है जिसके परिणाम स्वरुप रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित परिवर्तन हो सकता है ।

च) परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्व इस प्रकार परिपक्व होगा

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
2018		314.97
2019	245.03	359.16
2020	386.54	390.04
2021	559.67	562.94
2022	546.79	551.05
2023 उसके बाद	6,407.26	4,939.21

परिभाषित लाभ दायित्व की वेटेड एवरेज ड्यूरेशन 11 वर्ष है

ग्रेच्यूटी

भारत में कंपनी अपने कर्मचारियों को सेवानिवृति/सेवासमाप्ति पर देय ग्रेच्यूटी की राशि गणना कर्मचारियों के द्वारा आहरित पिछले मूल वेतनमान को सेवा के वर्षो की संख्या से गुणा कर 15 दिनों के वेतनमान के लिए अनुपातिक रुप से की जाती है । ग्रेच्यूटी योजना एक वित्त पोषित योजना है और कंपनी भारत में मान्यता प्राप्त फंडो में योगदान करती है ।

क) तुलन पत्र में पहचान की गई राशि

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य	17,428.38	13,551.83
योजना सम्पति का उचित मूल्य	15,332.81	14,114.20
शुद्ध देयता/ सम्पति	**2,095.57**	(562.37)

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

ख) योजना संपत्तियों और योजना देयताओं में संचरण **(लाख ₹ में)**

विवरण	31 मार्च 2018 तक			31 मार्च 2017 तक		
	योजना देयताएं	योजना संपत्तियाँ	शुद्ध देयताएं-संपत्तियां	योजना देयताएं	योजना संपत्तियाँ	शुद्ध देयताएं-संपत्तियां
01 अप्रैल को	13,551.83	14,114.20	(562.37)	11,801.47	12,577.13	(775.66)
मौजूदा सेवा लागत	419.07		419.07	459.60		459.60
प्याज खर्च/आय	975.47	1,075.60	(100.13)	898.63	973.65	(75.02)
पिछली सेवा लागत योजना परिवेश	**1,394.54**	**1,075.60**	**318.94**	**1,358.23**	**973.65**	**384.58**
योजना संपति पर प्रतिफल	3,498.64		3,498.64			-
योजना संपति पर प्रतिफल (शुद्ध व्याज में व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)		(698.77)	698.77		1,068.32	(1,068.32)
निम्नलिखित से उत्पन्न बीमाकिंक (प्राप्ति/हानि)						
-जनसंख्यिकीय धारणा	-		-			
- वित्तीय धारणा	(295.90)		(295.90)	580.58		580.58
-अनुभव समायोजन	18.85		18.85	664.47		664.47
लाभ का भुगतान किया गया	(739.58)	(739.58)	-	(852.92)	(852.92)	-
नियोक्ता का योगदान		1,581.36	(1,581.36)		348.02	(348.02)
31 मार्च को	**17,428.38**	**15,332.81**	**2,095.57**	**13,551.83**	**14,114.20**	**(562.37)**

ग) कर्मचारी लाभ व्यय की तरह राशि की पहचान लाभ हानि विवरण में की गई **(लाख ₹ में)**

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
मौजूदा सेवा लागत	419.07	459.60
पूर्व सेवा लागत	3,498.64	-
शुद्ध व्याज	(100.13)	(75.02)
	3,817.58	384.58
घटायाः आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित राशि	-	(21.31)
कर पूर्व लाभ/हानि पर शुद्ध प्रभाव	**3,817.58**	**363.27**
शुद्ध परिभाषित देयता का पुनर्मापन		
मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ/हानि)	421.72	176.73
घटायाः आई.ई.डी.सीी. को हस्तांतरित राशि	-	5.71
शुद्ध (लाभ/हानि की पहचान कर पूर्व अन्य व्यापक आय में की गई आय पूर्व लाभ	**421.72**	**171.02**

III. ग्रेच्यूटी (क्रमश :)

घ) कर्मचारी लाभ व्यय की

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
I. भारत सरकार की सुरक्षा	-	-
ii. व्यापारिक बाध्यताएँ	-	-
iii. विशेष जमा योजना	-	-
iv. अन्य (एल. आइ. सी.)	100.00%	100.00%
	100.00%	100.00%

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

ङ) मान्याताएँ

तुलन पत्र की तारीख में मुख्य बीमांकिक धारणा : **(लाख ₹ में)**

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
छुट की दर (%)	7.60%	7.40%
पेंशन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%

च) संवेदनशीलता

असरदार मुख्य मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्मवत है **(लाख ₹ में)**

विवरण	31 मार्च 2018 तक			31 मार्च 2017 तक		
	मान्यताओं में परिवर्तन	दर वृद्धि की स्थिति में डी बी ओ पर प्रभाव	दर घटने की स्थिति में डी बी ओ पर प्रभाव	मान्यताओं में परिवर्तन	दर वृद्धि की स्थिति में डी बी ओ पर प्रभाव	दर घटने की स्थिति में डी बी ओ पर प्रभाव
छुट की दर (%)	1.00%	(1,366.00)	1,565.00	1.00%	(1,121.00)	1,295.23
वेतनवृद्धि की दर	1.00%	1,534.00	(1,381.00)	1.00%	529.96	(587.51)

ऊपर की संवेदशीलता, विश्लेषण निर्धारित प्रद्धति के आधार पर तय किया गया है जो परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव का विस्तार करता है जिसके परिणाम स्वरुप रिर्पोटिंग अवधि के अंत में उचित परिवर्तन हो सकता है ।

च) परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्व इस प्रकार परिपक्व होगा **(लाख ₹ में)**

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
2018		753.52
2019	737.52	777.93
2020	961.10	790.76
2021	1,400.78	1,036.91
2022	1,384.67	1,002.69
2023 उसके बाद	14,031.13	7,643.86

परिभाषित लाभ दायित्व की वेटेड एवरेज ड्यूरेशन 11 वर्ष है

IV. छुटटी् यात्रा रियायत

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
छुट की दर (%)	7.60%	7.40%
प्रति व्यक्ति यात्रा दावा (रुपया में) की औसत लागत	3,000.00	3,000.00
शुद्ध छुट्टी यात्रा रियायत खर्च	(54.02)	8.70
लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभावित राशि	(54.02)	8.56
आइ. ई.डी. सी. में हस्तांतरित राशि	-	0.14

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

29. आकस्मिक देनदारियाँ एवं प्रतिबद्धताएँ

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
क) ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया दावा		
- ठेकेदारों रियायती प्रपत्रों इनपुट टेक्स क्रेडिट को सामग्री किए फ्री इश्यू के संदर्भ में विवादित बिक्री कर दावे		-
- झारखण्ड विद्युत बोर्ड द्वारा ईंधन अधिभार का दावा	19,329.91	16,293.00
- इसकी कटौती और कर योग्यता के लिए आयकर	731.74	731.74
- खरकाई नदी से पानी की आपूर्ति को लिए खरकई कैनल डिवीजन द्वारा जल प्रभार	235.25	185.29
- अन्य	0.59	0.59
ख) असमाप्त पत्र का श्रेय	100.90	100.90
ग) पूँजी खाते पर निष्पादित होने वाले ठेकेदारों की अनुमानित राशि (अग्रिम का शुद्ध)	9,744.42	3,855.77

विभिन्न मामलों में सेवा मामले सहित अन्य मामले है जो विभिन्न अदालतों में लेबित है, जिनके खिलाफ खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है न ही बताया जा रहा है कि यह आकस्मिक दायित्व है। जैसा कि इस स्तर पर मात्रात्मक नहीं है।

30. संबधित पक्ष प्रकटीकरण

1. सभी संबधित पक्ष को यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कोई लेन देन हुआ है या नहीं

क) कार्यकारी निदेशकण उनके सम्बधी तथा उनके उद्यम जिन पर वे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम है

श्री एम. ए ईनबारासु	–	संयुक्त सचिव (आई एण्ड एम), प.ऊ.वि.
श्री एल. के. नन्दा	–	निदेशक, ए एम डी (08.12.2016 से)
डा. दिनेश श्रीवास्तव	–	मुख्य कार्यकारी, एन.एफ.सी (27.02.2018 से)
श्री जी. कल्याणकृष्णन	–	मुख्य कार्यकारी, एन.एफ.सी (31.012018 तक)
श्री आर. वी. चक्रवर्ती (01.09.2016)	–	पूर्व उपमहानिदेशक, खान सुरक्षा
श्री के उमामहेश्वर	–	निदेशक, एन.आई.टी., सुरथकल

II. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	संबंध
श्री सी. के. असनानी (01.09.2016 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री डी. घोष	निदेशक (वित्त)
श्री बी. सी. गुप्ता	कम्पनी सचिव

2. व्यवसाय की सामान्य कार्यप्रणाली में ऊपर १ में निर्दिष्ट संबधित पक्षों के साथ लेन देन किया जाता है

(लाख ₹ में)

लेन देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
सेवा प्राप्त करना – पारिश्रमिक	श्री सी. के. असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.09.2016 से)	29.92	14.56
सेवा प्राप्त करना – पारिश्रमिक	श्री डी. आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.07.2016 तक)	-	25.20
सेवा प्राप्त करना – पारिश्रमिक	श्री डी. घोष, निदेशक (वित्त)	32.40	25.57
सेवा प्राप्त करना – पारिश्रमिक	श्री बी. सी. गुप्ता, कम्पनी सचिव	14.38	-

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

मुख्य प्रबंधन कार्मिक का प्रतिफल

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
न्यून अवधि कर्मचारी लाभ	49.48	65.32
नियोजन पश्चात लाभ	10.95	8.45
कुल प्रतिफल	**60.43**	**73.77**

31. उचित मूल्य माप

श्रेणी के अनुसार वित्तीय प्रपत्र

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
वित्तीय सम्पति		
लाभ/हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य निकाला गया		
अन्य व्यापक आय के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य निकाला गया		
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पतियाँ		
- प्राप्ति योग्य व्यापार	63,295.06	49,097.88
- नकद एवं नकद बैंक	2,861.57	2,476.01
- ऋण	3,769.91	3,832.86
- अन्य वित्तीय सम्पतियाँ	1,456.44	1,322.32
कुल वित्तीय सम्पतियाँ	71,382.98	56,729.07
वित्तीय देनदारियाँ		
लाभ/हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य निकाला गया अन्य		
अन्य व्यापक आय के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य निकाला गया		
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पतियाँ		
- उधारी	10,000.00	64,022.18
- व्यापार देनदारियाँ	6,402.77	5,421.78
- अन्य	40,460.18	57,700.44
कुल व्यापार देयताएँ	**56,862.95**	**1,27,144.40**

उचित मूल्य अनुक्रम

(लाख ₹ में)

वित्तीय सम्पतियाँ और देनदारियाँ जिन्हें 31 मार्च 2018 को परिशोधन लागत पर मापा गया	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**कुल**
सम्पतियाँ				
- प्राप्ति योग्य व्यापार	-	-	63,295.06	63,295.06
- नकद तथा नकद समतुल्य	-	-	2,861.57	2,861.57
- ऋण	-	-	3,769.91	3,769.91
- अन्य वित्तीय सम्पतियाँ	-	-	1,456.44	1,456.44
	-	-	71,382.98	71,382.98
देनदारियाँ				
- उधारी	-	-	10,000.00	10,000.00
- प्राप्ति योग्य व्यापार	-	-	6,402.77	6,402.77
- अन्य	-	-	40,460.18	40,460.18
	-	**-**	**56,862.95**	**56,862.95**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

31. उचित मूल्य माप(क्रमशः)

उचित मूल्य अनुक्रम (क्रमशः)

वित्तीय सम्पतियाँ और देनदारियाँ जिन्हें 31 मार्च 2018 को परिशोधन लागत पर मापा गया	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
सम्पतियाँ				
- प्राप्ति योग्य व्यापार	-	-	49097.88	49,097.88
- नकद तथा नकद समतुल्य	-	-	2476.01	2,476.01
- ऋण	-	-	3832.86	3,832.86
- अन्य वित्तीय सम्पतियाँ	-	-	1322.32	1,322.32
			56729.07	56,729.07
	-	-		
देनदारियाँ				
- उधारी	-	-	64022.18	64,022.18
- प्राप्ति योग्य व्यापार	-	-	5421.78	5,421.78
- अन्य	-	-	57700.44	57,700.44
	-	-	127144.40	1,27,144.40

व्यापार प्राप्तियाँ, नकद एवं नकद समतुल्यों, देय व्यापार बैंक जमा संचित ब्याज तथा उस समय की वर्त्तमान उधार की मात्रा उनके अल्प कालिक प्रवृति के कारण अपने उचित मूल्य के बराबर होती है । दिये गए ऋणों कि लिए उचित मूल्य की गणना नकद प्रवाह के आधार पर वर्त्तमान ऋण दर का उपयोग करके की गई थी । अविचारणीय इनपुट्स को शामिल करने के कारण उन्हें स्तर 3 उचित मूल्य अनुक्रम के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

32. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी का वित्तीय जोखिम प्रबंधन अपनी व्यवसायिक रणनीतियों की योजना बनाने और निष्पादित करने का एक अभिन्न अंग है कंपनी की गतिविधियों को तरलता जोखिम और क्रेडिट जोखिम के लिए उजागर किया जाता है ।

जाखिम	निम्मलिखित से उत्पन्न होने वाली जोखिम	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समतूल्य प्राप्ति योग्य व्यापार, बैंक जमा	पुराना विश्लेषण	जमा राशि का विविधीकरण क्रेडिट सीमाएँ
तरलताा जोखिम	उधारी और अन्य देनदारियाँ	रोलिंग नकद प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों की उपलब्धता और उधार लेने की सुलभता

पूँजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी अपनी पूँजी को इस प्रकार कुशलपूर्वक व्यवस्थित करती है कि शेयरधारकों को आदर्श रिटर्न मिले एवं चालू संस्थान को जारी रखा जा सकें । कंपनी की योजना सुदृढ़ पूँजी की संरचना को बनाए रखना है ताकि निवेशकों तथा लेनदारों का भरोसा बना रहे जिससे कि भविष्य में व्यापार का विकास एवं बढ़ोत्तरी हो । कंपनी अपनी संरचना को बनाए रखने के लिए या जरुरी समायोजना की स्थिति में आवश्यक कदम उठाएगी ।

नोट- 33 लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी

31 मार्च, 2018 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए

33.1. कंपनी को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश सं. 7/6/69–न्यूनतम तिथि 7 अगस्त 1973 और सं. 7/6/69 मिन(पीएसयू) दिनांक 3 जुलाई, 1974 के आदेश द्वारा निशिद्ध किया गया है, जिसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 18 के तहत टर्नओवर से संबंधित जानकारी प्रकाशित करने या उपलब्ध कराने, कच्चे माल की खपत, और उत्पादित माल के प्रारंभिक या अंतिम स्टॉक से संबंधित जानकारी, कच्चे माल की खरीद या अधिग्रहण, लाइसेंस क्षमता, स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के संबंध में जारी किया गया था।

हालांकि साल 2003–04 से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के लिए उच्च स्तर पर नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षकों को गोपनीयता समझौते के साथ कंपनी के खातों के सार्थक अंकेक्षण के उद्देश्य से दिनांक 9 जुलाई, 2004 को आदेश संख्या 10/8 (12)/2004–पीएसयू/448 के माध्यम से कंपनी के सभी परमाणु ऊर्जा विभाग के संचालन से संबंधित जानकारी हासिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि यह जानकारी किसी भी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अंकेक्षण रिपोर्ट में इन आंकड़ों का उल्लेख किया जाएगा।

33.2. कंपनी ने तुम्मल्लापल्ली में 813.412 हेक्टेयर (गत वर्ष 813.412 हेक्टेयर) भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (गत वर्ष : 557.18 एकड) भूमि, बंदुहुरांग में 686.86 एकड़ (गत वर्षः 686.86 एकड) भूमि, बागजाता में 303.14 एकड़ (गत वर्ष : 303.14 एकड़) भूमि, जादूगोडा में भाटिन समेत 1312.62 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में गत वर्ष : 1312.62 एकड़) भूमि, और मोहुलडीह में 288.20 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में गत वर्षः 288020 एकड) भूमि के लिए खनन लीज प्राप्त किया है। कंपनी नरवापहाड़ में 1128.32 एकड़ (गत वर्ष : 1128.32 एकड) भूमि, तुरामडीह में अतिरिक्त 31.77 एकड़ (गत वर्ष : 31.77 एकड़) भूमि, Kylleng Pyndengsohiong Mawthabah में 290.45 हेक्टेयर (गत वर्ष : 290.45 हेक्टेयर) भूमि, लंबापुर में 1337.62 एकड़ (गत वर्ष : 1337.62 एकड) भूमि और गोगी में 39.13 हेक्टेयर (गत वर्ष : 39.13 हेक्टेयर) भूमि के खनन लीज के नवीकरण के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है।

33.3. कंपनी राज्य सरकार/निजी पार्टियों से अधिग्रहण किए गए 1548.09 एकड़ (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि के अनुमति प्राप्त कर अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया में है, इस संबंध में वाहन पंजीकरण का औपचारिक डीड लंबित है, जिसकी लागत 1517.59 लाख रुपये (गत वर्ष 1517.59 लाख रु.) संबंधित मद 'पट्टाधृत भूमि' तथा 'पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि' के तहत कंपनी के अचल संपत्ति में शामिल किया गया है।

33.4. कंपनी 1986 से मोसाबनी झारखंड में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीसी) के 3(तीन) एकड़ भूमि का इस्तेमाल कर रही है, जो बिहार की पूर्व सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई थी। किसी भी औपचारिक समझौते के अभाव में इस तरह के उपयोग के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा।

33.5. परियोजना पूर्व/चालू परियोजना पर व्यय :-

परियोजना पूर्व व्यय :-

क) लांबापुर परियोजना ₹ 809.71 लाख रुपये : :

लांबापुर परियोजना, तेलंगाना पूर्व में आंध्र प्रदेश के लिए डीपीआर 2003 में तैयार किया गया था, और 2003 में इसे परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा मंजूरी दी गई थी। माइंस के लिए 2005 और संयंत्र के लिए 2007 में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुआ था। हालांकि, परियोजना के निर्माण के लिए सरकारी की मंजूरी अभी नहीं मिली है। खनन पट्टे का अनुदान राज्य सरकार के पास लंबित है। स्थापना के लिए सहमति भी राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से लंबित है। खनन पट्टा और सीएफई नहीं मिलने के कारण भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में प्रगति नहीं हुई है।

ख) केपीएम परियोजना ₹ 965.69 लाख रुपये :

कंपनी ने ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट आदि की तैयारी शुरू कर दी है और 2001 में मेघालय में Kylleng Pyndengsohiong, Mawthabah माइनिंग ऐंड मिलिंग परियोजना के लिए खनन लीज के लिए आवेदन किया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्ष 2004 में तैयार किया गया था। मार्च 2007 में कंपनी द्वारा तीस साल के लिए लीज पर भूमि के हस्तांतरण के लिए आवेदन जमा किया गया था। 2007 में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी

प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार से – स्थापना के लिए सहमति, भूमि तथा खनन पट्टा आदि के लिए मंजूरी लंबित है। जुलाई 2016 में, यूसीआईएल द्वारा व्यापक अनुबंध कवर के लिए संसाधन एजेंसियों को आमंत्रित करने के लिए एक अभिव्यक्ति का ब्याज (ईओआई) प्रकाशित किया गया था– सार्वजनिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करने और संबंधित आधारभूत विकास, खान निर्माण, भूमि ग्रेडिंग इत्यादि के साथ लंबित सांवेधानिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए परामर्श। यूसीआईएल द्वारा इस ईओआई के प्रकाशन ने यूसीआईएल के खिलाफ मेघालय राज्य में एंटी–यूरेनियम एनजीओ और अन्य लोगों द्वारा एक मजबूत विरोध प्रदर्शन किया है। मेघालय सरकार ने दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स में पूर्व खनन गतिविधियों को करने के लिए यूसीआईएल को अनुमति देने के अपने पहले कैबिनेट निर्णय (24 अगस्त, 200 9) को रद्द कर दिया है।

ग) तुम्मलापल्ले विस्तारीकरण परियोजना ₹ 83.40 लाख रुपये

यूसीआईएल ने तुम्मलापल्ले परियोजना की उत्पादन क्षमता को मौजूदा सुविधा 3000 टीडीपी से 4500 टीडीपी बढ़ाने के लिए तुम्मलापल्ले विस्तारीकरण परियोजना, आंध्र प्रदेश की पहल की है। परियोजना के लिए डीपीआर 2010 में तैयार किया गया था। ईआईए/ईएमपी अध्ययन किया गया और राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड को सौंप दिया गया। जन सुनवाई का आयोजन समय पर नहीं किए जाने के कारण वैधता की शर्ते समाप्त हो गई। टीओआर और ईआईए/ईएमपी के लिए नई गतिविधियों की शुरुआत की गई है। चालू तुम्मल्लापल्ली और निकटवर्ती कनमपल्ली परियोजनायों के प्रक्रियाओं में संशोधन के मद्देनजर डीपीआर पर पुनः विचार किया जा रहा है।

घ) गोगी परियोजना ₹ 243.25 लाख रुपये :

कर्नाटक के यादगीर जिले में गोगी यूरेनियम माइनिंग एवं मिलिंग परियोजना के लिए डीपीआर 2010 में तैयार किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग ने भी 2010 में परियोजना को मंजूरी दे दी थी। नवम्बर 2010 में आयोजित जन सुनवाई को एमओईएफ द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। विचारणीय विषय की वैधता समाप्त हो गई। नए ईआईए/ईएमपी अध्ययन के लिए गतिविधियों की शुरुआत कर दी गई।बेस लाईन डाटा और ई आई ए की तैयारी के लिए कंसलटेन्ट की नियुक्ति की गई है । DGPS सर्वे पूरा किया गया, भूमि विवरण कि अतिंमरुप दी गयी है, अतिंम PFR तैयार कर कंसलटेन्ट को भेजी गयी है । हाल ही एक नयी डिपोजिट–कचंनकाई, जो कि गोगी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है AMD द्वारा अतिंम चरण की अन्वेशण की जा रही है। कंपनी इस स्थल पर परियोजना पूर्व गतिविधि तथा AMD के साथ मिलकर अन्वेशण खनन करना चाहती है ।

ड़) रोहिल अन्वेशी खनन परियोजना ₹ 5.70 लाख रुपये :

राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल यूरेनियम जमा अन्वेषण और अनुसंधान (एएमडी) के लिए परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा अन्वेषण में है। यूसीआईएल को एएमडी की ओर से खोजी खनन गतिविधियों की शुरूआत की गई है। यूसीआईएल और एएमडी के बीच खोजी खनन कार्य के विस्तार के लिए शाफ्ट डूबने के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साइट पर आरसीसी दृष्टिकोण सड़क का निर्माण और गिरावट प्लेटफार्म पूरा हो चुका है। लगभग। गिरावट के लिए 6000 घन मीटर की धरती पूरी की गई है। परियोजना के लिए पानी की उपलब्धता के लिए एमओयू नगर परिषद, सीकर (राजस्थान) के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। रोहिल यूरेनियम जमा के अयस्क निकाय का 3 डी मॉडल तैयार किया गया है। परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है।

च) यूरेनियम रिकवरी प्लांट (मोसाबनी) : ₹ 95.90 लाख रुपये

यूसीआईएल ने एचसीएल के राखा और तांबे खानों के पास यूरेनियम वसूली संयंत्रों का निर्माण करने वाली सुरदा खानों के कॉपर टेलिंग से यूरेनियम पुनः प्राप्ति के लिए दो यूरेनियम वसूली संयंत्रों का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया है। तांबे की पूंछ में यूरेनियम की सामग्री को भौतिक परिक्षण के (टैबलिंग) द्वारा अपग्रेड किया जाएगा और जादुगोड़ा स्थित संयंत्र में प्रोसेस किया जाएगा । इसके लिए प्रौद्योगिकी को भारतीय स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। प्रत्येक प्रस्तावित संयंत्र 4,05,000 टन प्रति वर्ष कॉपर टेलिंग्स (तांबे की के अवशेश) को प्रोसेस करेगा। पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की दिशा में गतिविधियां एकत्रित की जा रही हैं और सार्वजनिक सुनवाई 13 अप्रैल 2018 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। पानी और बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए सहमति प्राप्त करना प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण और पानी के लिए जमशेदपुर जिला आयुक्त को आवेदन किए गए हैं। परियोजना के स्वीकृति का इंतजार है।

चालू परियोजना :

क) तुरामडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट ₹ 2142.24 लाख रुपये

तुरामडीह और बाहांदुहुरांग के यूरेनियम अयस्क मैग्नेटाइट खनिज की मात्रा काफी कम होती है। यह मैग्नेटाइट प्रस्तावित संयंत्र में बाय–प्रोडक्ट (उप–उत्पाद) के रूप में रिकवर किया जाएगा। इस प्रकार निर्मित चुंबकीय पदार्थ और सटीकता के मामले में बहुत उच्च गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट का उत्पादन होगा और कोयले वॉशरीज में इसका उपयोग किया जायेगा। जादुगोड़ा में यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र में इस अभ्यास का पालन किया जा रहा है। परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। मिल नींव और मैग्नेटाइट स्टोरेज पिट समेत प्रमुख सीविल गतिविधियां पूरी की गई हैं। मैग्नेटाइट बॉल मिल की स्थापना पूरी हो गई है। मैग्नेटाइट स्पष्टीकरण प्रणाली के लिए निर्माण कार्य और ईओटी क्रेन के लिए मैग्नेटाइट स्टील संरचना का निर्माण पूरा हो चुका है। मिल प्लेटफार्म के लिए मैग्नेटाइट थिकनार ओवरफ्लो टैंक और स्टील संरचना का निर्माण, परीक्षण पूरा हो चुका है। एईआरबी निकासी प्राप्त की गई है। मैग्नेटाइट बॉल मिल का प्रदर्शन प्रगति पर है।

ख) जादुगोडा में टेलिंग पौंड परियोजना का चौथा चरण ₹ 5792.72 लाख रुपये :

जादूगोडा कारखाने के अपशिष्ट को अब जादूगोड़ा प्लांट के सटे हुए इसी उद्देश्य से बनाए गए तृतीय चरण के टेलिंग पॉण्ड में जमा किया जाएगा। प्रथम चरण और द्वितीय चरण टेलिंग पॉन्ड्स पूरी तरह से भरे हुए हैं और तृतीय चरण के 1 वर्ष के भीतर भर जाने की संभावना है जिसके लिए अतिरिक्त बाड़े की सुविधा का निर्माण करने का प्रस्ताव है। यह अवशेषों को जमा करने के लिए पर्याप्त स्थान बनाएगा। परियोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। साइट की गतिविधियां शुरू कर दी गईं हैं। ड्रिलिंग और ग्राउटिंग और प्राकृतिक जल प्रवाह को मोड़ने से संबंधित कार्य पूरा हो गया है। क्षैतिज फिल्टर (पूर्व की ओर) (बांध उठाने का हिस्सा) को पूरा कर लिया गया है। आरएल 133 मी. से आरएल 135 मी. (पश्चिम की ओर) रखना (बांध उठाने का हिस्सा) पूरा हो गया है। जहीरा के आसपास सैडल बांध और रखरखाव दीवार का निर्माण प्रगति पर है। स्पिलवे का निर्माण प्रगति पर है। नाला की मोड़ और रखरखाव दीवार व नाली के निर्माण को पूरा कर लिया गया है। अंतिम स्तर 143 मी. तक की बचे हुये कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है।

ग) तुरामडीह पेरॉक्साइड संयंत्र परियोजना ₹ 1268.49 लाख रुपये

यह सुविधा मैग्नीशियम डी–यूरेनेट के स्थान पर यूरेनियम पेरॉक्साइड का उत्पादन करेगी। यूरेनियम पेरॉक्साइड का उत्पादन मैग्नीशियम डी–यूरेनेट (एमडीयू) के उत्पादन में कुछ प्रबल पर्यावरणीय कमियों को दूर करने में मदद करेगा। अधिकांश भौतिक कार्य पूरा हो चुका है। कोई लोड ट्रायल रन प्रगति पर नहीं है। एईआरबी की अनुमोदन प्राप्त हो चुकी है एम ओ ई एफ के मंजुरी की इंतजार है ।

घ) तुरामडीह में द्वितीय चरण टेलिंग डैम प्रोजेक्ट ₹ 45.51 लाख रुपये

तुरामडीह मिल के अपशिस्ट को तालसा गांव के उद्देश्य से बनाए गए प्रथम चरण टेलिंग पॉण्ड में जमा किया जाता हैं। इस तालाब के 1–2 साल के भीतर भर जाने की उम्मीद है जिसके लिए इम्पाउंडमेंट यानीअतिरिक्त जमा सुविधा का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस अवधि के दौरान, अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए इम्पाउंडमेंट का निर्माण करते हुए टेलिंग डैम का द्वितीय चरण पूरा कर लिया गया है ।

ड़) तुरामडीह मिल विस्तारीकरण ₹ 4602.86 लाख रुपये

झारखण्ड के तुरामडीह में कुल 343.26 करोड़ की लागत से 3000 टीपीडी क्षमता के यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र की मंजूरी भारत सरकार द्वारा दी गयी थी। यूरेनियम की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, यूसीआईएल ने मूल रूप से निर्धारित निर्माण कार्य के साथ 3000 टीपीडी से 4500 टीपीडी तक के संयंत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव किया था। यह परियोजना पूरी हो चुकी है। एईआरबी मंजूरी प्राप्त की जा चुकी है और एमओईएफ की मंजूरी को तुरामडीह मिल विस्तारीकरण परियोजना की मंजूरी से जोडा गया है। पर्यावरण मंत्रालय से अंतिम पर्यावरण मंजूरी प्रतीक्षित है।

च) भटीन खान आधुनिकीकरण परियोजना ₹ 1878.37 लाख रुपये

यूसीआईएल ने 12 वीं योजना की अवधि के अंतर्गत 'भाटीन खान के आधुनिकीकरण' शीर्षक के तहत एक नई योजना बनाई है। परियोजना का डीपीआर दिसंबर 2013 में तैयार किया गया था। परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने मंजूरी दे दी है। यह परियोजना मौजूदा भाटीन खदान की उत्पादन क्षमता को 140

टीपीडी से 400 टीपीडी तक बढ़ाएगी, जिससे जादूगोड़ा संयंत्र में अयस्क प्रसंस्करण के वर्तमान स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी, जबकि जादूगोड़ा खान से अयस्क उपलब्धता धीरे धीरे कम हो रही है।। इस परियोजना के लिए सभी अनुमोदन प्राप्त किए जा चुके हैं। प्रमुख कार्य के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सीमा की दीवार (प्रथम चरण) और औद्योगिक पानी की टंकी का निर्माण पूरा हो चुका है। सतह पर सिविल मेंटेनेन्स का काम, 6.6 केवी क्षमता के सेकेंड सर्किट हाई टेंशन ओवरहेड लाइन के संशोधन और सतह पर अयस्क बिन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वन मंजूरी के इंतजार के कारण भूमिगत खनन गतिविधि शुरू नहीं हुई है।

छ) सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में डिबॉटलनेकिंग परियोजना ₹ 319.20 लाख रुपये

यूसीआईएल ने सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में कुछ परियोजनाओं की शुरुआत की हैं, जो 'सिंहभूम और तुम्मलापलले में संचालन के डि–बॉटलनेकिंग' के तहत समूहीकृत हैं, जो स्थायी तरीके से वर्तमान प्रदर्शन स्तर को बनाए रखने में मदद करेंगे। प्रशासनिक अनुमोदन जुलाई 2016 में प्राप्त हो चुका है। प्रमुख अनुबंधों की निविदाएं और साइट गतिविधियां प्रगति पर हैं। सारे गतिविधियां अपने नियत समय 2019–20 को पूरा कर लिया जायेगा।

33.6 लेनदारों, देनदारों की शेष राशि और ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं का अग्रिम, समाधान/ पुष्टिकरण और संबंधित परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कुछ हो तो।

33.7 आंतरिक और बाहरी तथ्यों के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों के मिलान के लिए कोई तुलनात्मक प्रावधान का विचार आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य वर्तमान परिसंपत्तियों की लागत से अधिक है।

33.8 कंपनी कर्मचारी भविश्य निधि एवं विविध प्रावधान नियम 1952 (ईपीएफ एक्ट) के अंतर्गत नहीं आती है, परंतु 1967 से एक न्यास के माध्यम से भविश्य निधि का प्रबंधन किया जा रहा है, जिसका नियम कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है और वह रिजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (आरपीएफसी), पटना एवं आय कर आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। तथापि आरपीएफसी, जमशेदपुर ने अपनी सूचना दिनांक 01.01.1997 द्वारा दावा किया है कि यह ईपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत आता है एवं कंपनी को 1967 से बकाया पीएफ और 1997 से फैमिली पेंशन अंशदान जमा करने के लिए कहा है। कंपनी ने दावे पर आपत्ति जताई है तथा इस पर अपील किया है जो वर्तमान में इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (ईपीएटी), नई दिल्ली के पास लंबित है। चूंकि कंपनी ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत प्रदत्त अंशदान के बराबर ट्रस्ट के लिए पीएफ का भुगतान करती है, अतः कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व ईपीटी के समक्ष अपील लंबित होने के कारण नहीं बनता है।

33.9 तुलन–पत्र तिथि पर कार्य करने की जिम्मेदारी अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार दी गई है।

33.10 कार्यशील पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अल्पकालिक उधार का लाभ उठाया गया है और वर्ष के लिए इस तरह के ऋण पर ब्याज बकाया ब्याज का लाभ लाभ और हानि खाते के विवरण के रूप में लिया जाता है।

33.11 सूची में परिवर्तन के कारण मूल्यह्रास और अन्य विविध मुद्दों के हिसाब से ब्याज व्यय त्रुटि पिछले अवधि से संबंधित आवश्यक समायोजन रुपये के दौरान किया गया है। 145 लाख (पिछले साल नील)

33.12 सभी आंकड़े निकटतम लाख रुपये में बंद हो गए हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत ध फिर से व्यवस्थित किया गया है जहां उन्हें वर्तमान वर्ष के साथ तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक हो।

अनुसूची '1' से '33' हस्ताक्षरी

कृते एवं बोर्ड की ओर से

बी सी गुप्ता	**देबाशीष घोष**	**सी के असनानी**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंटसे
फर्म रजिस्ट्रेषन संख्या–004614C

रमेश कुमार अग्रवाल (पार्टनर)
सदस्यता संख्या–072918
स्थान – मुम्बई
तिथि – 10.08.2018

नकद प्रवाह विवरण

(लाख ₹ में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
अपरिचालन की क्रियाओं से कैश फ्लो			
कर पूर्व लाभ/हानि		12,409.86	20,921.12
समायोजन के लिए:			
-मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	24	21,984.02	13,776.99
-बैंक जमा पर ब्याज	20	(13.15)	(18.59)
-ऋण एवं पेशगी पर ब्याज	20	(95.07)	(104.16)
-वित्तीय लागत	23	3,871.49	6,421.10
कार्यकारी पूँजी परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ		38,157.15	40,996.45
कार्यशील पूँजी समायोजन:			
-प्राप्त किया व्यापार का (वृद्धि)/ह्रास	9	(14,197.18)	(26,016.38)
- ऋण एवं पेशगियों में (वृद्धि)/ह्रास	6	62.95	(729.67)
-मालसूची में (वृद्धि)/ह्रास	8	17,798.61	(41,165.73)
- अन्य चालू परिसम्पतियों पर (वृद्धि)/ह्रास	14	9.96	(391.26)
- अन्य वित्तीय सम्पतियों पर (वृद्धि)/ह्रास	13	(134.12)	(63.79)
-देय व्यापार का (वृद्धि)/ह्रास	15(b)	980.99	464.28
-प्रावधानों का (वृद्धि)/ह्रास	16	3,850.78	1,770.27
- वित्तीय देनदारियों का (वृद्धि)/ह्रास	15(c)	(17,240.26)	16,338.52
-वर्त्तमान देनदारियों का (वृद्धि)/ह्रास	18	(354.69)	228.30
परिचालन की क्रियाओं से नकद उपार्जन		28,934.20	(8,569.01)
प्रत्यक्ष कर		(4,670.47)	(2,626.95)
परिचालन की क्रियाओं से नकद उपार्जन		**24,263.73**	**(11,195.96)**
निवेश की क्रियाओं से कैश फ्लो			
सम्पति,संयत्र और उपकरण की खरीद	3	(3,589.97)	(1,61,455.28)
अमूर्त सम्पति की खरीद	5	2,220.67	(14,016.35)
डब्लयू. आई. पी. की पूँजी में (वृद्धि)/ह्रास	4	(3,888.33)	1,98,333.48
पूँजी व्यय के लिए अग्रिम	7	(165.58)	-
ऋण एवं पेशगियों पर ब्याज (वित्त आय)	20	95.07	104.16
प्राप्ति बैंक जमा पर ब्याज	20	13.15	18.59
नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष में (वृद्धि)/ह्रास	11	11.39	(9.21)
विनियोग की क्रियाओं से (में प्रयुक्त) शुद्ध कैश फ्लो (ख)		**(5,303.61)**	**22,975.38**
वित्तीय क्रियाओं से कैश फ्लो			
इक्विटी शेयर पूँजी से लाया गया (लंबित आवंटन को जोड़कर)	3b	43,900.00	2,500.00
उधार से प्राप्त आय	15(a)	-	-
उधार का भुगतान	15(a)	(54,022.18)	(5,068.56)
लाभांश चुकाया	3b	(3,839.00)	(3,064.00)
लाभांश वितरण कर	3b	(781.52)	(623.77)
ब्याज चुकाया	23	(3,820.46)	(6,374.00)
वित्तीय क्रियाओं से (में प्रयुक्त) कैश फ्लो (ग)		**(18,563.16)**	**(12,630.33)**
नकद तथा नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग)		396.95	(850.90)
वर्ष के प्रारम्भ में नकद तथा नकदी के समकक्ष	10	2,347.30	3,198.30
वर्ष के अंत में नकद तथा नकदी के समकक्ष	10	2,744.25	2,347.31

हमारी संलग्न समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
अग्रवाल रमेश के एवं कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंटसे
फर्म रजिस्ट्रेषन संख्या–004614C
रमेश कुमार अग्रवाल (पार्टनर)
सदस्यता संख्या–072918
स्थान – मुम्बई
तिथि – 10.08.2018

कृते एवं बोर्ड की ओर से

बी सी गुप्ता
कंपनी सचिव

देबाशीष घोष
निदेशक (वित्त)

सी के असनानी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पच्चीस वर्ष का संग्रह

(लाख ₹ में)

वर्ष	आय	सामग्रियाँ	वेतन/मजदुरी तथा अन्य सुविधाएँ	मूल्यह्रास	उत्पादन एवं अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि
1993-94	4775.7	788.3	1415.5	291.7	1970.5	309.0
1994-95	5730.1	1082.3	1530.6	353.4	2396.1	349.1
1995-96	7149.8	1064.5	2569.6	1286.7	2187.7	31.1
1996-97	8601.0	1037.0	3141.5	1404.8	3693.6	(-) 676.0
1997-98	11140.5	1107.0	3429.6	1067.3	5019.9	516.7
1998-99	13417.5	1252.7	4255.9	1236.4	6495.0	177.5
1999-00	14533.0	1461.9	4522.2	1685.2	5361.4	1307.9
2000-01	14797.0	1612.7	4768.8	1842.9	6167.4	405.2
2001-02	16597.1	1746.8	5524.9	2054.1	6399.3	872.0
2002-03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	7500.0	2772.4
2003-04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	9389.7	1925.7
2004-05	25497.0	2590.01	5945.24	2443.43	9896.72	4621.6
2005-06	28156	3121	7309	2468	10332	4926
2006-07	29781	4138	8817	2592	9856	4378
2007-08	30436	4786	9929	2518	11061	2142
2008-09	41462	6143	12728	2755	13832	6004
2009-10	54306	7494	14539	6661	17827	7785
2010-11	76025	10072	19815	8245	21836	16057
2011-12	70728	10469	18572	7184	25526	8626
2012-13	85512	12882	21988	7795	28447	14417
2013-14	81430	13106	24806	7793	33979	1633
2014-15	89024	14138	27869	8186	37693	1133
2015-16	102463	12694	29566	8581	35816	15806
2016-17	127270	8874	30167	13663	53582	20984
2017-18	**179195**	**17335**	**40739**	**21963**	**86747**	**12410**

(लाख ₹ में)

कर पश्चात लाभ	पूँजी	आरक्षित तथा अतिरिक्त	सकल निरुद्ध पूँजी	कुल मूल्यह्रास	शुद्ध निरुद्ध पूँजी	31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या
104.4	22517.3	2906.5	9085.1	3574.4	5510.7	3904
801.9	30517.3	3708.4	11277.1	4396.1	6888.0	4024
78.6	5422.3	3787.1	18558.6	5813.8	12744.8	4171
(-)854.0	36922.3	1326.6	19008.1	7203.8	11804.2	4249
251.4	37075.3	1523.0	25203.8	8644.3	16559.5	4312
367.1	41982.3	1808.0	34057.7	10039.8	24018.0	4385
1151.1	41982.3	2666.4	36438.7	11894.8	24543.9	4408
303.7	41982.3	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
588.2	38339.3	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
480.84	41839.3	4398.8	43443.2	18062.2	25381.0	4147
978.7	49839.3	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2925.1	63389.3	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
3161	69094	9472	57074	25509	31566	4103
2751	71265	11403	61942	28192	33750	4276
1463	84165	12433	67254	31012	36242	4439
1801	107765	13684	117101	33914	83187	4643
4626	134793	16957	123150	40842	82308	4539
10153	143962	24146	126383	49131	77251	4696
6484	143962	28742	135090	56446	78644	4624
9078	143962	35697	145358	64418	80940	4613
1069	146962	36516	148617	71878	76739	4642
818	153962	36116	153054	81715	71339	4685
10212	156462	42641	159762	90401	69362	4757
12618	161562	55173	253703	22446	231257	4834
10673	**181562**	**84559**	**255073**	**44477**	**210596**	**4781**

यूसीआईएल द्वारा सीएसआर पहल

गोगी में सिलाई मशीनों का वितरण

गोगी में कपड़ा सिलाई का प्रशिक्षण

यूसीआईएल द्वारा सीएसआर पहल

चाटीकोचा गांव में ओवरहेड टैंक

इचरा गांव में सिंचाई परियोजना

यूसीआईएल द्वारा सीएसआर पहल

यूसीआईएल द्वारा सीएसआर पहल

तुम्मालापल्ले यूनिट की भूमिगत खानों में वरिष्ठ डीएई अधिकारियों की यात्रा

श्री सी के असनी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसीआईएल ने डॉ के एन व्यास, अध्यक्ष, एईसी और सचिव, डीएई विभाग के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी

ISO 9001:2008, 14001:2004 एवं IS 18001:2007 कम्पनी

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & IS 18001:2007 Company